# लोक-सभा वाद-विवाद

## संक्षिप्त अनूदित संस्करण

## SUMMARISED TRANSLATED VERSION
## OF
## 3rd
## LOK SABHA DEBATES

[सोलहवां सत्र
Sixteenth Session]

Preservation Unit
6-7-92
Fumigated
On 1.1.84
Parliament Library

[खंड 61 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. LXI contains Nos. 11—20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

*Price : One Rupee.*

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

**This is tr**anslated version in a summary form of Lok Sabha Debates and **contains H**indi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची/CONTENTS

**अंक 12, गुरुवार, 17 नवम्बर, 1966 / 26 कार्तिक, 1888 (शक)**

**No. 12, Thursday, November 17, 1966/Kartika 26, 1888 (Saka)**


| विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|
| प्रश्नों के मौखिक उत्तर | ORAL ANSWERS TO QUESTIONS | |
| ता प्र० संख्या S. Q. Nos. | | |
| 331. विदेशी ऋणों की अदायगी की अवधि में परिवर्तन | Re-phasing of Foreign Loans . | 1457-60 |
| 333. पांडिचेरी में विदेशी मुद्रा का गोलमाल करने वालों का गिरोह | Foreign Exchange Racket in Pondicherry | 1460-62 |
| 334. विदेशी सहायता का उपयोग | Utilization of Foreign Aid | 1462-66 |
| 335. सिक्योरिटी पेपर मिल | Security Paper Mill . | 1466-68 |
| 336. उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्य मंत्री की कर-देयता | Tax Liabilities of former Chief Minister of Orissa . . . . . . . | 1468-72 |
| 337. भारतीय रुपये का विनिमय मूल्य | Exchange value of Indian Rupee | 1472-75 |
| 339. स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की समाधि | Samadhi of Late Lal Bahadur Shastri | 1475-76 |
| प्रश्नों के लिखित उत्तर | WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS | |
| अता०प्र० संख्या | U. S. Q. Nos. | |
| 338. प्रतिरक्षा सम्बन्धी आवश्यकतायें | Defence Requirements . | 1476-77 |
| 340. भारत का औद्योगिक विकास बैंक | Industrial Development Bank of India | 1477-78 |
| 341. नर्मदा घाटी परियोजना | Narmada Valley Project . . . . | 1478-79 |


*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

| अता० प्र० संख्या U. S. Nos. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|---|
| 342. | महलनवीस समिति का प्रतिवेदन | Mahalanobis Committee's Report . | 1479 |
| 343. | विदेशी सहायता को स्वीकार न करना | Non-acceptance of Foreign Aid | 1479 |
| 344. | भारत में चिकित्सा कालेज | Medical Colleges in India | 1480 |
| 345. | मेसर्स रेम्फ्री एण्ड सन् नामक फर्म | M/s Remfry and Son . | 1486-81 |
| 346. | मद्रास में बिजली की सप्लाई में कमी किये जाने के कारण हुई हानि का अनुमान | Assessment of Loss due to Power Cuts in Madras . . . . . . | 1481-82 |
| 347. | विदेशी फर्मों द्वारा शेयरों का हस्तान्तरण | Transter of Shares by foreign Concerns | 1482 |
| 348. | राज्यों में मकान बनाने का कार्यक्रम | Housing Programme in States | 1482-83 |
| 349. | सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में नर्सों की हड़ताल | Nurses' Strike at Safdarjang Hospital, New Delhi. . . . . . . | 1483-84 |
| 350. | लगान को समाप्त करना | Abolition of Land Revenue . | 1484 |
| 352. | गंगानगर (राजस्थान) में बाढ़ के कारण क्षति | Damage due to Floods in Ganganagar, Rajasthan . . . . . . | 1484-85 |
| 353. | मेसर्स एम० डब्ल्यू० के० इण्टरनेशनल लि० इंक० कलकत्ता | M/s. M.W.K. International Ltd, Inc., Calcutta | 1485 |
| 354. | राजस्थान का विकास | Development of Rajasthan | 1485-86 |
| 355. | विमुद्रीकरण | Demonetisation | 1486 |
| 356. | अल्प-आय वर्ग गृह-निर्माण योजना के अन्तर्गत होस्टलों तथा शयनशालाओं का निर्माण | Construction of Hostels and Dormitory Type Accommodation under Low-Income Group Housing Scheme . . . | 1486-87 |
| 357. | चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा | Medical Education | 1487 |
| 358. | औषधियों में अपमिश्रण | Adulteration of Drugs | 1487-88 |
| 359. | दामोदर घाटी निगम | Damodar Valley Corporation . | 1488 |
| 360. | व्यापारियों को विदेशी मुद्रा | Foreign Exchange to Businessmen | 1488 |

| अता०प्र० संख्या U. S. Q. Nos. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|---|
| 1558. | कलामसेरी बिजली घर के लिए उपकरण | Equipment for Power Station at Kalamassery . . . | 1489 |
| 1559. | योजनाओं की क्रियान्विति | Implementation of Plant . | 1489 |
| 1560. | केरल अराजपत्रित अधिकारी संघ | Kerala—Non-Gazetted Officers' Union | 1489-90 |
| 1561. | लुफ्थान्सा एयरलाइन्स | Lufthansa Airlines | 1490 |
| 1562. | हाथरस में अपमिश्रण के मामले | Adulteration cases in Hathras . | 1490-91 |
| 1563. | भारतीय मुद्रा का पकड़ा जाना | Recovery of Indian Currency | 1491 |
| 1564. | आयातित सामान और करेंसी का पकड़ा जाना | Seizure of Imported Goods and currency | 1491-92 |
| 1565. | संकेन्द्रित ऐल्यूमिनियम तथा जस्ते पर सीमा-शुल्क की छूट | Exemption of Customs Duty on Alumina and Zinc Concentrates . . | 1492 |
| 1566. | अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों को मैट्रिक के उपरान्त छात्रवृतियां | Post-Matric Scholarship to Scheduled Tribes Students . . . . . . | 1492 |
| 1567. | इद्दिक्की परियोजना | Iddikki Project | 1493 |
| 1568. | भारत में जड़ी बूटी शाखाएं | Harbariums in India | 1493-94 |
| 1569. | बागमती नदी परियोजना | Bagmati River Project . | 1494 |
| 1570. | आयकर अधिकारियों का स्थानांतरण | Transfer of Income Tax Officers | 1494-95 |
| 1571. | कलकत्ता, बम्बई और कानपुर में छापे | Raids, in Calcutta Bombay and Kanpur . | 1495 |
| 1572. | अमरीकी शांति दल | U.S. Peace Corps . | 1495-96 |
| 1573. | मैसर्स किला चन्द देवीचन्द ग्रुप को सट्टे में हुई हानि की राशि पर आय कर में छूट | Income Tax Remission on Speculation Losses to M/s. Kila Chand Devi Chand Group . . . . . . | 1496 |

| अता०प्र० संख्या विषय U. S. Q. Nos. | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|
| 1574. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए संवैधानिक रक्षोपाय | Constitutional Safeguards to Scheduled Castes and Scheduled Tribes . . | 1497 |
| 1575. परिवार नियोजन कार्यक्रम की सहायता के लिए जापानी नर्सें | Japanese Nurses to Assist Family Planning Programme . . . | 1497 |
| 1576. जबलपुर में पकड़ा गया सोना | Gold Recovered in Jabalpur | 1497-98 |
| 1577. बम्बई में हीरों तथा मुद्रा का पकड़ा जाना | Seizure of Diamonds and Currency in Bombay . . . . | 1498 |
| 1578. पालम हवाई अड्डे पर पकड़ी गई भारतीय मुद्रा | Indian Currency Seized at Palam Air-port | 1498-99 |
| 1579. त्रिवेन्द्रम में गर्भनिरोधक सामग्री बनाने का कारखाना | Contraceptive Factors at Trivandrum | 1499 |
| 1580. विदेशी ऋणों की अदायगी | Repayment of Foreign Loans | 1499 |
| 1581. मैसर्स टर्नर मारिसन तथा मैसर्स ग्राहम ट्रेडिंग कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेट द्वारा कर अपवंचन | Tax evasion by M/s. Turner Morrison and M/s Graham Trading Company (India) Ltd. . . . . . . | 1500 |
| 1582. औद्योगिक वित्त निगम | Industrial Finance Corporation | 1500-1501 |
| 1583. सलेमपुर (उत्तर प्रदेश) में गांजे का पकड़ा जाना | Seizure of Ganja in Salempur (U.P.) | 1501 |
| 1584. मैसर्स मोरारजी गोकुल दास स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्ज लिमिटेड | M/s. Morarji Gokul Das Spinning and Weaving Mills Ltd. . . | 1501 |
| 1585. बम्बई में पकड़ा गया तस्करी का सामान | Smuggled Goods Seized in Bombay | 1501 |
| 1586. रक्षित बैंक के कर्मचारी | Reserve Bank Employees | 1502 |
| 1587. विद्युत् शवदाह गृह | Electric Crematoria | 1502 |
| 1588. विदेशी सहायता पर निर्भरता | Dependence on foreign Aid | 1502-1503 |
| 1589. नगर वित्त निगम | Municipal Finance Corporation | 1503 |

| विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|
| अता० प्र० संख्या U.Q.No. | | |
| 1590. ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक | Banking in rural Areas | 1403-1504 |
| 1591. दिल्ली में पेय जल का सम्भरण | Supply of Drinking Water in Delhi | 1504 |
| 1592. पटसन का बीजक में कम दिखाया जाना | Under-invoicing in Jute | 1504 |
| 1593. राज्य सरकारों के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता | D.A. to State Government Employees | 1505 |
| 1594. लेखा-बाह्य धन | Unaccounted Money | 1505-1506 |
| 1595. पिछड़े दलित तथा आदिम जातियों के लोगों का कल्याण | Welfare of Backward, Depressed and Tribal People | 1506 |
| 1596. अस्पृश्यता | Untouchability | 1506 |
| 1597. कोज़ीकोड में लोक स्वास्थ्य प्रयोगशाला | Regional Public Health Laboratory at Kozhikode | 1507 |
| 1598. कालीकट जल सभरण योजना | Calicut Water Supply Scheme | 1507 |
| 1599. सिंचाई के लिए दिये गये जल पर कर | Taxes on Water supplied for Irrigation | 1507-08 |
| 1601. दुर्गापुर से कलकत्ता तक नौवहन नहर का वाणिज्यिक आधार पर चलाया जाना | Commercioal operation of Navigation Canal from Durgapur to Calcutta | 1508-09 |
| 1602. देसी चिकित्सा प्रणाली का प्रशिक्षण | Training in Indigenous system of Medicine | 1509-10 |
| 1603. उड़ीसा और मैसूर के खनिज क्षेत्रों में सड़कें | Roads in Mineral Bearing Areas of Orissa and Mysore | 1510 |
| 1604. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के डाक्टरों का प्रतिनियुक्ति भत्ता | Deputation Allowance of C.H.S. Doctors | 1510 |
| 1605. असैनिक डाक्टरों की सेवाओं का सेना के लिए प्राप्त किया जाना | Requisition of Civil Doctors in Army | 1511 |
| 1606. बिहार में ताल क्षेत्र का विकास | Development of Tal Area in Bihar. | 1511-12 |

| अता०प्र०संख्या U. Q. No. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|---|
| 1607. | समुद्र की लहरों से बिजली का उत्पादन | Producing Electricity from Sea Waves | 1511-12 |
| 1608. | भाखड़ा बांध पर बिजली घर | Power House at Bhakra Dam . | 1512 |
| 1609. | दिल्ली में अनधिकृत बस्तियों को नियमित बनाना | Regularisation of Unauthorised Colonies in Delhi . . . . . . . | 1512 |
| 1610. | कलकत्ता में बालीगंज को कस्बा से मिलाने वाला ऊपरी पुल | Overbridge connecting Bally Gung with Kasba in Calcutta . . . . . . | 1513 |
| 1611. | दिल्ली में सफाई | Delhi Sanitation | 1513-14 |
| 1612. | उत्पादन शुल्क आय-कर तथा सम्पदा शुल्क की बकाया राशि | Arrears of Excise Duty, Income-tax and Estate Duty . . . . | 1514 |
| 1613. | जल निकासी योजना के लिए विश्व बैंक द्वारा सहायता | World Bank Aid for Drainage Scheme . | 1514-15 |
| 1614. | आदिम जातियों के विद्यार्थियों के लिए आश्रम स्कूल | Ashram Schools for Tribal Students | 1515 |
| 1615. | अनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण | Welfare of Scheduled Tribes | 1515-16 |
| 1616. | बैल्जियम से ऋण | Belgian Credit | 1516 |
| 1617. | कोसी परियोजना . | Kosi Project | 1516 |
| 1618. | सर्कस कर्मचारियों को बीमे की सुविधाएं | Insurance Facilities to Circus Employees | 1517 |
| 1619. | कर्मचारी अनुसन्धान एकक | Staff Research Units | 1517 |
| 1620. | दिल्ली में औद्योगिक क्षेत्रों के लिए बिजली | Power for Industrial Areas of Delhi | 1517-18 |
| 1621. | दिल्ली बिजली संभरण उपक्रम को ऋण | Loan to Delhi Electricity Supply Undertaking . . . . . . | 1518 |
| 1622 | मोती महल रेस्तरां, दिल्ली | Moti Mahal Restaurant, Delhi | 1518 |

| विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
| --- | --- | --- |
| अ० प्र० संख्या<br>U. Q. No. | | |
| 1623. खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली द्वारा अपमिश्रित शहद की बिक्री | Selling of Adulterated Honey by Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi . | 1518—1519 |
| 1624. उत्तर प्रदेश में सिंचाई परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त धन | Additional Funds for Irrigation Projects in U.P. . . . . . . . | 1519 |
| 1625. परिवार नियोजन के नये गर्भनिरोधक उपायों के बारे में प्रशिक्षण | Training in New contraceptive measures for Family Planning . . . | 1519 |
| 1626. बम्बई में सोने तथा मुद्रा का बरामदगी | Recovery of Gold and Currency in Bombay | 1520 |
| 1627. चित्तौड़गढ़ में पकड़ा गया सोना | Gold Seizued at Chittorgarh . | 1520 |
| 1628. औद्योगिक वित्त निगम | Industrial Finance Corporation . | 1520—1521 |
| 1629. बीमा एजेंटों के रूप में काम करने वाली सरकारी कर्मचारियों की पत्नियां | Government Servants' wifes as Insurance Agents . . . . . . | 1521 |
| 1630. सिंचाई और विद्युत् योजनाओं की कांट छांट | Pruning of Irrigation and Power Schemes. | 1521 |
| 1631. पंजाब में पीने के जल की योजनायें | Drinking Water Schemes in Punajb | 1521 |
| 1632. लेखन सामग्री कार्यालय के निरीक्षण कक्ष का स्थानान्तरण | Transfer of Inspection Wing of Stationery Office . . . . . . . | 1522 |
| 1633. इड्क्की परियोजना | Iddikki Project | 1522 |
| 1634. केरल में ग्रामीण जल सम्भरण योजनाएं | Rural Water Supply Schemes in Kerala | 1522 |
| 1635. शास्त्री नगर कालोनी, दिल्ली | Shastri Nagar Colony, Delhi . | 1523 |
| 1637. एर्नाकुलम में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का अधिवेशन | A.I.C.C. Session at Ernakulam . | 1523 |




2369 (Ai) LSD—B

| विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|
| अ० प्र० संख्या U. Q. No. | | |
| 1638. शिक्षा समस्याओं का अध्ययन करने के लिए शिक्षा तालिका द्वारा स्थापित समितियां | Committees set up by Education Panel to study Education Problems . . | 1524 |
| 1639. औषधियों के मूल्य | Prices of Drugs . . . | 1524—1525 |
| 1640. रक्त यूरिया की बीमारी | Blood Urea . . | 1525 |
| 1641. तूतीकोरिन में ताप बिजली घर | Tuticorin Thermal Plant . . | 1525—1526 |
| 1642. शिक्षा मन्त्रालय के कार्य का निरीक्षण | Inspection of Work of Education Ministry | 1526 |
| 1643. उड़ीसा में अभावग्रस्त क्षेत्र | Scarcity Area in Orissa . | 1526 |
| 1644. केरल में बिजली का वितरण | Distribution of Electricity in Kerala | 1527 |
| 1645. केरल में एडामूलायर परियोजना | Edamulayar Project in Kerala . . | 1527 |
| 1646. विदेशी मुद्रा सम्बन्धी वार्षिक बजट | Annual Foreign Exchange Budget . | 1527—1528 |
| 1648. चौथी योजना के आंकड़ों में सुधार | Improvement of Statistics during Fourth Plan . . . . . . . | 1528 |
| 1649. खाली सरकारी क्वार्टर | Vacant Houses . . . | 1528—1529 |
| 1650. केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा परीक्षा | Central Engineering Service Examination . | 1529 |
| 1651. गुजरात में दूसरा तापीय बिजली घर | Second Thermal Power Station in Gujarat | 1529 |
| 1652. जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों का आन्दोलन | Agitation by L.I.C. Employees . | 1529—1530 |
| 1653. दिल्ली के अस्पतालों में काम करने वाले ड्राइवरों के लिए वर्दियां | Uniforms for Drivers in Delhi Hospitals . | 1530 |
| 1654. दिल्ली के अस्पतालों के ड्राइवरों के लिए सुविधाएं | Facility for Drivers in Delhi Hospitals . | 1530 |
| 1655. हिंडन हवाई अड्डे पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए भत्ता | Allowances to Employees posted at Hindon Airfield . . . . . | 1530 |

| विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|
| अ०प्र०संख्या U. Q. No. | | |


| | | |
|---|---|---|
| 1656. एम० बी० बी० एस० का संक्षिप्त पाठ्यक्रम | M.B.B.S. Condensed Course . . | 1531–1532 |
| 1657. एम० बी० बी० एस० का संक्षिप्त पाठ्यक्रम | M.B.B.S. Condensed Course . . | 1532 |
| 1658. कृन्तक प्राणियों (रोडैन्ट) का उन्मूलन | Rodent Eradication . . | 1532–1533 |
| 1659. नई दिल्ली में मिन्टो रोड और डी० आई० जैड० क्षेत्रों में भूमि | Land in Minto Road and D.I.Z. Areas, New Delhi . . . . . | 1533 |
| 1660. जनरल ड्यूटी मैडिकल आफिसर | General Duty Medical Officers . . | 1533 |
| 1661. बाल पक्षाघात का टीका | Polio Vaccine . . . . . | 1534 |
| 1662. मैसूर राज्य में गांवों में बिजली लगाना | Rural Electrification in Mysore State | 1534 |
| 1663. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आदेश में संशोधन करने के लिए प्रारूप विधेयक | Draft Bill to amend Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order . . | 1535 |
| 1664. बिहार में नलकूप | Tube Wells in Bihar . | 1535 |
| 1665. नर्मदा नदी पर जलसिन्धी बांध | Jalsindhi Bundh on River Narmada . | 1536 |
| 1666. केन्द्रीय लोक सहकारिता संबंधी अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्था | Central Institution or Research and Training in Public Cooperation . . | 1536 |
| 1667. केरल में सिविल तथा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर | Civil and Electrical Engineers in Kerala | 1536–1537 |
| 1668. वित्त मंत्रालय में अनुवादक | Translators in Finance Ministry | 1537 |
| 1669. रिज़र्व बैंक के कर्मचारियों के वेतन क्रम | Pay Scales of Reserve Bank Employees . | 1537 |
| 1670. ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करने के लिए नर्सों तथा कम्पाउन्डरों को प्रशिक्षण | Training to Nurses and Compounders for Service in Rural Areas . . . | 1538 |

| विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|
| प्र०प्र०संख्या U. Q. No. | | |
| 1671. स्वर्गीय राशबिहारी बसु की मूर्ति | Statue of Late Rashbehari Basu . | 1538 |
| 1672. आयकर विभाग द्वारा राशि प्रत्यार्पण (रिफंड) सप्ताह का मनाया जाना | Observance of Refund Week by Income-Tax Department . . . . | 1539 |
| 1673. लक्ष्मी कमर्शियल बैंक, दिल्ली | Laxmi Commercial Bank, Delhi | 1539 |
| 1674. न्यू मोतीनगर कालोनी, दिल्ली में जल सम्भरण | Water Supply in New Moti Nagar Colony, Delhi . . . . . . | 1539-40 |
| 1675. मैसूर में सिचाई परि-योजनाएं | Irrigation Projects in Mysore | 1540 |
| 1677. पूर्वी उत्तर प्रदेश का विकास | Development of Eastern U.P. | 1540-1541 |
| 1679. कावेरी पेय जल सम्भरण योजना | Cauvery Drinking Water Supply Scheme | 1541-1542 |
| अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना | Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance . . . . . . | 1542 |
| (1) पूर्वी क्षेत्र (ईस्टर्न ज़ोन) प्रतिरक्षा प्राधिकारियों द्वारा उस क्षेत्र में रेलवे के प्रबन्ध के प्रति विरोध (प्रोटेस्ट) के समाचार | (1) Reported protest by the Defence Authorities against Mismanagement of Eastern Railways . . . . . . . | 1542 |
| श्री यशपाल सिंह | Shri Yashpal Singh . | 1542 |
| डा० राम सुभग सिंह | Dr. Ram Subhag Singh . . | 1543 |
| (2) आग लगाने तथा लूट मार करने वाले किसी व्यक्ति को देखते ही गोली मार देने की शक्तियां दिल्ली पुलिस को प्रदान करने वाले आदेशों का प्रख्यापन | (2) Promulgation of Orders conferring powers on Delhi Police to Shoot at sight any person indulging in arson and looting | 1545 |
| श्री रंगा | Shri Ranga . | 1545 |
| श्री यशवन्तराव चव्हाण | Shri Y. B. Chavan . . | 1545 |
| ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में (प्रश्न) | Re. Calling Attention Notice (Query) | 1545 |

| विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|
| सभा पटल पर रखे गये पत्र | Papers Laid on the Table . . | 1545 |
| सदस्यों की गिरफ्तारी | Arrest of Members . . . . . | 1546 |
| (डा० राम मनोहर लोहिया तथा श्री राम सेवक यादव) | (Dr. Ram Manohar Lohia and Shri Ram Sevak Yadav). . . . . . . | 1546 |
| पंजाब नगरपालिका (दिल्ली संशोधन) विधेयक के बारे में याचिका | Petition re. Punjab Municipal (Delhi Amendment) Bill . . . . . . | 1550 |
| सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण | Personal Explanation by Member . . | 1550 |
| (श्री कमलनयन बजाज) | (Shri Kamalnayan Bajaj) . . . . | 1550 |
| अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेलवे) 1966–67 तथा | Demands for Supplemenatry Grants, 1966-67 and . . . . | 1551 |
| अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे) 1963–64 | Demands for Excess Grants, 1963-64 in respect of Railways . . . . | 1551 |
| श्री दीनेन भट्टाचार्य | Shri Dinen Bhattacharya . . . | 1551 |
| श्री रंगा | Shri Ranga . . . . . . | 1552 |
| श्री राधे लाल व्यास | Shri Radhelal Vyas . . . . | 1552 |
| श्रीमती रेणु चक्रवर्ती | Shrimati Renu Chakravartty | 1553 |
| श्री फ० गो० सेन | Shri P. C. Sen . . . | 1553 |
| श्री मुथिया | Shri Muthiah . . . . . . | 1554 |
| श्री हुकम चन्द कछवाय | Shri Hukam Chand Kachhavaiya . . | 1554 |
| श्री शिव नारायण | Shri Sheo Narain . . . . . | 1554 |
| श्री राम सहाय पाण्डेय | Shri R. S. Pandey . . . | 1554 |
| श्री मुहम्मद कोया | Shri Mohammed Koya . | 1555 |
| श्री विश्वनाथ पाण्डेय | Shri Vishwa Nath Pandey . | 1555 |
| श्री पे० वेंकटासुब्बया | Shri P. Venkatasubbaiah | 1555 |
| श्री सरजू पांडेय | Shri Sarjoo Pandey . . . | 1556 |
| श्री ह० च० लिंग रेड्डी | Shri H. C. Linga Reddy . . | 1556 |
| श्री तुलशी दास जाधव | Shri Tulsidas Jadhav . | 1557 |
| श्री अ० व० राघवन | Shri A. V. Raghvan . . | 1557 |
| श्री सूर्य प्रसाद | Shri Surya Prasad . . | 1558 |
| श्री ब्रज बिहारी मेहरोत्रा | Shri Braj Bihari Mehrotra . . | 1558 |
| श्री स० का० पाटिल | Shri S. K. Patil . . . | 1558 |




2369 (Ai) LSD—C

| | | |
|---|---|---|
| अनुपूरक अनुदानों की मांगें (केरल) 1966-67 और | Demands for Supplementary Grants (Kerala) 1966-67 and . . . . . | 1661 |
| अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (केरल) 1962-63 तथा 1963-64 | Demands for Excess Grants (Kerala 1962-63 and 1963-64 . . . . . | 1561 |
| श्री वासुदेवन नायर | Shri Vasudevan Nair | 1561 |
| श्री विश्वनाथ पाण्डेय | Shri Vishwa Nath Pandey . . . | 1562 |
| केन्द्रीय सतर्कता आयोग के पहले वार्षिक प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव | Motion Re. Ist Annual Report of General Vigilance Commission . . . | 1566 |
| श्री सिद्धेश्वर प्रसाद | Sh i Sidheshwar Prasad | 1566 |
| श्री नि० चं० चटर्जी | Shri N. C. Chatterjee . | 1567 |
| श्री दी० चं० शर्मा | Shri D. C. Sharma . | 1568 |
| श्री काशी राम गुप्त | Shri Kashi Ram Gupta | 1569 |
| श्री त्यागी | Shri Tyagi . | 1570 |

# लोक-सभा

# LOK SABHA

गुरुवार, 17 नवम्बर, 1966/26 कार्तिक, 1888 (शक)

**Thursday, November 17, 1966/Kartika 26, 1888 (Saka)**

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

*The Lok Sabha met at Eleven of the Clock*

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

## ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

**विदेशी ऋणों की अदायगी की अवधि में परिवर्तन**

+

*331. **श्री वासु देवन नायर :** **श्री वारियर :**
**श्री त्रिदीब कुमार चौधरी :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुपये के अवमूल्यन के बाद विदेशी ऋणों की अदायगी की अवधि में परिवर्तन कराने के लिये सरकार द्वारा किये गये प्रयासों में कोई सफलता मिली है और यदि हां, तो क्या ; और

(ख) क्या राष्ट्रमंडलीय वित्त मंत्री सम्मेलन तथा विश्य बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वार्षिक बैंकों में उन्होने इस संबंध में विश्व बैंक के अधिकारियों तथा भारत को ऋण देने वाले देशों के साथ बातचीत की थी ?

**वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) :** (क) बातचीत चल रही है। ऋणों की वापसी की अवधि में कुछ परिवर्तन किये जाने की सभावना है ।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि (इंटरनेशनल मोनेटरी फंड) और अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक (इंटरनेशनल बैंक फार रिकंस्ट्रक्सन एंड डवेलपमैण्ट) के वार्षिक अधिवेशन में मैंने अपने भाषण में विकासशील देशों की ऋणसंबंधी देनदारियों के तेजी से बढ़ने का जिक्र किया था।

**श्री वासुदेवन नायर** : अवमूल्यन के पश्चात् भारत सरकार को चौथी पंचवर्षीय योजना में कितने ऋण का भुगतान करना पड़ेगा? क्या ऋणों के अदायगी की अवधि में परिवर्तन के बारे में किसी देश ने कोई निश्चित वचन दिया है?

**श्री शचीन्द्र चौधरी** : मुझे खेद है कि ऋणों की अदायगी के बारे में मैं इस समय सही आंकड़े नहीं दे सकता। मुझे इसके लिये पूर्व सूचना चाहिये क्योंकि अदायगी और अवमूल्यन वाले दिन के संबंध के बारे में मुझे पता नहीं है।

जहां तक ऋणों का संबंध है ऋणों का भुगतान उन शर्तों के अनुसार किया जाना है, जिनके अन्तर्गत वे प्राप्त किये गये थे। भिन्न-भिन्न देश उस राशि के भुगतान के लिये कह सकते है जो मूल राशि अथवा उसके व्याज के रूप में उन्हें दी जानी है।

**श्री वासुदेवन नायर** : विशेषकर अवमूल्यन के पश्चात् देश की आर्थिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुये क्या सरकार ने ऋणों की अदायगी की अवधि बढ़वाने की वांछनीयता पर विचार किया है?

**श्री शचीन्द्र चौधरी** : जी नहीं। जैसे पहले संकेत दिया गया है, सरकार ऋणों की वापसी की अवधि में परिवर्तन कराने की कोशिश कर रही है तथा ऋणों की वापसी की अवधि बढ़ाये जाने की मांग नहीं कर रही है। हमारा देश इतना गरीब नहीं है। (**अन्तर्बाधाएं**) कि हमें ऋण देने वाले देशों से कहना पड़े कि "हमें और समय दो, हम पर ऋण वापस करने के लिये दबाब न डालो।"

**श्री अल्वारेस** : क्या सरकार ने पुनः वित्त प्राप्त करने तथा ऋणों की वापसी की अवधि में परिवर्तन कराने के लाभों का, उनकी तुलना करने की दृष्टि से, कोई अनुमान लगाया है और ऋण देने वाले देशों को अपने विचार व्यक्त कर दिये है?

**श्री शचीन्द्र चौधरी** : जी हां। सरकार ने सभी संभावनाओं का उचित मूल्यांकन किया है। जैसा मैंने कहा ऋणों की वापसी की अवधि में परिवर्तन कराने के संबंध में बातचीत चल रही है और आशा है कि कुछ परिवर्तन किये जा सकेंगे। इस समय मैं इससे अधिक कुछ नहीं कह सकता।

**श्री अल्वारेस** : मेरा प्रश्न था कि क्या पुनः वित्त प्राप्त करने के फायदों पर भी विचार किया गया था। आज के पत्रों में एक समाचार प्रकाशित हुआ है कि पुनःवित्त प्राप्त करना अधिक लाभदायक हो सकता है क्योंकि ब्रिटिश सरकार व्याज वसूल नहीं करेगी।

**श्री शचीन्द्र चौधरी** : यदि समाचार पत्रों में यह समाचार छपा है, तो यह अनुमान लगाना ठीक है कि सरकार भी इस मामले पर विचार करेगी। परन्तु प्रश्न यह नहीं है कि सरकार क्या करेगी अथवा क्या करना चाहती है। यह तो अन्य सरकारों की सहमति पर निर्भर करता है। जैसा मैंने कहा बातचीत की जा रही है और इस समय मैं इससे अधिक कुछ नहीं बता सकता।

**श्री रामनाथन चेट्टियार** : सरकार ने विदेशों से अल्पकालीन ऋण प्राप्त किये हैं और इस समय हमारी विदेशी मुद्रा की स्थिति अच्छी नहीं है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार उन देशों से अनुरोध करेगी कि थोड़े समय की बजाय अधिक समय के लिये नये ऋण करार किये जाएं।

**श्री शचीन्द्र चौधरी :** ऋण प्राप्त करने के लिने जब भी कोई करार किया जाता है तो अवधि, ब्याज की राशि तथा ऋण की शर्तों पर विचार किया जाता है और यह स्वाभाविक है कि सरकार अधिक से अधिक लाभप्रद शर्तों पर ऋण प्राप्त करने की कोशिश करेगी।

**श्री रंगा :** सरकार बार-बार कहती रहती है कि ये ऋण दिये जा रहे हैं और इनके साथ कोई राजनीतिक शर्त नहीं जुड़ी हुई है, आदि, आदि। परन्तु हाल ही में ऐसी क्या बात हुई है जिसके कारण वित्त मंत्री को ऋणदाता देशों द्वारा अपने ऋणों तथा अपने अन्य प्रस्तावों पर शर्तें लगाने के लिये किये जा रहे प्रयत्नों के खिराफ विरोध प्रकट करना पड़ा है। यह मैं समाचारपत्रों में छपे उनके भाषण के आधार पर कह रहा हूं।

**श्री शचीन्द्र चौधरी :** मुझे प्रशन्नता है कि श्री रंगा ने यह प्रश्न पूछा है। यदि उन्हें मेरे भाषण की प्रति चाहिये तो मैं उन्हें एक प्रति भेज सकता हूं। मैंने लंच पार्टी में जो भाषण दिया था उसका समाचारपत्रों ने यह अर्थ लगाया है। मैं समाचारपत्रों को दोष नहीं दे रहा हूं। मैंने केवल यह कहा है कि समाचारपत्रों ने मेरे उस भाषण का यह अर्थ लगाया है। मैंने वहां पर जो कुछ कहा था उसका केवल भारत से ही संबंध नहीं था। मैंने विकासशील देशों तथा विकसित देशों दोनों के बारे में कहा था और मैंने सुझाव दिया था कि जहां तक इस देश का संबंध है यदि ऋणों के साथ शर्त जोड़ने की कोई कोशिश की गई तो यह देश ऐसे ऋण स्वीकार नहीं करेगा।

**श्री श्यामलाल सर्राफ :** क्या मैं जान सकता हूं कि मुद्रा के अवमूल्यन के कारण ही ऋणों की वापसी की अवधि में परिवर्तन कराने की आवश्यकता महसूस हुई है? और यदि ऐसी स्थिति न होती तो, हमें करने की आवश्यकता न पड़ती?

**श्री शचीन्द्र चौधरी :** अवमूल्यन का इससे कोई संबंध नहीं है। अवमूल्यन का विदेशी मुद्रा की दृष्टि से रुपये की कीमत पर प्रभाव पड़ा। परन्तु जहां तक इस देश में रुपये की कीमत का संबंध है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। निश्चित अवधि के ऋणों की अदायगी के लिये तो निर्यात राशि प्रयोग में लाई जायेगी। इसलिये यह तो इस पर निर्भर करता है कि हम कितना निर्यात करते हैं स्वाभाविक है कि हम अपने प्रायोजनों के लिये अधिक धन चाहेंगे। इसलिये ऋणों के भुगतान में कठिनाई के कारण अवधियों में परिवर्तन नहीं कराया जा रहा है।

**श्री हेम बरुआ :** क्या यह सच है कि विश्व बैंक तथा सहायता देने वाली कुछ अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा सहायता तथा ऋण देने के अपने प्रस्तावों के साथ यह शर्त जोड़ी जा रही है कि पहले वे हमारे कार्य की प्रगति का अध्ययन करेंगी और यदि हां, तो इस के बारे में हमारी सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**श्री शचीन्द्र चौधरी :** यह कोई नई बात नही है। यह कुछ समय से हो रहा है। जहां तक हमारी सरकार की प्रतिक्रिया का संबंध है, सरकार यह महसूस करती है कि केवल यही एक कसौटी नहीं होनी चाहिये, अपितु अन्य मापदंड भी होने चाहिये। उदाहरण के लिये उस देश की जनसख्या भी एक मापदंड होना चाहिये और जिस क्षेत्र के लिये ऋण लिया गया है उससे भिन्न क्षेत्रों में विकास अथवा प्रगति भी एक मापदंड होना चाहिये आदि आदि। अतः सरकार की प्रतिक्रिया यह है कि केवल वही एक मापदंड नहीं होना चाहिये और हालांकि सहायता देने वाले देश प्रगति अवश्य जानना चाहेंगे परन्तु उसे सहायता के बाद नहीं जोड़ा जाना चाहिये।

**श्री श्र० ना० चतुर्वेदी :** माननीय मंत्री ने पश्चिमी देशों अर्थात् ऋण दाता देशों के कड़े रवैये का उल्लेख किया था । क्या मैं जान सकता हूं कि उनके विचार से क्या कारण है, कि उन्होंने कड़ी शर्तें लगाई हैं ?

**श्री शचीन्द्र चौधरी :** उनका कहना है कि उनकी अपनी व्यक्तिगत कठिनाइयां हैं और उनकी वैसी स्थिति नहीं है जैसे पहले थी ।

**श्रीमती सावित्री निगम :** अवमूल्यन के कारण हमारी परम्परागत निर्यात वस्तुओं अर्थात् चाय, पटसन और अन्य वस्तुओं के निर्यात से होने वाली कमाई में कितनी कमी हुई है और विदेशी ऋणों पर अन्य देशों में हमें ब्याज देते समय किस्तों के रूप में कितनी अधिक राशि देनी पड़ेगी ?

**अध्यक्ष महोदय :** यह सर्वथा भिन्न प्रश्न है ।

**Shri Yashpal Singh:** Government is after "more and more aid". How long shall we continue to depend on foreign loans? Is there any limit to it?

**श्री शचीन्द्र चौधरी :** जब तक हम विदेशी ऋणों के बिना काम नहीं चला सकते तब तक उनका सहारा लेना ही पड़ेगा । परन्तु हमारी इच्छा तो यही है कि उनसे हमें जल्दी से जल्दी छुटकारा मिले ।

## पांडिचेरी में विदेशी मुद्रा का गोलमाल करने वालों का गिरोह

*333. **श्री प्र० चं० बरुआ :** + **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक ऐसे सु-संगठित गिरोह का पता लगाया गया है जो मूलतः पांडिचेरी से काम करता था तथा जिसने लगभग पांच करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा का गोलमाल किया था; और

(ख) यदि हां, तो उस गिरोह का ब्यौरा क्या है तथा उसके कार्य करने का क्या तरीका है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** (क) और (ख). इस प्रसंग का सम्बन्ध 1 नवम्बर 1954 से पांडिचेरी-क्षेत्र के भारतीय संघ में विलय होने से पहले,तत्कालीन फ्रांसीसी सरकार द्वारा जारी की गयी "मंजूरियों" के आधार पर पांडिचेरी में "सीमा-शुल्क सम्बन्धी निकासी के परमिट" प्राप्त करने के संदिग्ध व्यवस्थित प्रयत्न से हैं । मामले की जांच-पड़ताल अभी भी जारी है ; इस लिए इसमें ग्रस्त विदेशी मुद्रा का अनुमान लगाना अथवा कार्यप्रणाली के ब्यौरे देना संभव नहीं है ।

**श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या सीमा शुल्क सम्बन्धी निकासी के जाली परमिट देने के काम में लगे पाये गये इस गिरोह (सिंडिकेट) को समाप्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो अब तक कितनी फर्मों को समाप्त किया गया है ? क्या हम उन फर्मों के नाम जान सकते हैं और क्या इसमें किन्हीं विदेशी फर्मों का भी हाथ था ? और इन विदेशी फर्मों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

**श्री ब० रा० भगत :** विभिन्न अभिकरण, जिनमें केन्द्रीय जांच विभाग, प्रवर्त्तन निदेशालय तथा आय-कर प्राधिकारी शामिल हैं, इस सारे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं । सही उत्तर देने के लिए हमें उस जांच पड़ताल के निष्कर्षों की प्रतीक्षा करनी होगी ?

**श्री प्र० चं० बरूआ** : क्या उस सिंडिकेट से बम्बई की कोई फर्में भी ये निकासी प्रमाणपत्र खरीदा करती थीं ? यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ?

**श्री ब० रा० भगत** : हां, बम्बई की फर्में भी हैं।

**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : हमारा अनुमान है कि पांडिचेरी के भारत में वास्तविक विलय से पहले तत्काली फ़ांसीसी शासन ने वहां पर विभिन्न फर्मों को जारी की गई मंजूरियों तथा पर्मिटों का पूरा लेखा-जोखा अवश्य ही रखा होगा। क्या वास्तविक विलय के समय यह लेखा जोखा भारत सरकार को सौंपा गया था? यदि हां, तो फिर यह पता लगाने में क्या कठिनाई पेश आ रही है कि क्या ये मंजूरियां खरी हैं अथवा नहीं ?

**श्री ब० रा० भगत** : हां, मंजूरियां दी गई थीं। यह भी छानबीन का एक विषय है कि उनमें से कितनी मंजूरियां खरी हैं और कितनी नकली।

**Shri Madhu Limaye:** I have got a list of 19 firms which have cornered these export clearance permits. I have received the following information:

> "Messrs. Madhusudan Goverdhandas, Mulji Jetha Market, Bombay, in collusion with Shri Balwant Singh, Delhi, and Shri Sohanlal Sharma also of Delhi and one Narayandas of Pondicherry have cornered customs clearance permits to the tune of about Rs. 80 lakhs issued to various Pondicherry parties in the years 1965 and 1966".

and they say:

> "Messrs. Madhusudan Goverdhandas are the real brains in the deal and........

**अध्यक्ष महोदय** : अब वे अपना प्रश्न पूछें।

**Shri Madhu Limaye:** And Mr. Speaker this is also there.

> "They have somehow or other managed to obtain the approval of the Reserve Bank of India for this transaction"

My question therefore is: whether Government has also received such informations and if so, whether investigations are being made in the light of this information and whether these investigation will be expedited? It should not be used as an excuse when questions are asked in the House.

**Mr. Speaker:** Order, order. He should put his question.

**Shri Madhu Limaye:** I can give you a list of 40 questions. But only one reply will be given that investigations are in progress. My question is: whether investigations are being made in the light of this information and whether these investigations will be completed soon so that this House may know the results of those investigations, otherwise it would serve as an excuse to evade replies to the questions asked here?

**Shri B. R. Bhagat:** Let him hear my reply first. There is no question of evading it. It is being investigated thoroughly. Various firms situated at various places including the firms mentioned by the hon. Member were searched. Many documents have been recovered and as I said the whole matter is under thorough investigation by the three agencies *viz.*, the Central Bureau of Investigation, Directorate of Foreign Exchange and Income-tax Department.

**Shri Madhu Limaye:** My question has not been replied to. I have told of a syndicate of four firms and I want a definite reply as to whether Government have received information about the misdeeds of the syndicate of these four firms?

**Shri B. R. Bhagat:** These four firms are also among them. If the hon. Member wants separate details, he should send his information to me. I shall enquire into and furnish the required information.

**Shri Madhu Limaye:** Yes, I am giving it.

**श्री जसवन्त मेहता :** पांडिचेरी क्षेत्र में कुल कितनी राशि की विदेशी मुद्रा जारी की गई थी और क्या वह वास्तविक उपभोक्ताओं को जारी की गई थी अथवा वह किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लिए जारी की गई थी और वह मुख्यतया किन-किन मदों के लिए जारी की गई थी ?

**श्री ब० रा० भगत :** राशि के बारे में मुझे पूर्व सूचना चाहिए क्योंकि मेरे पास यह जानकारी नहीं है। परन्तु जैसा मैंने कहा, ये लाइसेंस उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय के परिणामस्वरूप जारी किये गये थे कि भूतपूर्व पांडिचेरी राज्य द्वारा दी गई मंजूरियां वैध हैं।

**श्री जसवन्त मेहता :** क्या वे वास्तविक उपयोक्ताओं को जारी किये गये थे अथवा आयात कर्ताओं को ?

**श्री ब० रा० भगत :** जिनके पास मंजूरियां थीं।

## विदेशी सहायता का उपयोग

+

| | |
|---|---|
| *334. **श्री म० ला० द्विवेदी :** | **श्री स० चं० सामन्त :** |
| **श्री भागवत झा आजाद :** | **डा० म० मो० दास :** |
| **श्री सुबोध हंसदा :** | **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** |
| **श्री प्र० चं० बरुआ :** | **श्री बासप्पा :** |

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्राप्त की गई विदेशी सहायता अथवा ऋणों की राशि में से कितने प्रतिशत राशि का उपयोग गत तीन योजनाओं की अवधि में किया गया ;

(ख) क्या इस राशि में से काफी बड़ी राशि का उपयोग नहीं किया गया ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

**वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी):** (क) पिछली तीन आयोजनाओं की अवधि में, अधिकृत ऋणों की रकम की तुलना में ऋणों की इस्तेमाल की गयी रकम का प्रतिशत 71·5 बैठता है।

(ख) जी नहीं ।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

**Shri M. L. Dwivedi:** May I know what arrangements have been made by the Government to repay the loans taken from foreign countries from time to time? By what time they will be repaid and the interest likely to accrue on them?

**श्री शचीन्द्र चौधरी :** ये ऋण भिन्न-भिन्न देशों से, भिन्न-भिन्न करारों के अन्तर्गत, भिन्न-भिन्न अवधियों के लिए तथा भिन्न-भिन्न व्याज दरों पर प्राप्त हुए हैं। इसलिए मेरे लिए यह बताना कठिन होगा कि प्रत्येक ऋण की अवधि क्या होगी, प्रत्येक ऋण पर कितना ब्याज दिया जायेगा। और प्रत्येक मामले में मूलराशि क्या होगी। परन्तु मैं यह बता सकता हूं कि प्रति वर्ष ऋणदाता देशों को जो भी धनराशि दी जानी होती है, भारत सरकार उसका भुगतान करती रही है, और वह उसका भुगतान सामान्यतया निर्यात से प्राप्त हुई विदेशी मुद्रा में से करती है।

**Shri M. L. Dwivedi:** May I know whether there is some provision in the contracts to use the loans later on if somehow or other they are not used within the stipulated time or such loans have to be returned back? Have Government made some arrangements to use such loans afresh?

**श्री शचीन्द्र चौधरी :** मैं इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता कि भारत सरकार के सामने कभी ऐसी स्थिति भी आ जायेगी जब वह अपने ऋण दायित्वों को पूरा न कर सके। अतः शेष प्रश्न का उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा है कि हम ऋणों की वापसी की अवधि में परिवर्तन कराने अथवा नये सिरे से ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य से ऋणदाता देशों के साथ बातचीत कर रहे हैं।

**श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या यह सच है कि भारत सहायता कंसार्टियम के सदस्य देशों द्वारा लगाए गये अधिक ऋण सेवा शुल्कों के कारण ऋण प्राप्त करने तथा उनका प्रयोग करने में काफी मदद मिल रही है; यदि हां, तो प्रत्येक ऋणदाता देश किस दर से शुल्क वसूल करता है और तीन योजना अवधियों में इसमें कितनी वृद्धि हुई है ?

**श्री शचीन्द्र चौधरी :** जैसा मैंने कहा ये विभिन्न दरें एक दम से नहीं बताई जा सकतीं। यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो मैं यह जानकारी सभा पटल पर रख सकता हूं।

**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** वित्त मंत्री की स्वीकारोक्ति से भी ऐसा प्रतीत होता है, कि ऋणों तथा सहायता के 25 प्रतिशत भाग का प्रयोग नहीं किया जाता। यदि ऐसी बात है, तो क्या बुरे प्रबन्ध तथा गलत आयोजन के कारण ही ऐसा हो रहा है ?

**श्री शचीन्द्र चौधरी :** इन में से कोई भी बात नहीं है।

**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** प्रश्न का पहला भाग यह है कि लगभग 25 प्रतिशत ऋण प्रयोग में नहीं लाया जाता। मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि "इनमें से कोई भी बात नहीं"। उन्हें इसे स्पष्ट करना चाहिए।

**श्री शचीन्द्र चौधरी :** प्रश्न इस प्रकार पूछा गया था कि क्या इसका कारण ये अथवा अन्य रुकावटें हैं और मैंने उत्तर दिया कि कोई भी नहीं। मैं यही कह सकता हूं कि 71.5 प्रतिशत काम मे लाया गया है और शेष केवल इसी कारण काम में नहीं लाया गया कि जब योजना बनाई जाती है तो पहले उसका अनुमान लगाया जाता है, और यह सोचा जाता है कि इसकी कार्यान्विति में इतने वर्ष लगेंगे और साथ-साथ ऋण प्राप्त करने के लिए व्यवस्था की जाती है। इन सब बातों में से कोई भी कारण हो सकते हैं।

यह कारण भी हो सकता है कि पूरी कार्यान्विति, जिसके लिये समूचे ऋण की आवश्यकता थी, नहीं हुई है अथवा उसकी कार्यान्विति पर अनुमान से कम खर्च हुआ है और इसलिये कम धन का उप-

योग किया गया है। अथवा यह भी हो सकता है कि कुछ राशि का उपयोग न किया गया हो और इसके लिये नियत कुछ राशि स्थानीय साधनों तथा देशी साधनों से प्राप्त कर ली गई हो। इन सब बातों को ध्यान में रखा गया है।

**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** मेरी सब बातें आपने स्वीकार कर ली हैं।

**श्री शचीन्द्र चौधरी :** वास्तव में सिंघवी बहुत बुद्धिमान हैं और वह अपना अनुमान स्वयं लगा सकते हैं। मैं उन्हें अपनी बातों से सहमत नहीं कर सकता हूं।

**डा० म० मो० दास:** मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि हमें किस तिथि से ब्याज देना पड़ता है—ब्याज उस तिथि से देना पड़ता है, जिस तिथि को ऋण का प्रबन्ध किया गया हो अथवा उस तिथि से जिस से कि विदेशी ऋणों का वास्तव में उपयोग किया जाता है।

**श्री शचीन्द्र चौधरी :** भिन्न भिन्न करारों में भिन्न भिन्न प्रकार के प्रबन्ध किये गये हैं।

साधारणतया, जहां तक मुझे याद है, ऐसा कोई करार नहीं किया गया है जिसके अन्तर्गत ब्याज इस तिथि से आरम्भ होता हो, जिस तिथि को ऋण का प्रबन्ध किया गया था। वास्तव में होता यह है कि ब्याज उस तिथि से आरम्भ होता है जिससे किसी विशेष योजना का क्रियान्वयन आरम्भ किया जाता है अथवा उस तिथि से, जिससे कि उसमें उत्पादन आरम्भ हो जाता है अथवा दोनों पक्षों द्वारा सहमत उस तिथि से जिससे ऋण की अदायगी आरम्भ होती है।

**श्री स० चं० सामन्त :** क्या ऐसे मामले भी हैं जिनमें ऋण एक वर्ष से अधिक समय तक बिना उपयोग किये पड़ रहता है अथवा उसका अन्य परियोजनाओं में उपयोग करने का प्रयत्न किया जाता है ?

**श्री शचीन्द्र चौधरी :** इस प्रश्न में यह कल्पना की गई है कि एक ऋण एक वर्ष की अवधि से बिना उपयोग किये पड़ा रहता है। जब तक श्री सामन्त यह नहीं बताते कि उनका तात्पर्य किस विशेष ऋण से है, मेरे लिये इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है। दूसरे, यह इस बात पर निर्भर है कि ऋण देने वाले उस विशेष देश ने अथवा विशेष अभिकरण ने उस ऋण के साथ कोई विशेष शर्त लगाई है अथवा उसे यह भी स्वीकार्य है कि हम उस ऋण का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिये करें।

**श्री बी० चं० शर्मा:** माननीय मंत्री ने अभी बताया है कि केवल 75 प्रतिशत ऋणों का उपयोग किया जाता है और 25 प्रतिशत ऋण बिना उपयोग किये पड़े रहते हैं। यह बहुत दयनीय स्थिति है। गत तीन पंचवर्षीय योजनाओं में —अब हम चौथी योजना आरम्भ करने वाले हैं— सरकार ने क्या प्रयत्न किये हैं कि ऋणों की प्राप्ति तथा उनके उपयोग का अन्तर कम किया जाये तथा बिना उपयोग किये ऋणों की प्रतिशतता इतनी अधिक न हो कि 25 प्रतिशत ऋण बिना उपयोग पड़े रहें ?

**श्री शचीन्द्र चौधरी :** यह तो विवादास्पद प्रश्न है कि किसी बड़े कार्य में 25 प्रतिशत राशि का उपयोग न किया जाना बहुत अधिक है अथवा नहीं, इस मामले में मेरी राय भिन्न है। परन्तु जहां तक उपयोग करने का प्रश्न है यदि तीन पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि के बाद यह ज्ञात होता है कि उपयोग नहीं किया गया, तो भी इस समय यह कहना संभव नहीं है कि तीन पचवर्षीय योजनाओं की समाप्ति से पूर्व उपयोग करने के प्रयत्न किये जाने चाहिये थे।

**Shri Sheo Narain:** I want to know the amount of loan taken from U.S.A. so far and also the annual return and interest thereon.

**श्री शचीन्द्र चौधरी :** यह बताने के लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये कि किसी विशेष देश ने कोई ऋण दिया है अथवा नहीं और यदि दिया है तो कितना और उस पर कितना ब्याज देना है ।

**Shri Sarjoo Pandey:** I want to know whether that 25 per cent unutilised loan has been returned by Government to the countries concerned or Government have drawn up a programme to utilise the same?

**श्री शचीन्द्र चौधरी :** जब हम कोई ऋण लेते हैं तो वास्तव में भारत में रुपया नहीं लाया जाता, बल्कि वस्तुएं खरीदने के लिए वह रुपया उपलब्ध किया जाता है और इस अर्थ में उसे ऋण कहा जाता है । यदि कुछ प्रतिशत से अधिक ऋण का उपयोग नहीं किया गया है तो इसका अर्थ है कि उपनी उपलब्ध राशि का प्रयोग नहीं किया गया है ।

यदि किसी उपलब्ध राशि का निश्चित कालावधि में उपयोग नहीं किया गया है तथा उसके उपयोग के लिये समय सीमा निर्धारित है, तो उस समय के बाद उसका उपयोग नहीं किया जा सकता । जिस मामले में समय सीमा की शर्त नहीं होती, उसमें ऋण को भविष्य के लिये रखा जाता है । प्रत्येक मामले का ठीक उत्तर देने के लिये मुझे प्रत्येक मामले को देखना होगा ।

**श्री हेम बरुआ :** क्या ऋण देने वाले कुछ देश, बिश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय ऋणदाता अभिकरण हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना को वित्त पोषित करने के लिये अधिक सहायता देने में इसलिये संकोच कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ऋणों का उपयोग करने में पूरी क्षमता, उत्साह तथा दूरदर्शिता से काम नहीं लेती है ।

**श्री शचीन्द्र चौधरी :** मुझे यह बात मान्य नहीं है कि ऋणों का उपयोग करने में क्षमता, उत्साह तथा दूरदर्शिता की कमी है । जहां तक ऋणों के उपयोग न किये जाने का सम्बन्ध है, जैसा कि मैंने पहले कहा है कुछ अभिकरण हमारी प्रगति पर अवश्य ध्यान रखते हैं । परन्तु यह बात केवल भारत पर ही लागू नहीं होती ।

हम उन देशों की प्रगति पर ध्यान रख रहे हैं, जो हमसे ऋण प्राप्त करते हैं, चाहे वह घाना हो अथवा कोई अन्य देश और चाहे वह कोई अफ्रीकी देश हो अथवा एशियाई । हम उन पर वही सिद्धान्त लागू करने का प्रयत्न कर रहे हैं, जो हम पर लागू किया जा रहा है ।

**श्रीमती सावित्री निगम :** मैं जानना चाहती हूं कि यह बात कहां तक सत्य है कि विदेशों से हमें जितने ऋण प्राप्त होते हैं, उनमें ब्याज की दर, सेवा शुल्क तथा ब्याज की अदायगी की शर्तों के लिहाज से—चाहे उन ऋणों का उपयोग किया गया है अथवा नहीं—अमरीका से प्राप्त होने वाले ऋण सब से खराब हैं ?

**श्री शचीन्द्र चौधरी :** यह सच नहीं है ।

**श्री प्रिय गुप्त :** मंत्री महोदय ने कहा है कि लगभग 25 प्रतिशत ऋण बिना उपयोग किये पड़े रहते हैं और मैं समझता हूं कि अवश्य ही ये सब ऋणों के औसत आंकड़े हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा भी ऋण है जिसका एक प्रतिशत भी उपयोग न किया गया हो अथवा जो 50 प्रतिशत से अधिक बिना उपयोग किये पड़ा हो और यदि हां, तो वे किस-किस परियोजना के लिये किये गये हैं और कौन-कौन से हैं ?

**श्री शचीन्द्र चौधरी :** इसके लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

**श्री प्रिय गुप्त** : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सूचना सभा-पटल पर रखी जा सकेगी ? मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप वित्त मंत्री को इस सूचना को सभा पटल पर रखने के लिये कहें ।

**श्री शचीन्द्र चौधरी** : जैसा कि मैंने कहा है इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये । अब नोटिस प्राप्त हो गया है, इसका उत्तर या तो सभा पटल पर रख दिया जायेगा अथवा सभा में दे दिया जायेगा ।

**सिक्योरिटी पेपर मिल**

+

*335. **डा० म० मो० दास** :
**श्री स० चं० सामन्त** :
**श्री भागवत झा आजाद** :
**श्री सुबोध हंसदा** :
**श्री म० ला० द्विवेदी** :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्योरिटी पेपर मिल का निर्माण-कार्य, जिसमें चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक उत्पादन आरम्भ हो जाने की सम्भावना है, निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और कब तक निर्माण-कार्य पूरा हो जाने की सम्भावना है ; और

(ग) क्या करेंसी या बैंक नोट कागज तैयार करने के लिये सभी कच्चा माल भारत में उपलब्ध है ?

**वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) जी हां । यदि कोई अप्रत्याशित घटना न घटी, तो परीक्षण के तौर पर, पहली दो मशीनों के मार्च, 1967 के अन्त तक और बाकी दो मशीनों के जून, 1967 के अन्त तक चालू हो जाने की आशा है ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

(ग) कच्चे माल का काफी बड़ा भाग, भारत में ही उपलब्ध है ।

**डा० म० मो० दास** : इस मिल की स्थापना के लिये कुल कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता थी तथा वह किस देश से प्राप्त की गई थी ?

**श्री ल० ना० मिश्र** : ब्रिटेन के मैसर्स पोरटाल्स लिमिटेड के साथ सहयोग करार किया गया है ।

**डा० म० मो० दास** : विदेशी मुद्रा कितनी है ?

**श्री ल० ना० मिश्र** : वास्तविक राशि बताने के लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

**डा० म० मो० दास** : क्या इस मिल का उत्पादन केवल हमारी मांगों को पूरा करने के लिये पर्याप्त होगा अथबा कुछ माल फालतू भी होगा अथवा जिसका निर्यात किया जा सके ?

**श्री ल० ना० मिश्र** : मेरे विचार में यह हमारी सब आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकेगा । इसलिये इस समय फालतू माल का कोई प्रश्न ही नहीं है ।

**Shri M. L. Dwivedi:** I am surprised to note that though the notice for this question was given more than a month ago and it was expected that the Minister would reply all the supplementaries asked by the Members, but he has stated that he would require notice for that. Is it not possible for him to furnish that information now? May I know whether all the raw materials for the paper that will be produced in the Security Paper Mill will be available in the country or it will be imported and if so, the extent thereof? I would like to know what commission will be paid to the firm to which has been given contract of this Mill?

**Shri L. N. Mishra:** The hon. Member seems to be irritated. I have the necessary information available with me. He wanted to know the amount for which I required notice. So far as the question of raw materials is concerned a substantial portion of that is available in India, but some materials like malanium, resincide gillton and security thread, etc., have to be imported.

**Shri M. L. Dwivedi:** I also wanted to know the amount of the Commission to be paid to the foreign firm to whom contract has been given.

**Shri L. N. Mishra:** The contract has been given for construction. The materials will be imported by inviting tenders.

**श्री स० चं० सामन्त :** इस मिल के कच्चे माल के रूप में प्रयोग करने के लिये कुछ देशी माल का अनुसन्धान प्रयोगशाला में परीक्षण किया जा रहा था। मैं जानना चाहता हूं कि इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

**श्री ल० ना० मिश्र :** बैंक नोट का कागज बनाने के आवश्यक कॉटन रैग्ज तथा हैम्प देश में उपलब्ध हैं तथा उनकी वसूली की जा रही है। जहां तक अन्य कच्चे माल का सम्बन्ध है, हमें उसका आयात करना होगा। श्री द्विवेदी के प्रश्न का उत्तर देते समय मैंने इसका उल्लेख किया था।

**श्री हरि विष्णु कामत :** यह मिल होशंगाबाद में है।

**श्री ल० ना० मिश्र :** वह आपका निर्वाचन क्षेत्र है ।

**श्री हरि विष्णु कामत :** तभी तो मैं उससे सुपरिचित हूं। क्या यह सच है कि कुछ अत्यावश्यक मशीनें कई महीनों तक बम्बई में पड़ी रहीं और उन्हें बहुत समय बाद होशंगाबाद लाया गया, तथा जिस ठेकेदार को भवन के निर्माण कार्य का ठेका दिया गया था, उसने भी अपने कार्य में बहुत विलम्ब किया है और यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

**श्री ल० ना० मिश्र :** यह सच है कि कारखाने के लगाने तथा बनाने में अनावश्यक विलम्ब हुआ है। यह भी सच है कि कुछ मशीनें विशेषतया सुपर इकानामिक बॉयलर तथा कनेक्टर इन्स-टालेशन देर से आई, परन्तु अब संयंत्र लगाने का काम किया जा रहा है।

**श्री हरि विष्णु कामत :** जो व्यक्ति इसके जिम्मेदार पाये गये उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? क्या कोई कार्यवाही करनेप्का विचार है ?

**श्री ल० ना० मिश्र :** यदि अनावश्यक विलम्ब हुआ है तो विभाग कार्यवाही करेगा परन्तु अभी तक मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है।

**श्री हरि विष्णु कामत :** श्रीमान्, एक परस्पर विरोधी बात है। अभी उन्होंने कहा था कि विलम्ब हुआ है और अब कहते हैं कि कोई अनावश्यक विलम्ब नहीं हुआ है। मैं इस

बात को बिल्कुल नहीं समझ सका। क्या आप कुछ समझे हैं? क्या आप इस मामले में मेरी सहायता करेंगे?

**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने कहा है कि कुछ मशीनें देर से प्राप्त हुई थीं और यदि कुछ बिलम्ब हुआ है तो कार्यवाही की जायेगी?

**श्री हरि विष्णु कामत** : उन्होंने स्वीकार किया है कि देरी हुई है।

**अध्यक्ष महोदय** : देरी मिल के लगाने में हुई है।

**श्री ल० ना० मिश्र** : हम इस मामले में ठेकेदार के काम से खुश नहीं हैं। कुछ अप्रत्याशित कारण थे जिन से देरी हुई। समय सीमा के निर्धारण में भी कुछ खामियां थीं जैसा कि वर्षा तथा यातायात की सुविधाओं की कमी पर ध्यान नहीं दिया गया था।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि क्या वे मशीनें बहुत समय तक बम्बई बन्दरगाह पर पड़ी रहीं।

**श्री ल० ना० मिश्र** : यह तो मैं नहीं कह सकता परन्तु कुछ मशीनें देर से प्राप्त हुई थीं तथा उन्हें समय पर नहीं लाया गया था। यह सच है।

**अध्यक्ष महोदय** : क्या ठेकेदार को इस का जिम्मेदार पाया गया था तथा उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही की जा रही है?

**श्री ल० ना० मिश्र** : इस का हम पता लगायेंगे।

**श्री रंगा** : श्रीमान्, मंत्री महोदय बड़े बहकाने वाले उत्तर दे रहे हैं, जिससे अधिकारियों के पक्ष का समर्थन होता है। सब से पहले उन्होंने स्वीकार किया था कि देरी हुई है। फिर मंत्री महोदय के यह कहने की क्या आवश्यकता थी कि अनावश्यक देरी नहीं हुई? जब वह वहां इस प्रकार का वक्तव्य देते हैं तो देरी के जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करेंगे?

**Shri Hukam Chand Kachhavaiya**: Has any action been taken against the contractor? How much loss has been incurred due to carelessness on the part of Government? Has any inquiry been made in this regard?

**Mr. Speaker:** This question has been replied.

Next question.

## उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्य मंत्री की कर-देयता

+

*336. **श्री मधु लिमये** : **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** :
**श्री किशन पटनायक** : **श्री हेम बरुआ** :
**श्री हरि विष्णु कामत** :

**क्या वित्त मंत्री** 1 सितम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4015 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्य मंत्री तथा उन कम्पनियों और फर्मों द्वारा, जिनसे उनका संबंध रहा है, कर की देय राशि अथवा कर अपवंचन के बारे में जांच इस बीच पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो न्याय-निर्णय/अभियोग/मध्यस्थ निर्णय के रूप में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ग) उपर्युक्त उत्तर में उल्लिखित संदिग्ध धमकियां किन व्यक्तियों द्वारा दी गई हैं ; और

(घ) क्या विभिन्न केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा उक्त धमकियां देने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है ; यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत)**: (क) और (ख). कलिंग फाउन्डेशन ट्रस्ट के कर-दायित्व और श्री बिजू पटनायक के वैयक्तिक मामले के सम्बन्ध में आयकर विभाग द्वारा की जा रही जांच पूरी हो चुकी है और विभाग द्वारा इकट्ठा किया गया साक्ष्य निर्धारिती के सामने रखा गया है। निर्धारिती द्वारा जो उत्तर दिया जायेगा उस पर और साक्ष्य पर विचार करने के बाद ही अन्तिम निष्कर्ष निकाला जा सकेगा। श्री पटनायक से सम्बन्धित अन्य कम्पनियों के सम्बन्ध में अभी जांच पड़ताल की जा रही है।

(ग) धमकियों के स्रोत के बारे में कोई पूछताछ नहीं की गयी।

(घ) यह सवाल ही नहीं उठता।

**Shri Madhu Limaye**: Mr. Speaker, he has stated that as regards other concerns the investigations are still in progress. Just now the Public Accounts Committee have submitted their 60th Report in which many revelations have been made regarding Kalinga Airways which have direct bearing on taxation. The Public Accounts Committee have detailed the irregularities at page 12 of their report:

> "Verifying the capacity, capability and financial condition and stability of the company;" that is, Kalinga Airways.
>
> "making any comparative study of the rates quoted by the Company with those paid to other companies who had either worked or were working for the NEFA Administration;"

I will not read it whole, but I will read only a specific line:

> "giving an opportunity to the other two companies who had responded to the tender notice, to re-quote if they desired, when a decision to award the contract for a longer. period (3 years instead of one year) had been taken".

**Mr. Speaker**: So many illegal things have taken place as the matter of overpayment has not so far been decided with them. I would like to know from the hon. Minister whether on the basis of the 60th Report, so far as it relates to Kalinga Airways in which the ex-Chief Minister of Orissa Shri Biju Patnaik is also involved, whether Government have decided to make enquiries afresh?

**Shri B. R. Bhagat**: As the hon. Member has stated the Report has been received recently and the remarks of the Public Accounts Committee regarding Kanlinga Airways will be taken into consideration in the investigation which is in progress.

The investigation which is going on is regarding tax liabilities, but the financial irregularities, etc., which have been mentioned and which a bearing on tax liabilities will also be enquired into.

**Shri Madhu Limaye:** In the same report reference has been made about the renewal of the contract at page 33, which says that the then Defence Minister was not in favour of extending the contract and he had said:

> "he was of the opinion that the work connected with defence operations should be done by the Air Force by acquiring extra aircraft, etc."

But the Public Accounts Committee further says:—

> "The thinking in the Ministry of Defence apparently underwent a radical change subsequently, for reasons not easy to understand".

Last time also the Public Accounts Committee have made a reference to Amin Chand Pyare Lal Company. The present Home Minister was the then Defence Minister, who used to do such things. The Public Accounts Committee is a Committee of the whole House. All the remarks made by the Committee have a direct bearing on tax evasion and I want to know from the hon. Minister whether he has collected information in this regard and if not the reasons for which the contract was given to the Kalinga Airways should be found out in view of the Public Accounts Committee's Report. The Public Accounts Committee is a Committee of this House and they are unable to understand the reasons for which the contract was given. So I would like to know whether an investigation will be made?

**Shri B. R. Bhagat:** As I have already stated the matters referred to by the Public Accounts Committee as affecting the tax liability will certainly be investigated. But unless I receive the investigation report......

**Shri Madhu Limaye:** I can give you short report. You can see it.

**Mr. Speaker:** He is saying about the investigation report.

**Shri Madhu Limaye:** The present session of Lok Sabha ends on the 2nd of December and after that there will be lame-duck Session, so when all these matters will be brought? Will they be brought before the elections or not?

**Mr. Speaker:** How can I say that?

**Shri Madhu Limaye:** They are hiding all matters. It is a band of thieves.

**Shri Sinhasan Singh:** Can a Minister say that he has not received the report of the Public Accounts Committee while the same has been laid on the Table?

**Shri Madhu Limaye:** He has said this.

**Mr. Speaker:** He has not said that. He has said regarding the investigation report.

**Shri B. R. Bhagat:** The hon. Member has not heard aright. I never said that. The Public Accounts Committee Report is available to everyone.

**श्री हरि विष्णु कामत :** मेरा नाम इस प्रश्न के साथ जोड़ा गया है परन्तु मैं जो प्रश्न पूछना चाहता हूं वह इससे थोड़ा भिन्न है और इसका सम्बन्ध उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री बिजोय नन्द पटनायक द्वारा कुछ वर्ष पूर्व दिये गये इस कथित वक्तव्य से है कि 10 वर्ष पूर्व वह एक गरीब व्यक्ति था और अब उसकी हैसियत 10 करोड़ रु० की है। उनके द्वारा दिया गया कथित वक्तव्य इस प्रकार है :—

> "10 वर्ष पूर्व मैं एक बहुत ही गरीब व्यक्ति था, अब मेरी हैसियत 10 करोड़ रुपये की है ; मुझे खेद है कि मेरे पास इससे अधिक नहीं है।"

इस पर प्रश्न उठाया गया था और पिछले दो वर्षों से उसका अनुसरण किया जा रहा था। क्या उस राशि के बारे में जांच की गई है, क्या वह कम है या ज्यादा है और यदि हां, तो क्या उस राशि पर कर दिया गया है। इस जांच के बारे में क्या स्थिति है ? क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो को इस मामले की जांच सौंपी गई है तथा इस बारे में केन्द्रीय सरकार का कोई अधिकरण जांच कर रहा है ?

**श्री ब० रा० भगत :** यह धन यदि उन्होंने कमाया है तो या तो व्यक्तिगत रूप से या कम्पनियों में कमाया है। क्योंकि सभा में यह कहा गया था कि इसका सम्बन्ध एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से है, इसलिये हमने उनकी व्यक्तिगत आय के मूल्यांकन को और कालिंग ट्रस्ट को, जिसने कि सभा का ध्यान आकृष्ट किया था अलग कर दिया और हमने पहले इन मामलों को लिया और जांच को पूरा किया। अब, अनेक कम्पनियां हैं जिनमें वह या तो निदेशक हैं या उनमें उनका कोई हित है और उनकी जांच की जा रही है। अतः तथ्यों का पता लग जायेगा।

**श्री हरि विष्णु कामत :** इसकी जांच कौन कर रहा है ?

**श्री ब० रा० भगत :** आयकर अधिकारी।

**श्री रंगा :** आयकर अधिकारियों के बावजूद उन्होंने 10 करोड़ रुपये जमा कर लिये हैं।

**श्री ब० रा० भगत :** हमें पहले तथ्यों को देखना चाहिये।

**श्री रंगा :** तथ्य ये हैं।

**श्री हेम बरुआ :** जब श्री बीजू पटनायक और कालिंगा एयरवेज़ द्वारा की गई अनियमितताओं का इस सभा में स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया था, तो सरकारी वक्ता ने पहले से तैयार किये गये उत्तरों द्वारा सारे मामले को ढकने का प्रयत्न किया। इस कम्पनी को नेफा में विमानों द्वारा भोजन सामग्री गिराने का काम सौंपा गया और निशाने तक पहुंचने के बारे में करार में एक खंड था। उन्होंने केवल एक तिहाई सामग्री को नेफा में गिराया और शेष सामग्री को निशाना चूकने का बहाना करके आसाम की स्थानीय मण्डी में चोरबाजारी से बेच दिया। इन सब बातों के बारे में सभा में बताया गया था और मुझे खेद है कि इन आरोपों की जांच करने की बजाय सरकारी वक्ता ने सभी तरह के उत्तरों द्वारा सारे मामले पर पोता फेरने का प्रयत्न किया है। लोकलेखा समिति ने इन सब अनियमितताओं का उल्लेख किया था। क्या सरकार श्री बीजू पटनायक को इसलिये संरक्षण देना चाहती है कि वह एक कांग्रेस दल में एक रसूख वाला व्यक्ति है और देश को तबाह होने देना चाहती है ? (व्यवधान)

**श्री त्यागी :** कांग्रेस दल का नाम क्यों लिया जाता है ? (व्यवधान)

**Shri Madhu Limaye:** What else is this if not Congress?

**श्री हेम बरुआ :** वह कांग्रेस दल से है...... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** शांति, शांति। इसका अनंगीकार करना मंत्री महोदय के लिये है।

**श्री रंगा** : वे उनकी रक्षा कर रहे हैं।

**श्री ब० रा० भगत** : इस मामले में एक भी ऐसा साक्ष्य नहीं है कि प्रतिपक्षी सदस्य यह कह सकें कि सरकार किसी व्यक्ति को बचा रही है। दूसरी ओर...... (**व्यवधान**) हमने इस मामले का जोरशोर से अनुसरण किया है बावजूद इसके कि एक महत्वपूर्ण व्यक्ति इसमें अन्तर्ग्रस्त है। कठिनाई यह है...... (**व्यवधान**)

**Shri Madhu Limaye:** Nothing has been done. He is mis-stating the facts.

**श्री हेम बरुआ** : यद्यपि श्री बीजू पटनायक एक बिल्कुल भ्रष्ट व्यक्ति है, फिर भी वह भारत के प्रधान मंत्री बनने का स्वप्न देख रहे हैं (**व्यवधान**)।

**श्री ब० रा० भगत** : कठिनाई यह है कि जो कुछ कहा गया है वह कोई पहले से घड़ा हुआ तथ्य या ऐसी कोई चीज़ नहीं है परन्तु यह तो पहले से दिया गया साक्ष्य है जोकि लाया गया है और एक जिम्मेदार सरकार को किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले तथ्यों का विश्लेषण करना होता है।

**श्री त्यागी** : माननीय मंत्री ने कहा कि आयकर वंचन सम्बन्धी प्रतिवेदन मंत्रालय को दे दिया गया है और यह कि करदाता से अपना स्पष्टीकरण देने के लिये कहा गया है। अपना वक्तव्य देने के लिये उनसे कब कहा गया था और किस समय तक मामले पर अन्तिम निर्णय हो जायेगा? चूंकि कांग्रेस का नाम लिया जा रहा है, इसलिये मुझे आशा है कि इसमें शीघ्र कार्यवाही की जायेगी।

**श्री ब० रा० भगत** : जहां तक इन दो मामलों का सम्बन्ध है जिनमें कि जांच पूरी हो गई है, 31 अक्तूबर को ही उनको सूचना दी गई है, जहां वह कुछ समय चाहते हैं। कुछ समय दे दिया जाये। परन्तु निश्चय ही चुनाव से काफी पहले इस पर निर्णय कर लिया जायेगा।

**श्री रंगा** : यह व्यक्ति राष्ट्रीय विकास परिषद् में क्यों उपस्थित था जिसको कि मंत्रि-मण्डल से भी बड़ा समझा जाता है और जिसमें केवल राज्यों के मुख्य मंत्री और केन्द्र के कुछ मंत्री ही भाग ले सकते हैं? ऐसे बदनाम व्यक्ति को इसमें क्यों आमन्त्रित किया गया था?

**श्री ब० रा० भगत** : यह मामला सभा में उठाया गया था और इसका स्पष्टीकरण कर दिया गया था।

**श्री रंगा** : वित्त मंत्री तो राष्ट्रीय विकास परिषद् के सदस्य हैं।

## भारतीय रुपये का विनिमय मूल्य

*337. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारतीय मुद्रा हांककांग, बैंकाक तथा दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों में विनिमय संबंधी लेनदेन के लिये प्रयोग में लाई जाती है और अव-मूल्यन के पश्चात् भी भारतीय मुद्रा बहुत कम मूल्य पर दी जाती है;

(ख) क्या सरकार ने इन आंकड़ों के अध्ययन के लिये कोई व्यवस्था कर रखी है ;

(ग) यदि हां, तो अवमूल्यन के पश्चात् उस अध्ययन के क्या परिणाम निकले हैं ;

(घ) क्या सरकार भारतीय मुद्रा के अवैध निर्यात और विदेशों में उसके विनिमय के तरीकों तथा इस प्रकार के विनिमय और निर्यात के आकार का पता लगाने में सफल रही है और किन प्रयोजनों के लिये इसको प्रयोग में लाया जाता है ; और

(ङ) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी):** (क) जी हां। सरकार जानती है कि दक्षिण-पूर्व एशिया के कुछ देशों में भारतीय चलार्थ का विनिमय सौदों में प्रयोग किया जाता है और इन सौदों में भारतीय मुद्रा कम मूल्य पर दी जाती है।

(ख) जी हां।

(ग) गैर-सरकारी मण्डियों में, जिनके लिये कि भाव उपलब्ध हैं, भारतीय रुपया हाल के सप्ताहों में 25 प्रतिशत कम पर बिकता रहा है।

(घ) और (ङ). भारतीय मुद्रा में अनधिकृत सौदों का निश्चित रूप से यह तरीका है कि यह मुद्रा अवैध रूप से निर्यात की जाती है या ले जाई जाती है और भारत आने वाली कम्पनियों को बेच दी जाती है। प्राधिकृत तरीकों से किये गये विदेशी मुद्रा के कुल सौदों की संख्या की तुलना में इस प्रकार के सौदों की संख्या बहुत कम है।

**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** निर्यात प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत जिन लोगों को सुविधाएं दी जाती हैं क्या वे लोग विदेशों में भारतीय मुद्रा के स्तर को गिराने के लिये इसका दुरुपयोग करते हैं ?

**श्री शचीन्द्र चौधरी :** यह कहना सही नहीं है कि जिन लोगों को निर्यात प्रोत्साहन सम्बन्धी सुविधाएं दी जाती हैं वे किसी भी तरीके से भारतीय मुद्रा के स्तर को गिराने के लिये इसका दुरुपयोग करते हैं। इस प्रकार के एक या दो मामले हो सकते हैं ; मैं कुछ नहीं कह सकता। यदि डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी या यह सभा इसके जानने में रुचि रखती है तो मैं यही कहूंगा कि सामान्यतः जैसाकि मैंने कहा, बहुत थोड़ा दुरुपयोग किया जाता है और वह भी विदेशी विलास वस्तुएं लेने या थोड़ा बहुत सोना लेने के लिये किया जाता है।

**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** अवमूल्यन के समय यह कहा गया था कि अवमूल्यन का उद्देश्य रुपये के बाहरी मूल्य को प्रचलित मूल्य के स्तर पर लाना था। क्या सरकार अब यह महसूस नहीं करती है कि अवमूल्यन से जो लाभ होने थे वे जादूगर के खरगोश की तरह उड़ गये हैं और यह कि मतलब वास्तव में इन कुरीतियों और इस देश के निर्यात व्यापार में गिरावट आ जाने के कारण अवमूल्यन से होने वाले लाभ उड़ गये हैं।

**श्री शचीन्द्र चौधरी :** जी नहीं, इस बात पर मैं अपने माननीय मित्र से सहमत नहीं हूं। यह कहा गया था कि अधिक समता स्थापित करने के लिये ऐसा किया गया था न कि यह कि यह कोई ऐसी चीज़ है जिसको कि तराजू में रखा जा सके और पता लगाया जा सके

कि क्या समता स्थापित हो गई है। परन्तु तब से अब तक रुपया और विदेशी मुद्रा के मूल्य का अन्तर काफी कम हो गया है, और जो अन्तर पहले 50 प्रतिशत था वह अब 30 प्रतिशत है और जो 35 प्रतिशत था वह अब 25 प्रतिशत है। यह कहना सही नहीं है कि अवमूल्यन के लाभ उड़ गये हैं। अवमूल्यन के लाभ अब महसूस होने लगे हैं।

**श्री राम सहाय पांडेय :** क्या यह सच नहीं है कि बहुत से व्यक्ति विदेश जाते हुए अपने साथ भारतीय मुद्रा ले जाते हैं और यदि हां, तो क्या वे सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा पकड़े गये हैं, यदि हां, तो उनका व्यौरा क्या है?

**श्री शचीन्द्र चौधरी :** यह प्रश्न मूल प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है और मेरे पास इसका व्यौरा भी नहीं है। परन्तु यह धारणा है कि भारतीय मुद्रा किसी तरीके से बाहर चली जाती है ; ऐसा डाक द्वारा होता हो या विदेश यात्रा करने वाले व्यक्ति द्वारा ऐसा किया जाता है ; मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता हूं।

**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** क्या अवमूल्यन का उद्देश्य डॉलर और पौंड जैसी विदेशी मुद्रा के स्तर तक लाना था और अब भी उनमें अन्तर है और यदि हां, तो इस अन्तर को दूर करने के लिये सरकार भविष्य में क्या करना चाहती है?

**श्री शचीन्द्र चौधरी :** जहां भी दो देशों की मुद्रा होती है और वे एक दूसरे में बदली जा सकती हों तो अवैध सौदों में कुछ न कुछ शिथिलता होती ही है। परन्तु जहां तक वैध सौदों का सम्बन्ध है, जैसाकि मैंने अभी बताया इस समय इस देश की मुद्रा स्थिति में सुधार है।

जहां तक अवैध सौदे करने वाले व्यक्तियों को पकड़ने का सम्बन्ध है, हम उनको पकड़ने के लिये प्रत्येक संभव प्रयत्न कर रहे हैं।

**श्री कृ० चं० पन्त :** माननीय मंत्री ने कहा कि रुपया अब अपने स्तर से 25 प्रतिशत नीचे है परन्तु यह प्रवृत्ति सुधार की ओर है। मैं जानना चाहता हूं कि अवमूल्यन के तुरन्त बाद क्या स्थिति थी और मुख्य प्रवृत्ति क्या रही है?

**श्री शचीन्द्र चौधरी :** यह कहना सही नहीं है कि यह अपने स्तर से 25 प्रतिशत नीचे है। मैंने यह कहा था कि इन अवैध सौदों में रुपये का मूल्य 25 प्रतिशत कम पाया गया था।

प्रश्न का दूसरा भाग भी है, और मैं कहूंगा कि प्रवृत्ति बहुत अच्छी रही है। वह अन्तर अब लगभग चला आ रहा है। वास्तव में, कुछ देशों में यह अन्तर कम हो गया है ; उदाहरणार्थ हांगकांग और सिंगापुर में यह अन्तर कम हो गया है। परन्तु अमरीका और ब्रिटेन का जहां तक सम्बन्ध है यह अन्तर कुछ बढ़ा है। अतः औसत तौर पर यह अन्तर 25 प्रतिशत है।

**श्री अल्वारेस :** माननीय मंत्री ने अभी कहा कि अवमूल्यन के बाद सुधार होना आरम्भ हुआ है। क्या वह एक उदाहरण दे सकते हैं कि मूल्य या निर्यात या उत्पादन के क्षेत्र में यह सुधार हुआ है?

**श्री शचीन्द्र चौधरी** : मैं तीन उदाहरण दे सकता हूं। अफीम से तैयार किये गये ऐलकलायड को निर्यात करने में सरकार कठिनाई महसूस कर रही थी क्योंकि इसका मूल्य अधिक था और दो या तीन वर्षों से हमें हानि हो रही थी। अब न केवल घाटा ही पूरा हो गया है अपितु निर्यात में भी सुधार हुआ है और इससे लाभ होने लगा है।

दूसरा उदाहरण यह है । रबड़ के टायरों और विशेष रूप से साइकिलों के टायरों के निर्यात व्यापार में गतिरोध आ गया था। अब ये टायर न केवल जाने लगे हैं अपितु वास्तव में निर्यात में वृद्धि हुई है और आशा है कि अब हम पहली बार अमरीका को टायर निर्यात करेंगे जोकि अब तक कभी नहीं किये गये।

तीसरा उदाहरण भारतीय ऊनी वस्त्र निर्माताओं से सम्बन्धित है। अधिक कीमत के कारण कम कीमत के ग़लीचों आदि को छोड़ कर भारतीय ऊनी माल पहले कभी निर्यात नहीं किया गया था। परन्तु अब कानपुर और पंजाब में बने ऊनी वस्त्रों ने पहली बार विदेशों में मण्डी स्थापित कर ली है।

**श्री रंगा** : कितने मूल्य का ?

**श्री शचीन्द्र चौधरी** : करोड़ों रुपये का।

**श्री हनुमन्तैया** : क्या केवल भारतीय रुपया ही अन्तर्राष्ट्रीय मण्डी में सरकारी विनिमय दर से कम पर बिक रहा है या अन्य किसी देश की मुद्रा के साथ भी ऐसा है ?

**श्री शचीन्द्र चौधरी** : अन्य देशों की मुद्रा के साथ भी ऐसा है। इस देश में तथा संसार में दो प्रकार के व्यक्ति हैं, अमीर और गरीब। स्वभावतः हम अमीरों के बराबर होना चाहते हैं और इसलिये यदि बहुत अधिक देश इसके इच्छुक हैं तो उन देशों की मुद्रा का मूल्य अन्य देशों की तुलना में गिर जाता है।

## स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की समाधि

+

*339. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वर्गीय प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री की समाधि के निर्माण के बारे में एक विस्तृत योजना तैयार करने में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) समाधि का प्रारंभिक रूप से विकास करने में कितनी प्रगति हुई है ?

**निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भगवती)** : (क) और (ख). राजघाट तथा शान्ति वन के संपूर्ण क्षेत्र के एक भाग के रूप में स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की समाधि के निर्माण के लिए एक विस्तृत योजना अभी तैयार की जा रही है। योजना को अन्तिम रूप देने में दो नहीं तो एक वर्ष लगेगा।

(ग) समाधि का आरंभिक विकास जिसमें गड्ढों का भरा जाना, समाधि तक पहुचन के लिए सड़कें, कार आदि को खड़ा करने का स्थान, रेलिंग, पीने तथा अन्य कामों के लिए पानी की व्यवस्था, बिजली तथा उद्यान कार्य, शामिल हैं, लगभग पूरे हो चुके हैं।

**श्री दी० चं० शर्मा :** राजघाट, शान्ति वन और विजय घाट में समाधियां तैयार करने में सरकार ने जो लापरवाही दिखाई है वह सम्पूर्ण भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है। इन तीनों समाधियों का विकास-कार्यक्रम क्या है और कितना पूरा हो चुका है ?

**श्री त्यागी :** उन पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गयी है ?

**निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना):** माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि वहां तीन समाधियां हैं--राजघाट, शान्ति वन और विजय घाट। जहां तक राजघाट का सम्बन्ध है, उसकी योजना बहुत समय पहले ही मंजूर कर ली गयी थी। इस योजना के दो चरण थे जिनमें से पहला पूरा हो चुका है तथा दूसरा पूरा होने वाला है।

शान्ति वन और विजय घाट की योजनाओं का एक ही चरण तैयार किया गया है। शान्ति वन योजना का पहला चरण पूरा हो गया है और विजय घाट का पहला चरण पूरा होने वाला है। इसका मतलब यह है कि जमीन को समतल बनाने और जमीन को ऊंचा करने, कार आदि खड़े करने का स्थान बनाने, पार्क बनाने और दोनों समाधियों को रमणीक बनाने आदि का कार्य पूरा हो चुका है। परन्तु विचार यह है कि रेलवे पुल से नये बिजली घर तक का पूरा क्षेत्र का एकीकृत रूप से विकास हो ताकि तीनों समाधियों का विकास एक ही एकीकृत योजना के आधार पर हो। इस योजना को तैयार करने में अभी समय लगेगा। इसका कुल क्षेत्रफल 70, 80 या 100 एकड़ होगा जिसके सामने की ओर नदी है। इस पूरे क्षेत्रफल के विकास की एकीकृत योजना में कुल कितना खर्च होगा यह अभी बताना मुश्किल है। **(व्यवधान)**

मुझे अपना उत्तर पूरा करने दीजिये। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसको गम्भीरता पूर्वक लिया जा रहा है। इसमें कुछ समय अवश्य लगेगा और इस पर एक बड़ी राशि खर्च करनी होगी। दूसरे केवल मेरा मंत्रालय ही इससे सम्बन्धित नहीं है। इसके अतिरिक्त सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय, दिल्ली विकास अधिकरण भी इससे सम्बन्धित है और इसके विकास के लिये सबका सहयोग मिलना आवश्यक है। अन्त में फिर मैं यह कहना चाहता हूं कि विजय घाट तथा शान्ति वन से सम्बन्धित विकास योजनाओं का पहला चरण पूरा होने वाला है और इस सम्बन्ध में आगे प्रगति मुख्य एकीकृत योजना के अंग के रूप में ही की जायेगी।

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

## WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

### प्रतिरक्षा सम्बन्धी आवश्यकतायें

*338. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग द्वारा स्थापित तकनीकी अध्ययन दल ने उत्पादन बढ़ाने के सम्बन्ध में प्रतिरक्षा सेवाओं संबंधी आवश्यकताओं की जांच कर ली है और अपना प्रतिवेदन दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

**योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता):** (क) और (ख). तकनीकी अध्ययन दल का कार्य प्रतिरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं के कुछ मदों के अध्ययन तक ही सीमित रहा जिन्हें असैनिक क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है और जिनकी सप्लाई में कुछ कठिनाई का अनुभव किया जा रहा था। इस अध्ययन का उद्देश्य यह पता लगाना था कि ऐसे मदों के उत्पादन को बढ़ाने के लिये क्या चौथी योजना में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इस अध्ययन के परिणामस्वरूप यह मालूम हुआ कि चौथी योजना में जो कार्यक्रम तैयार किये गये हैं उसमें इन मदों से अधिकतर के उत्पादन बढ़ाने का कार्यक्रम सम्मिलित है। योजना के प्रारूप में ऐसे परिवर्तन कर दिये गये हैं जिनकी आवश्यकता समझी गयी थी।

**भारत का औद्योगिक विकास बैंक**

*340. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
**श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के औद्योगिक विकास बैंक ने 1965-66 में उद्योगों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता की कितनी मात्रा बढ़ाई है ;

(ख) अर्थ-व्यवस्था की दृष्टि से प्राथमिकता क्षेत्र में आने वाले उद्योगों के प्रस्तावों के लिए दिए गए ऋणों की राशि क्या है ;

(ग) अपेक्स तथा समन्वय करने वाली एजेन्सी के रूप में उद्योगों को दिये जाने वाले ऋण की मात्रा और इसके काम पर अवमूल्यन का क्या प्रभाव हुआ है ; और

(घ) क्या औद्योगिक विकास बैंक ने औद्योगिक ऋण लेने वालों से परियोजनाओं के व्यय पर होने वाले रुपये के अवमूल्यन के प्रभाव का प्राक्कलन प्रस्तुत करने को कहा है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत):** (क) 1965-66 में (जुलाई से जून तक) भारत के औद्योगिक विकास बैंक द्वारा स्वीकृत आवेदनपत्रों की संख्या तथा सहायता की मात्रा में पिछले वर्ष की अपेक्षा काफी वृद्धि हुई है। पुनर्वित-व्यवस्था, प्रत्यक्ष ऋणों, शेयरों और ऋण-पत्रों की खरीद का जिम्मा लेने, वित्तीय संस्थाओं के शेयरों और बंधपत्रों की खरीद, और हुण्डियों के पुनर्भुगतान के रूप में स्वीकृत सहायता के आवेदनपत्रों की संख्या 170 से बढ़कर 244 और कुल वास्तविक सहायता 46.9 करोड़ रुपये से बढ़कर 68.8 करोड़ रुपया हो गयी।

(ख) ऋण देने, शेयरों आदि की खरीद का जिम्मा लेने और उनके लिए गारंटी देने तथा बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिये गये ऋणों की पुनर्वित्त-व्यवस्था करने के रूप में प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता देने का विचार करते समय भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आमतौर पर रक्षा-प्रधान, आयात कम करने वाले और निर्यात-प्रधान उद्योगों, अत्यावश्यक उपभोक्ता वस्तुएं तैयार करने वाले उद्योगों तथा कृषि विकास और उद्योगीकरण का आधार प्रस्तुत करने वाले उद्योगों को तरजीह देता है। 1965-66 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को 68.8 करोड़ रुपये की प्रत्यक्ष सहायता (ऋण, शेयरों आदि की खरीद के जिम्मे और गारंटी) के लिए कुल 76 आवेदनपत्र प्राप्त हुए। इनमें से कुल 59 करोड़ रुपये की रकम के लिए

49 आवेदनपत्र स्वीकार किये गये जिसमें 43.1 करोड़ रुपया ऋणों और शेयरों आदि की खरीद का जिम्मा लेने के रूप में तथा 15.9 करोड़ रुपया गारंटियों के रूप में था। इस रकम का उद्योगों के अनुसार विभाजन, अनुबन्ध 'क' में दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—7338/66]** इससे पता चलेगा कि लगभग सारी स्वीकृत रकम रसायन, रासायनिक खाद, सीमेंट, लोहा और इस्पात आदि जैसे प्राथमिकता-प्राप्त उद्योगों को दी गयी।

(ग) और (घ). रुपये के अवमूल्यन से उद्योगों की स्थिति पर कई तरह से प्रभाव पड़ेगा, जिससे विदेशों से मंगाये जाने वाले पूंजीगत माल, कच्चेमाल आदि की कीमत बढ़ जाने के कारण पूंजीगत और कार्यचालन-संबंधी व्यय में वृद्धि हो जायगी। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जिन विभिन्न प्रायोजनाओं में सहायता दे रहा है, उन पर रुपये के अवमूल्यन से पड़े प्रभाव का तथा रुपया व्यय में हुई वृद्धि के कारण उनकी अतिरिक्त रुपया संबंधी जिन आवश्यकताओं को पूरा किया जाना है, उनका मूल्यांकन करने के लिये बैंक ने कदम उठाये हैं। यह सम्भव जान पड़ता है कि अतिरिक्त आवश्यकताओं का काफी बड़ा भाग भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को ही पूरा करना पड़े। तात्कालिक समस्या अतिरिक्त साधनों को जुटाने की है। साधनों का एक भाग, प्रवर्तकों को अपने कार्यों के पुनः समायोजन के द्वारा देना होगा। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और सावधिक वित्त-व्यवस्था करने वाली अन्य संस्थाओं को पहले से भी अधिक छंटाई के आधार पर धन देना होगा।

दो अन्य वित्तीय संस्थाओं यानी औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम ने भी अवमूल्यन के कारण बढ़े हुए पूंजीगत व्यय संबंधी अतिरिक्त आवश्यकताओं के संबंध में इसी प्रकार का पुर्नमूल्यांकन करना शुरू किया है। शीर्षस्थ संस्था (अपेक्स) होने के नाते, इन बढ़ी हुई आवश्यकताओं को किसी हद तक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को ही पूरा करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त, विकास बैंक द्वारा इन संस्थाओं को अतिरिक्त धन देना पड़ सकता है, ताकि इनकी सहायता से चलायी जा रही प्रायोजनाओं की रुपया संबंधी अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

## नर्मदा घाटी परियोजना

*341. **श्री यशपाल सिंह :**
**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
**श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :**
**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
**श्री जसवन्त मेहता :**
**श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
**श्री कोला वेंकैया :**
**श्री पु० र० पटेल :**
**श्री मानसिंह पृ० पटेल :**

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नर्मदा घाटी परियोजना के बारे में कोई सर्वमान्य योजना बनाई गई है जिस के बारे में सम्बन्धित राज्यों की भी सहमति हो ; और

(ख) यदि हां, तो उसका मुख्य व्यौरा क्या है ; और

(ग) इस बारे में वास्तविक कार्य कब आरम्भ किया जायेगा ?

**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० कु० ल० राव)** : (क) अभी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

### महलनवीस समिति का प्रतिवेदन

*342. **श्री विभूति मिश्र :**
**श्री क० ना० तिवारी :**
**श्री दी० चं० शर्मा :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महलनवीस समिति ने देश में आय के वितरण के बारे में अपने प्रतिवेदन का दूसरा भाग प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इस में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) समिति कब तक प्रतिवेदन देगी ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) जी, नहीं।

(ख) चूंकि यह एक तकनीकी विषय है जिसमें जटिल आंकड़ों की जांच करनी है, इसलिये समिति अपना कार्य अभी पूरा नहीं कर पायी है।

(ग) यह आशा की जाती है कि समिति अपना प्रतिवेदन देने में अब बहुत अधिक समय नहीं लेगी।

### Non-Acceptance of Foreign Aid

*343. **Shri Vishram Prasad:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government of India did not accept the financial aid given by certain foreign Governments for the Third Five Year Plan;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether it is also a fact that as a result thereof, India had to pay commitment charges; and

(d) if so, the amount thereof?

**The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri):** (a) No Sir; there was no case where the Government of India did not accept funds for which loan agreements had been signed with foreign lenders. However, there were cases in which, against loan agreements signed, there were amounts of foreign exchange that were not utilised for specific reasons.

(b) to (d). Commitment charges have been payable only in certain cases in respect of amounts remaining unutilized. A statement will be laid on the Table indicating the unutilised amounts against completed loans, the reasons therefor and the amount of commitment charge where paid.

## भारत में चिकित्सा कालेज

*344. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि पिछले पन्द्रह वर्षों में देश में चिकित्सा कालेजों की संख्या दुगनी से अधिक हो गई है, किन्तु इस सम्पूर्ण अवधि में डाक्टरों और जनसंख्या का अनुपात अपरिवर्तित रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस अनुपात को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नैयर):** (क) अनुमान है कि इस समय लगभग 5,000 की जनसंख्या के पीछे एक डाक्टर है जबकि 1951 में 6,300 की जनसंख्या के पीछे एक डाक्टर था ।

(ख) इस अनुपात में और सुधार लाने के लिये चौथी योजना में और अधिक मेडिकल कालेज खोलने तथा वर्तमान मेडिकल कालेजों में सुधार करने का विचार है । आपातकालीन विस्तार योजना के अन्तर्गत जहां कहीं संभव होगा प्रवेश क्षमता बढ़ा दी जायेगी ।

## मैसर्स रेम्फ्री एण्ड सन नामक फर्म

*345. **श्री उटिया :**
**श्री मधु लिमये :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मेसर्स ओर्र डिगनैम एण्ड कम्पनी की तलाशी के दौरान प्रवर्तन अधिकारी/अधिकारियों को मेसर्स रेम्फ्री एण्ड सन् फर्म के विरुद्ध कुछ संकेत मिले हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त अधिकारी/अधिकारियों का विचार मेसर्स रेम्फ्री एण्ड सन् फर्म की तलाशी लेने का था किन्तु बाद में उन्होंने तलाशी नहीं ली ;

(ग) यदि हां, तो क्यों ;

(घ) क्या यह भी सच है कि श्री सिलबर्स्टन, जो मेसर्स ओर्र डिगनैम एण्ड कम्पनी के एक साझीदार हैं, रेम्फ्री फर्म में भी साझीदार हैं ;

(ङ) यदि हां, तो क्या इस फर्म के विरुद्ध कार्यवाही न करने के सम्बन्ध में सरकार ने कोई मौखिक/लिखित अनुदेश दिये थे ; और

(च) यदि नहीं, तो रेम्फ्री फर्म के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत):** (क) प्रवर्तन निदेशालय के पास उपलब्ध साक्ष्य से, जिसकी उल्लिखित तलाशियों के द्वारा बाद में पुष्टि हो गयी थी, मेसर्स

रेम्फ्री एण्ड सन् द्वारा रखे जा रहे विदेशी मुद्रा के अनधिकृत खाते की संभावना का पता चला।

(ख) और (ग). उल्लिखित साक्ष्य के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने, तलाशी लेने में होने वाली देरी किये बिना ही, विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम की धारा 19(2) के अन्तर्गत मुकदमा चलाने का निश्चय किया और मुकदमा दायर कर दिया।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) जी, नहीं।

(च) जैसा ऊपर उल्लेख किया गया है, विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम की धारा 19 (2) के अन्तर्गत मुकदमा दायर किया जा चुका है।

**मद्रास में बिजली की सप्लाई में कमी किये जाने के कारण हुई हानि का अनुमान**

*346. **श्री मलाईछामी :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अणु शक्ति आयोग ने वर्षा की अनिश्चितता के कारण मद्रास राज्य में बिजली की सप्लाई में कमी किये जाने के कारण हुई हानि का कोई अनुमान लगा लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ; और

(ग) राज्य की ऐसी हानि को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० कु० ल० राव) :** (क) बिजली की सप्लाई में कटौती के कारण मद्रास राज्य में हुई हानि का अनुमान अणु शक्ति आयोग कर रहा है और इस का अध्ययन प्रगति पर है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दक्षिणी क्षेत्र में बिजली की सप्लाई में कटौती के कारण भविष्य में होने वाली वित्तीय हानि को रोकने के लिये निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

(1) इस क्षेत्र की जिन परियोजनाओं के कार्यान्विन में देरी के कारण तीसरी योजनावधि में चालू न किया जा सका उन को तथा बृहद् संचय क्षमता वाली पन-बिजली स्कीमों के कार्यान्विन में तेजी लाई जा रही है।

(2) पन-बिजली पर निर्भरता को दूर करने के लिये और पर्याप्त ताप-बिली सहायता का प्रबंध करने के लिये तापीय स्कीमें चौथी योजना में कार्यान्विनार्थ स्वीकार की गई है।

(3) दक्षिण क्षेत्र में ग्रिड पारेषण प्रणालियों का अन्तः सम्पर्क स्थापित किया जा रहा है, ताकि उनका समेकित प्रचलन हो।

**विदेशी फर्मों द्वारा शेयरों का हस्तान्तरण**

*347. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुपये के अवमूल्यन के परिणामस्वरूप भारत में कारोबार करने वाली कुछ विदेशी फर्मों ने भारतीय र्मों को अपने इक्विटी शेयर बेचे हैं;

(ख) यदि हां, तो जून, 1966 के पश्चात् ऐसे कितने मामले हुए हैं और इस तरह कितनी विदेशी मुद्रा बाहर गई है; और

(ग) सरकार ने कितने मामलों में शेयरों के ऐसे हस्तान्तरण की मंजूरी दी है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) और (ख). भारत के रिजर्व बैंक के विभिन्न कार्यालयों से जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) अवमूल्यन के बाद सरकार ने किसी ऐसे हस्तान्तरण को मंजूरी नहीं दी है।

**राज्यों में मकान बनाने का कार्यक्रम**

*348. **श्री रामचन्द्र मलिक** :
**श्री सुधांशु दास** :

क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

**(क)** क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने 1966–67 में मकान बनाने के कार्यक्रमों के लिये राज्यों को प्रस्तावित 16 करोड़ रुपये के नियतन में से 10 करोड़ रुपये का नियतन किया है; और

(ख) यदि हां, तो यह राशि राज्यवार किस प्रकार बांटी गई है और नियतन से कम राशि नियत किये जाने के क्या कारण हैं ?

**निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)**: (क) और (ख). संभवतः माननीय सदस्य का संकेत जीवन बीमा निगम निधियों के नियतन की ओर है। 1966–67 के दौरान निगम ने आवास योजनाओं के लिए केवल 12 करोड़ रुपया नियत किया है। इसमें से, 10.70 करोड़ रुपया पहले ही विभिन्न राज्यों को दिया जा चुका है, जैसा कि सभा पटल पर रखे विवण में दिया गया है। शेष 1.3 करोड़ रुपया भी शीघ्र नियत कर दिया जायेगा।

## विवरण

**आवास योजनाओं के लिए 1966–67 (17 नवम्बर, 1966 तक) के दौरान जीवन बीमा निगम द्वारा दी गयी निधियों का विवरण ।**

| क्रम संख्या | राज्य का नाम | नियत की गयी निधियों की राशि |
|---|---|---|
| | | (लाख रुपयों में |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 60 |
| 2 | असम | 20 |
| 3 | बिहार | 60 |
| 4 | गुजरात | 60 |
| 5 | जम्मू तथा कश्मीर | 10 |
| 6 | केरल | 70 |
| 7 | मध्य प्रदेश | 85 |
| 8 | मद्रास | 125 |
| 9 | महाराष्ट्र | 150 |
| 10 | मैसूर | 100 |
| 11 | उड़ीसा | 60 |
| 12 | पंजाब | 60 |
| 13 | राजस्थान | 60 |
| 14 | उत्तर प्रदेश | 50 |
| 15 | पश्चिमी बंगाल | 100 |
| | जोड़ | 1070 |

### Nurses' Strike at Safdarjang Hospital, New Delhi

***349. Shri Bade:**
**Shri Braj Bihari Mehrotra:**
**Shri Onkar Lal Berwa:**
**Shri Vishwa Nath Pandey:**

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the nurses of Safdarjang Hospital are on strike since 3rd November, 1966;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the action taken in the matter?

**The Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar):** (a) No Sir, they are back on duty since 8th November, 1966.

(b) One of the nursing sisters was alleged to have stolen a gallon of dettol. The case was handed over to the Police who took into custody the concerned nursing sister while she was on leave. The nurses demanded among other things that departmental action should have been taken instead of the matter having been referred to the Police.

(c) The nurses representatives met the officers and later the Minister and called off the strike.

### Abolition of Land Revenue

***350. Shri Kishan Pattnayak:**
**Shri Hukam Chand Kachhavaiya:**

Will the Minister of **Planning and Social Welfare** be pleased to state:

(a) whether the Planning Commission have finalised the directive prin-
Planning Commission has not undertaken the preparation of any such direc-
nue;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the reaction of State Governments thereto?

**The Minister of Planning and Social Welfare (Shri Asoka Mehta):** (a) The Planning Commission has not undertaken the preparation of any such directive principles.

(b) and (c). Do not arise.

### Damage due to Floods in Ganganagar Rajasthan

***352. Shri P. L. Barupal:** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that floods in Ghaggar river have caused much damage to the crops, Railways and transport in District. Ganganagar, Rajasthan resulting in heavy loss to the people;

(b) if so, the action being taken by Government in this regard;

(c) the damage caused by such floods every year and the expenditure incurred by Government to restore normal conditions in the area; and

(d) the permanent remedial measures which Government propose to take to meet the situation?

**The Minister of State in the Ministry of Irrigation and Power (Shri K. L. Rao):** (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

*Statement*

In recent years there has been an increase in the intensity and volume of floods in river Ghaggar, which has resulted in varying degrees of damage to crops, property and disruption of communications in Rajasthan from year to year. The average annual damage to crops, houses and other property and the cost of restoration of damage to communications, irrigation canals, etc., for the years 1960-61 to 1964-65 was about Rs. 54 lakhs.

With a view to reducing the damage from floods, a scheme for diverting 12,000 cusecs of the flood waters of river Ghaggar into the depressions in the sand dunes west of Suratgarh was approved in 1965. The scheme is estimated to cost Rs. 422 lakhs and is in an advanced stage of construction. The works under this scheme are expected to be completed before the monsoons of 1967. Apart from this, the State Government have constructed bunds for the protection of important towns and villages effected by Ghaggar floods. A scheme for utilising part of the Ghaggar floods waters for irrigation in Rajasthan is also under consideration.

In Punjab and Hariana, a number of schemes for diverting and utilising the flood waters of Ghaggar, including some storage schemes, have been undertaken and others are under investigation.

**मैसर्स एम० डब्ल्यू० के० इण्टरनेशनल लि०, इंक० कलकत्ता**

*353. **श्री मधु लिमये :**
**श्री किशन पटनायक :**

क्या **वित्त** मंत्री 28 जुलाई, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 106 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेसर्स एम० डब्ल्यू० के० इंटरनेशनल लिमिटेड, इंक० कलकत्ता पर मारे गये छापे के परिणामस्वरूप जारी किये गये 'कारण बताग्रो' नोटिसों के उत्तर ग्रब प्राप्त हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत):** (क) ग्रौर (ख) 28 जुलाई, 1966 को उत्तर दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या 106 के भाग (ङ) के उत्तर में उल्लिखित चार मामलों में से तीन मामलों का न्याय-निर्णय किया जा चुका है ग्रौर जुर्माने दण्ड लगा दिये गये हैं। चौथे मामले का न्याय-निर्णय ग्रभी किया जा रहा है। इसके ग्रलावा इस मामले में ग्रौर ग्राठ 'शो काज़ नोटिस' जारी किये गये हैं जिनमें से दो मामलों पर न्याय-निर्णय किया जा चुका है ग्रौर शेष मामले न्याय-निर्णय की विभिन्न ग्रवस्थाग्रों में हैं।

**राजस्थान का विकास**

*354. **डा० लक्ष्मीमल सिंघवी :**
**श्री यशपाल सिंह :**
**श्री उटिया :**
**श्री मधु लिमये :**
**श्री किशन पटनायक :**

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री 28 जुलाई, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 91 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान के संसद् सदस्यों के एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा प्रधान मंत्री को दिये गये ज्ञापन को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में विद्युतीकरण, पेय जल की व्यवस्था तथा रेगिस्तान के विकास के लिये योजना में नियत की गई राशि के बारे में पुनर्विलोकन किया है ; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो पुनर्विलोकन तथा स्वीकृत प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

**योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता)** : (क) और (ख) प्रधान मंत्री को दिये गये ज्ञापन में देहाती क्षेत्रों में विद्युतीकरण और राजस्थान के देहात में पेय जल की व्यवस्था सम्बन्धी जो सुझाव दिये गये हैं, उन पर भली भांति विचार कर लिया गया है। चालू वर्ष के कार्यक्रम पर पुर्नविचार करने के बाद 1966–67 के लिये देहात में विद्युती करण के वार्षिक परिव्यय को 250 लाख रुपये से बढ़ा कर 286 लाख रुपये कर दिया गया है और देहात में पेय जल व्यवस्था के परिव्यय को 30 लाख रुपये से बढ़ाकर 75 लाख रुपये कर दिया गया है।

जहां तक चौथी पंचवर्षीय योजना का सम्बन्ध है, इन कार्यक्रमों के लिये राज्य सरकारों द्वारा दिये गये प्रस्तावों पर हाल में राज्यों के मुख्य मन्त्रियों तथा अन्य मन्त्रियों के साथ विचार विमर्श किया गया था।

रेगिस्तान विकास का कार्यक्रम केन्द्रीय खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय की योजना में सम्मिलित हैं। चालू वर्ष में इस पर प्रारम्भिक कार्यवाही करने के लिये 2 लाख रुपये की राशि नियत की गयी है।

## विमुद्रीकरण

*355. **डा० म० मो० दास :**
**डा० पू० ना० खां :**
**श्री म० ला० द्विवेदी :**
**श्री स० चं० सामन्त :**
**श्री सुबोध हंसदा :**

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अवमूल्यन के प्रभाव को अनुपूरित करने के लिये कुछ मित्र देशों ने भारत को आंशिक विमुद्रीकरण करने की सलाह दी है, जैसा कि 1949 में किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उस सलाह पर विचार किया है ?

**वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी):** (क) 1949 में विमुद्रीकरण नहीं किया गया था। स्वराष्ट्र नीति के इस विशुद्ध विषय पर किसी भी अन्य देश से कोई सलाह नहीं ली गयी है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

## अल्प आय वर्ग गृह-निर्माण योजना के अन्तर्गत होस्टलों तथा शयनशालाओं का निर्माण

*356. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
**श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :**
**श्री महेश्वर नायक :**

क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों तथा उनकी एजेंसियों द्वारा होस्टलों तथा शयनशालाओं (डारमिटरीज़) का निर्माण-कार्य अल्प आय वर्ग गृह-निर्माण योजना के अन्तर्गत कर दिया गया है ताकि उनका अलाटमेंट लोगों को किया जा सके ;

(ख) क्या यह आवास बिना लाभ-हानि के आधार पर अल्प आय वर्ग के लोगों को किराये पर दिया जायेगा ; और

(ग) राज्य सरकार पर अपने कर्मचारियों को इस आवास के आवंटन के लिये क्या पाबन्दी है ?

**निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)**:(क) से (ग) जी हां । राज्य सरकारों तथा उनकी प्रतिनियुक्त एजेंसियों को यह अनुमति दे दी गयी है कि निम्न आय वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत निम्न आय वर्ग के बग़ैर-परिवार के लोगों को बिना लाभ-हानि के आधार पर देने के लिए होस्टल तथा डारमेटरी की तरह के वास का निर्माण कर लें । राज्य सरकारें इस वास का 333 प्रतिशत तक केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों को निर्धारित कर सकती हैं ।

## चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा

*357. **श्री विभूति मिश्र :**
**श्री क० ना० तिवारी :**

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा का स्तर गिर गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका उचित स्तर बनाए रखने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नैयर)** : (क) और (ख) जी नहीं ।

भारतीय चिकित्सा परिषद् एवं सम्बद्ध विश्वविद्यालय समय-समय पर निरीक्षण करके इस सम्बन्ध में निरन्तर सावधानी बरते हुए हैं । निरीक्षण रिपोर्टों में जो कमियां सामने लाई जाती हैं, भारत सरकार से मान्यता मिलने से पूर्व अधिकारियों को उन्हें ठीक करना पड़ता है । इससे उचित स्तर बने रहने का विश्वास हो जाता है ।

## औषधियों में अपमिश्रण

*358. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या उनका ध्यान 2 अक्तूबर, 1966 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है कि औषधियों में बड़े पैमाने पर अपमिश्रण किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नैयर)** : (क) जी हा ।

(ख) दवाइयों में बड़े पैमाने पर अपमिश्रण चल रहा है यह सच नहीं है । जहां तक दिल्ली संघ क्षेत्र का सम्बन्ध है, यह उक्त प्रेस रिपोर्ट मुख्यतया सरकार द्वारा बनाई गई औषध नियन्त्रण समिति की रिपोर्ट का पुनरावलोकन है । इस समिति द्वारा की गई सिफारिशें केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् के एक प्रस्ताव के अनुसार बनाई गई छः राज्य स्वास्थ्य मन्त्रियों की एक समिति के विचाराधीन है ।

(ग) औषधियों में मिलावट रोकने के बारे में जो जो कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने वाले हैं उनका एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—7339/66**]

### दामोदर घाटी निगम

*359. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम के बोर्ड के तीन पदों में से दो पद, जिन में बोर्ड के प्रधान का पद भी शामिल है, बहुत समय से भरे नहीं गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) दामोदर घाटी निगम के संस्थानों के प्रस्तावित प्रशासनिक पुनर्गठन तथा विकेन्द्रीकरण के विरुद्ध प्राप्त हुए अभ्यावेदनों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० कु० ल० राव):** (क) दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत तीन पदों में जिन में, केन्द्रीय सरकार को नियुक्तियां करनी होती हैं, एक अंश-कालिक सदस्य का पद 1–5–66 से 20–10–66 तक खाली रहा। दामोदर घाटी निगम के अध्यक्ष का पद 14–10–66 से खाली हुआ है और उसके शीघ्र ही भरे जाने की आशा है।

(ख) अंशकालिक सदस्य का पद दोनों भागी राज्य सरकारों की सलाह से भरा जाना था, इसलिये प्रस्ताव को अन्तिम रूप देने के लिये कुछ समय लग गया। अब यह पद भरा जा चुका है।

(ग) इस मामले पर अभी केन्द्रीय सरकार तथा दोनों भागी राज्य सरकारें विचार कर रही हैं।

### व्यापारियों को विदेशी मुद्रा

*360. **डा० लक्ष्मीमल सिंघवी :**
**श्री म० ला० द्विवेदी :**
**श्री सुबोध हंसदा :**
**श्री स० चं० सामन्त :**
**श्री भागवत झा आजाद :**
**डा० म० मो० दास :**
**श्री प्र० चं० बरुआ :**

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने, व्यापारियों के लिये विदेशी मुद्रा की नीति को उदार बनाने के सम्बन्ध में योजना आयोग के सदस्य, डा० वी० के० आर० वी० राव के सुझाव पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी)** :(क) जी, हां।

(ख) वर्तमान नीति में इसकी व्यवस्था है।

**कलामसेरी बिजली घर के लिये उपकरण**

1558. **श्री ग्र० क० गोपालन :**
**श्री वासुदेवन नायर :**

क्या **सिंचाई ग्रौर विद्युत** मन्त्री 28 जुलाई, 1966 के ग्रतारांकित प्रश्न संख्या 565 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलामसेरी में 220 किलोवाट के बिजली घर के लिये उपकरण प्राप्त करने के लिये उधारपत्र खोल दिया गया है ;

(ख) टर्मिनल उपकरण प्राप्त करने में क्या प्रगति हुई है ; ग्रौर

(ग) इसके लिये कितनी विदेशी मुद्रा मंजूर की गई है ?

**सिंचाई ग्रौर विद्युत मत्रालय में राज्य मंत्री (डा० कु० ल० राव) :** (क) जी, हां ।

(ख) स्विचगीयर तथा सिन्क्रोनस कन्डेसर ग्रादि को मंगाने के लिये लगभग 1.03 करोड़ रुपये (ग्रवमूल्यन से पहले) स्वीकार किये गये हैं । स्विचगीयर जनवरी, 1967 में ग्रौर सिन्क्रोनस कन्डेसर ग्रगस्त, 1967 में ग्रा जाएंगे, ऐसी सम्भावना है ।

**योजनाग्रों की क्रियान्विति**

1559. **श्री श्यामलाल सर्राफ :** क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात पर नजर रखने के लिये कि योजना की प्राथमिकताग्रों के बारे में सम्बन्धित सभी व्यक्तियों द्वारा पूरी तरह पालन किया जा रहा है ग्रौर इस बारे में होने वाले कार्य की जानकारी रखने के लिये कोई पुनर्विलोकन समिति नियुक्त की गई है ताकि विकास के विभिन्न क्षेत्रों के लिये निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो इस के सदस्यों के क्या नाम हैं?

**योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री ग्रशोक मेहता) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**केरल ग्रराजपत्रित ग्रधिकारी संघ**

1560. **श्री वासुदेवन नायर :**
**श्री वारियर :**
**श्री मोहम्मद कोया :**
**श्री ग्र० क० गोपालन :**
**श्री उमानाथ :**

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के ग्रराजपत्रित ग्रधिकारियों के संघ ने राज्य सरकार को एक मांग पत्र पेश किया है ;



2369 (Ai) LS—6.

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मांग पत्र की एक प्रति सभा पटल पर रखने का है; और

(ग) इस मांग पत्र के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी)** : (क) जी, हां।

(ख) मांग-पत्र की एक प्रति सभा की मेज पर रख दी गयी है। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—7340/66**]

(ग) केरल सरकार इस मामले पर विचार कर रही है।

## लुफ्थान्सा एयरलाइन्स

1561. **श्री उटिया : श्री मधु लिमये : श्री किशन पटनायक :**

क्या **वित्त** मन्त्री 1 सितम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3951 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लुफ्थान्सा एयरलाइन्स अपने मकान मालिक को वास्तव में प्रति मास कितना किराया देते हैं ; और

(ख) जब यह स्थान किराये पर दिया गया था, वास्तव में उस समय बाजार दर क्या थी ?

**वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी)**: (क) लुफ्थान्सा एयरलाइन्स के पास 1–10–1964 से 30–9–1965 तक की अवधि में मकान का केवल अगला भाग था, और उस अवधि में उस भाग का अदा किया गया वास्तविक किराया, 500 रुपया प्रतिमाह था। पुराना मकान होने से इस पर किराया नियन्त्रण अधिनियम लागू होता है और कानूनन उसका किराया बढ़ाया नहीं जा सकता। मकान का पिछला भाग फिर से बनाया गया और लुफ्थान्सा एयरलाइन्स को 1–10–65 से 1,576.50 रुपये प्रति माह किराये पर दे दिया गया। यह भाग नयी इमारत होने से इस पर किराया नियन्त्रण अधिनियम लागू नहीं होता।

अब सारे मकान का किराया 2,076.50 रुपया प्रति माह है।

(ख) बाजार दर पर अगले भाग का किराया अनुमानतः 1,000 रुपया है और सारे मकान के किराये का अनुमान लगभग उतना ही है जितना किराया उसका अभी आता है।

## हाथरस में अपमिश्रण के मामले

1562. **श्री उटिया : श्री किशन पटनायक : श्री मधु लिमये :**

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मन्त्री 1 सितम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3923 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) हाथरस के किन-किन व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग चलाये गये हैं ;

(ख) उनके विरुद्ध किस प्रकार के अपमिश्रण विषयक आरोप लगाये गये हैं ; और

(ग) किन-किन मामलों में सज़ा दी गई है ?

**स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नैयर) :** (क) और (ख) श्री रामगोपाल सुपुत्र श्री देवकीनन्दन के विरुद्ध मिलावटी हींग बेचने का अभियोग चलाया गया है।

(ग) यह मामला अदालत में निलम्बित है।

**भारतीय मुद्रा का पकड़ा जाना**

1563. **श्री किशन पटनायक :** **श्री मधु लिमये :**
**श्री उटिया :**

क्या **वित्त** मन्त्री 4 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1306 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उस मामले में, जिसमें कि एक कार तथा चार व्यक्तियों की तलाशी ली गई थी, जिसमें 40,623 रुपये की भारतीय मुद्रा, तीन घड़ियां, सोने की एक अंगूठी, एक ट्रांजिस्टर और कुछ कागजात जिन पर गुजराती भाषा में संकेत-शब्द लिखे थे पकड़े गये थे, इस बीच कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं ?

**वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी):** (क) और (ख) अब तक की गयी जांच-पड़ताल से प्राथमिक रूप से यह पता चलता है कि इस मामले में अन्तर्ग्रस्त व्यक्ति विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन में विदेशों में रहने वाले भारतीय राष्ट्रिकों की ओर से भारत में प्रतिपूरक अदायगियां करने में लगे हुए थे। पकड़े गये कागजातों की जांच की जा चुकी है और उनमें इस्तैमाल किये गये कूट-शब्दों का अर्थ निकाला जा चुका है। पंजाब तथा महाराष्ट्र राज्यों में कई व्यक्तियों से अभी पूछताछ होनी है।

(ग) फगवाड़ा में 4 जून, 1966 को गिरफ्तार किये गये चार व्यक्तियों के नाम निम्न प्रकार हैं:—

(1) श्री प्रफुल्ल; (2) श्री मणिलाल; (3) श्री प्रताप चन्द और (4) श्री प्रकाश।

**आयातित सामान और करेंसी का पकड़ा जाना**

1564. **श्री किशन पटनायक :** **श्री मधु लिमये :**
**श्री उटिया :**

क्या **वित्त** मंत्री 18 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2669 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1966 में पकड़े गये आयातित सामान और करेंसी के इन मामलों के बारे में विभागीय न्यायनिर्णय/अभियोग चलाने का कार्य इस बीच पूरा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

**वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी)** : (क) और (ख). इस बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायगी।

## सकेन्द्रित ऐल्यूमिनियम तथा जस्ते पर सीमा-शुल्क की छूट

1565. **श्री राम हरख यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सरकार ने सकेन्द्रित ऐल्यूमीना तथा जस्ते पर सीमा-शुल्क की छूट दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

**वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी)** : (क) जी, हां। ऐल्यूमिनियम के उत्पादन के लिये ऐल्यमिना और संकेन्द्रित जस्ते पर लगने वाले सीमा शुल्क के एक भाग की छूट दे दी गई है।

(ख) छूट का ब्यौरा, अधिसूचना सं० 187–सीमा शुल्क तथा सं० 186 सीमा शुल्क दिनांक 15 अक्टूबर, 1966 में दिया हुआ है, जिनकी प्रतियां संलग्न हैं। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये सख्या एल० टी०–7341/66**]

## अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों को मैट्रिक के उपरान्त छात्रवृत्तियां

1566. **श्री दे० शि० पाटिल** : क्या योजना तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों में तथा महाराष्ट्र राज्य के विदर्भ प्रदेश में इस प्रकार के क्षेत्रीय प्रतिबन्ध हैं कि केवल कुछ क्षेत्रों में ही रहने वाली आदिम जातियां अनुसूचित आदिम जातियां मानी जाती हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन छात्रों को मैट्रिक के उपरान्त छात्रवृत्तियां नहीं मिलती हैं; क्योंकि वे निर्धारित क्षेत्रों से बाहर रहते हैं; और

(ग) यदि हां, तो अनुसूचित या निर्धारित क्षेत्रों से बाहर रहने वाले अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों को मैट्रिक के उपरान्त छात्रवृत्तियां उपलब्ध कराने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**समाज-कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) हां।

(ख) तथा (ग) महाराष्ट्र के विदर्भ प्रदेश के विशिष्ट क्षेत्रों से बाहर रहने वाली आदिम जातियों को तथा अन्य आदिम जातियों को, जिन्हें अनुसूचित जातियां घोषित नहीं किया गया है, अन्य आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों को मिलने वाली मैट्रिक-उपरान्त छात्रवृत्तियां दी जाती हैं।

महाराष्ट्र सरकार ने अपने गैर-योजनी बजट में से विदर्भ प्रदेश के विशिष्ट क्षेत्रों से बाहर रहने वाली आदिम जातियों को भी 1966–67 में उसी प्रकार मैट्रिक-उपरान्त छात्रवृत्तियां देने का हाल में निर्णय किया है, जिस प्रकार वे अनुसूचित आदिम जातियों को प्राप्य हैं।

## इद्दिक्की परियोजना

**1567. श्री वासुदेवन नायर : श्री वारियर :**

**क्या सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इद्दिक्की जल-विद्युत् परियोजना के बांधों के डिजाइन में परिवर्तन करके कंकरीट के स्थान पर पक्की चिनाई करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि डिजाइन में परिवर्तन किया जाता है तो इसके निर्माण में और कितना समय लगेगा ?

**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० कु० ल० राव) :** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता ।

## भारत में जड़ी-बूटी शालाएं

**1568. श्रीमती रामदुलारी सिन्हा** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) जड़ी-बूटियों के भेषजीय तत्वों का परीक्षण करने के लिये विभिन्न राज्यों में कितनी जड़ी-बूटियां शालाएं स्थापित की गई हैं; और

(ख) अब तक प्रत्येक राज्य में क्या परिणाम निकले हैं ?

**स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नैयर) :** (क) और (ख) जड़ी बूटी शाला एक पुस्तकालय के समान होती है जहां वनौषधियों के दाबे हुए नमूने सन्दर्भ और अध्ययन के लिए और विशेषतया पहिचान के निमित्त रखे रहते हैं । वनौषधियों के चिकित्सीय तत्वों का अध्ययन जड़ी बूटी शाला में नहीं हो सकता । स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्रालय में उपलब्ध सूचनानुसार जड़ी बूटी शालाएं निम्नलिखित स्थानों पर विद्यमान हैं :—

1. स्कूल आफ ट्रोपिकल मेडिसिन, कलकत्ता ।
2. बोटेनिकल गार्डन, शिवपुर, कलकत्ता ।
3. सेन्ट्रल ड्रग रिसर्च इन्स्टीट्यूट, लखनऊ ।
4. नेशनल बोटानिकल गार्डन, लखनऊ ।
5. रिजनल रिसर्च लेबोरेटरी, जम्मू ।
6. इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ साइन्सेस, बंगलौर ।
7. डिपार्टमेण्ट आफ बोटेनी, केरल यूनिवर्सिटी, त्रिवेन्द्रम,
8. इण्डियन ड्रग रिसर्च एसोशियेसन, पूना ।
9. सर्वे आफ मेडिसीनल प्लांट यूनिट, हरिद्वार ?
10. सर्वे आफ मेडिसीनल प्लांट यूनिट, रानीखेत ।

स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्रालय के स्वदेशी चिकित्सा पद्धति अनुसंधान सेल में एक लघु जड़ी-बूटी शाला है ।

### बागमती नदी परियोजना

1569. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बागमती नदी की सिंचाई योजना को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्रस्तावित बागमती परियोजना से ढांग तथा बैरागिनया के निकटवर्ती क्षेत्र की सिंचाई की कोई सामान्य सुविधाएं नहीं मिलेंगी क्योंकि इससे केवल देवपुर अथवा अदौरीघाट के नीचे के इलाके के लोगों को ही यह सुविधा उपलब्ध होगी;

(ग) इस परियोजना पर कितना खर्च आने का अनुमान है;

(घ) इसके पूरा होने में कितना समय लगने की सम्भावना है; और

(ङ) इसका निर्माण कार्य कब आरम्भ किया जायेगा ?

**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० कु० ल० राव)** : (क) परियोजना रिपोर्ट बिहार सरकार से प्राप्त हो गयी है । इसकी अब केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग में जांच की जा रही है ।

(ख) जी, हां । किन्तु प्रस्तावित महादेव माला सिंचाई स्कीम में सीतामढ़ी सब-डिविज़न में ढांग के पूर्व में 1 मील के क्षेत्रों की सिंचाई परिकल्पित है ।

(ग) बागमती परियोजना की अनुमानित लागत 493.35 लाख रुपये है ।

(घ) परियोजना रिपोर्ट के अनुसार इसको पूरा करने में लगभग 5 वर्ष लगेंगे ।

(ङ) राज्य सरकार ने इस परियोजना को चौथी योजना अवधि में आरम्भ करने का प्रस्ताव रखा है ।

### आयकर अधिकारियों का स्थानान्तरण

1570. **श्री उटिया :**
**श्री मधु लिमये :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ आयकर अधिकारियों को दार्जिलिंग बदल दिया गया है क्योंकि जब वे कलकत्ता में नियुक्त थे तब उन्होंने कई छापे मारे थे और मसाले के थैलों में छुपा कर रखी हुई भारी रकम बरामद की थी;

(ख) क्या उन अधिकारियों ने पश्चिम बंगाल विधान-सभा, विधान परिषद् के कुछ सदस्यों के हिसाब-किताब तथा आयकर की देनदारी के मामलों की जांच की थी;

(ग) क्या उन अधिकारियों का दबादला दो वर्ष की नियुक्ति की सामान्य अवधि समाप्त होने से पहले ही कर दिया गया था;

(घ) क्या इन तबादलों का आदेश वित्त मंत्रालय के मुख्यालय द्वारा दिया गया था; और

(ङ) क्या तबदील हुए उन अधिकारियों के अभ्यावेदन के सम्बन्ध में कोई जांच की गई है जो अपने तबादले के कुछ समय बाद ही सेवा-निवृत्त हो गये थे ?

**वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी)** : (क) से (ङ) निर्धारितियों को सत ने के आरोप की कुछ शिकायतें मिलने पर, उस समय दार्जिलिंग में तैन त आयकर अधिकारी के आचरण की जांच का सरकार द्वारा आदेश दिया गया था और उस अधिकारी का वहां से स्थानांतरण कर दिया गया था। किन्तु आयकर आयुक्त द्वारा की गयी जांच से कोई अनियमितता प्रकट नहीं हुई और उस अधिकारी को जांच के बाद फिर से दार्जिलिंग तैनात कर दिया गया। इस मामले के अलावा, आयकर अधिकारियों द्वारा की गयी किसी कार्यवाही के कारण आयकर अधिकारी के स्थानांतरण के किसी अन्य मामले की सरकार को जानकारी नहीं है।

## कलकत्ता, बम्बई और कानपुर में छापे

**1571. श्री उटिया :** **श्री किशन पटनायक :**
**श्री मधु लिमये :**

क्या **वित्त** मंत्री 1 सितम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4071 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कलकत्ता, बम्बई और कानपुर में अगस्त, 1966 में मारे गये छापों के बारे में पूछी गई जानकारी कब सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

**वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी)**: इकट्ठी की गयी सूचना कुछ लिहाज से पूरी नहीं है। पूरी कोशिश की जा रही है कि विवरण-पत्र यथासम्भव शीघ्र सदन की मेज़ पर रख दिया जाय।

## अमरीकी शांति दल

**1572. श्री उमानाथ :**
**श्री दीनेन भट्टाचार्य :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966 में भारत में अमरीकी शान्ति दल के कुल कितने व्यक्ति कार्य कर रहे हैं;

(ख) उनके कार्यक्षेत्र का व्यौरा क्या है;

(ग) भारत में इन लोगों का व्यय कौन वहन कर रहा है और वर्ष 1965–66 में इन पर कुल कितना व्यय किया गया है; और

(घ) उनके व्यय पर अंकुश रखने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी)** : (क) और (ख) 31 अक्टूबर, 1966 को अमरीकी शान्ति दल के स्वयंसेवकों की कुल संख्या 1048 थी। विभिन्न कार्यक्षेत्रों में उनके फैलाव और जिन राज्यों में वे काम कर रहे हैं उनके सम्बन्ध में एक विस्तृत विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 7342/66]**

(ग) भारत में इन स्वयंसेवकों पर होने वाले खर्च का कुछ हिस्सा संयुक्त राज्य अमेरिका की पी० एल० 480 निधि में से संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली रकम से और कुछ हिस्सा सम्बद्ध राज्य सरकारों और भारत सरकार द्वारा पूरा किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार हर महीने स्वयंसेवकों को वेतन और निर्वाह-भत्तों के रूप में 400 रुपया और संयुक्त राज्य अमेरिका से आने और वहां वापस जाने का खर्च देती है। राज्य सरकारें इन स्वयंसेवकों के रहने के लिये सिर्फ सुसज्जित स्थानों और साइकिलों की व्यवस्था करती हैं। केन्द्रीय सरकार, आयकर की अदायगी की छूट और इन स्वयंसेवकों द्वारा व्यक्तिगत उपयोग के लिए बाहर से मंगायी गयी 2250 रुपये तक के मूल्य की नयी वस्तुओं के सीमा-शुल्क की छूट देती है। 1965–66 में हुए कुल खर्च के बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है।

(घ) भारत सरकार, राज्य सरकारों के लिए कम से कम स्वयंसेवकों की स्वीकृति दे कर और इन स्वयंसेवकों की सेवाओं को ऐसे कामों में लगाकर, जिन से राज्य सरकारों को अधिक से अधिक लाभ हो, इन पर होने वाले खर्च पर नियंत्रण रखती है।

**मैसर्स किलाचन्द देवीचन्द ग्रुप को सट्टे में हुई हानि की राशि पर आय-कर में छूट**

1573. **श्री मधु लिमये :**
**श्री किशन पटनायक :**

क्या **वित्त** मंत्री केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के प्रधान के बारे में 11 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2005 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आय-कर के मामलों का निबटारा करने तथा कर निर्धारण के आदेश देने वाले आय-कर अधिकारियों से एक पद ऊपर के वरिष्ठ अधिकारियों से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वे अधीनस्थ अधिकारियों के कार्य का निरीक्षण/अधीक्षण करें;

(ख) क्या कानून के अन्तर्गत इन वरिष्ठ अधिकारियों की इस मामले में कोई जिम्मेदारी होती है; और

(ग) यदि हां, तो मैसर्स किलाचन्द देवीचन्द ग्रुप को सट्टे में हुई हानि पर आय-कर में छूट देते समय यह जिम्मेदारी किस प्रकार निभाई गई है ?

**वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी):** (क) जहां तक आय-कर अधिकारी स्वयं कर-निर्धारण के प्रस्तावित आदेशों को सलाह के लिए निरीक्षी सहायक आयुक्त के पास नहीं भेजे, आम तौर पर आय-कर अधिकारियों द्वारा कर-निर्धारण के आदेश जारी कर देने के बाद ही कर-निर्धारण के मामलों का निरीक्षण किया जाता है।

(ख) जब तक कर-निर्धारण के आदेश तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों की सलाह पर जारी न किये जायं, तब तक उनकी कोई सीधी जिम्मेदारी नहीं होती।

(ग) कर-निर्धारण की कार्यवाही पूरी हो जाने पर निरीक्षण के समय इस गलती का पता चला था और नुकसान के लिए गलती से दे दी गयी छूट को नामंजूर करने के लिए उचित कार्यवाही की गयी थी।

## अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये संवैधानिक रक्षोपाय

1574. **श्री सुबोध हंसदा :**
**श्री सं० चं० सामन्त :**
**श्री प्र० चं० बरुआ :**
**श्री भागत झा आजाद :**
**श्री म० ला० द्विवेदी :**
**डा० म० मो० दास :**

क्या **योजना तथा समाज-कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों को अपनी जाति तथा पंथ से भिन्न अन्य जातियों अथवा उच्च जाति में विवाह करने पर राजनैतिक तथा आर्थिक दोनों संवैधानिक रक्षोपाय के उपयोग का हक होगा;

(ख) यदि नहीं, तो उनके साथ क्या व्यवहार किया जायेगा; और

(ग) क्या केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के अधीन सरकारी कर्मचारियों के ऐसे मामले सरकार के ध्यान में आये हैं ?

**समाज-कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) :** (क) जी, हां ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं ।

## Japanese Nurses to Assist Family Planning Programme

1575. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:**
**Shri Bade:**
**Shri Onkar Lal Berwa:**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Government of Japan have sent some nurses to assist India in her family planning programme;

(b) if so, the terms on which they have been sent; and

(c) the number of nurses sent and who will bear their expenses?

**The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri):** (a) to (c). Yes Sir. 5 nurses have come from Japan to assist India in the Family Planning Programme. Three are posted in Lucknow and two are working in Jaipur in family planning work. The Govt. of Japan will bear the cost of travel and also living expenses in India of the Volunteers and they will also make available equipment and medical supplies necessary for their work. Free accommodation is provided by the State Governments. Exemption from income tax and also custms duty upto Rs. 2250 is given by the Govt. of India.

## Gold Recovered in Jabalpur

1576. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:**
**Shri Bade:**
**Shri Vishwa Nath Pandey:**
**Shri H. C. Linga Reddy:**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Central Excise Officials recovered 110 tolas of gold in Jabalpur from a passenger on the 17th September, 1966; and

(b) if so, the action taken by Government in the matter?

**The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri)**: (a) On 16th September, 1966 the Central Excise officials seized 110 tolas of gold from a passenger at Jabalpur.

(b) The passenger was arrested and subsequently released on bail. The case is under adjudication.

### Seizure of Diamonds and Currency in Bombay

**1577. Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Shri Kishen Pattnayak: Shri Bade: Shri Madhu Limaye:**

Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3975 on the 1st September, 1966 and state:

(a) whether the inquiry into the seizure of diamonds and currency in Bombay has since been completed;

(b) if so, the outcome thereof; and

(c) if not, the further time that would be taken in the completion of the same?

**The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri)**: (a) to (c). Enquiry into the case of seizure of diamonds is still in progress. Efforts are being made to complete the investigation as early as possible but it will take some more time to do so.

As regard the Indian currency worth Rs. 78,700 handed over to the Income-tax authorities, an amount of Rs. 15,000 was held to be unexplained. Tax of Rs. 1,650 on this amount has been retained by an order under section 132(5) of the Income-tax Act, 1961. The balance amount of Rs. 77,050 was returned on 11th October, 1966.

### पालम हवाई अड्डे पर पकड़ी गई भारतीय मुद्रा

**1578. श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयर इण्डिया के एक विमान द्वारा बम्बई होकर नैरोबी से आने वाले एक यात्री से 20 अगस्त, 1966 को सीमा-शुल्क अधिकारियों ने नई दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर 32,000 भारतीय रुपये पकड़े थे; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी)** : (क) 20 अगस्त, 1966 को पालम हवाई अड्डे के सीमा-शुल्क अधिकारियों ने एयर इण्डिया के एक विमान द्वारा बम्बई हो कर नैरोबी से आने वाले एक यात्री के पास से 31,128 रुपये की भारतीय मुद्रा, 306 पूर्व अफ्रीकी शिलिंग, 5.10 पौण्ड, कुछ पूर्व अफ्रीकी और ब्रिटिश सिक्के तथा चार कलाई घड़ियां पकड़ी थीं।

(ख) पकड़ी गयी भारतीय और विदेशी मुद्रा पूर्णत: जब्त कर ली गयी है और यात्री पर 100 रुपये का व्यक्तिगत दण्ड लगाया गया है। घड़ियां भी जब्त कर ली गयी हैं और उन्हें 100 रुपये का जुर्माना अदा करने पर छुड़ाया जा सकता है।

### त्रिवेन्द्रम में गर्भनिरोधक सामग्री बनाने का कारखाना

1579. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री 11 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2000 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम (केरल) में गर्भ-निरोधक सामग्री बनाने का एक कारखाना स्थापित करने के लिए विदेशी कम्पनियों के साथ उनका सहयोग प्राप्त करने के बारे में चल रही बातचीत इस बीच पूरी हो चुकी है;

(ख) यदि हां, तो सहयोग की शर्तें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में अन्तिम रूप से बातचीत कब तय हो जाने की सम्भावना है ?

**स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नैयर)** : (क) और (ख). बातचीत और सहयोग की शर्तें अभी तय नहीं हुई हैं।

(ग) उनके अन्तिम रूप से तय होने और लगभग एक महीने में करार पर हस्ताक्षर होने की सम्भावना है।

### विदेशी ऋणों की अदायगी

1580. **डा० म० मो० दास** :
**श्री भागवत झा आजाद** :
**श्री म० ला० द्विवेदी** :
**श्री सं० चं० सामन्त** :
**श्री सुबोध हंसदा** :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी राशि कितनी है जो हमें प्राप्त ऋणों की अदायगी के रूप में अथवा उस पर ब्याज के रूप में भारत सरकार को अन्य देशों को देनी थी परन्तु जो गत वित्तीय वर्ष में विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों के कारण नहीं दी जा सकीं;

(ख) क्या भारत तथा अन्य सरकारों के बीच हुए करारों के अनुसार अदा न की जा सकने वाली राशि पर भारत सरकार को ब्याज देना होगा; और

(ग) यदि हां, तो इसे अदा न की जा सकने वाली राशि पर किस दर पर ब्याज लिया जाता है?

**वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी)**: (क) विदेशों को ऋणों और ब्याज की वापसियां, बिना किसी चूक के, विधिवत कर दी गयी हैं।

(ख) और (ग). ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

**मैसर्स टर्नर मारिसन तथा मैसर्स ग्राहम ट्रेडिंग कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा कर अपवंचन**

1581. **श्री मधु लिमये :**
**श्री किशन पटनायक :**

क्या **वित्त** मंत्री 1 सितम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4016 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स टर्नर मारिसन तथा मैसर्स ग्राहम ट्रेडिंग कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा कर अपवंचन के मामले में उल्लिखित छानबीन/जांच इस बीच पूरी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उनके विरुद्ध मध्यस्थ निर्णय/न्याय निर्णय/अभियोग के रूप में कोई कार्यवाही आरम्भ की गई है ?

**वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) :** (क) जी हां।

(ख) मैसर्स टर्नर मारिसन एण्ड कम्पनी के मामले में कर की किसी चोरी का पता नहीं लगा है, इसलिए कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। जहां तक मैसर्स ग्राहम ट्रेडिंग कम्पनी (इण्डिया) का सम्बन्ध है, इस मामले में की गयी जांच-पड़ताल के आधार पर 1950–51 से 1961–62 तक के वर्षों के लिए फिर से कर-निर्धारण की कार्यवाही की जा रही है। किन्तु कम्पनी ने कलकत्ता के उच्च न्यायालय के सामने एक रिट याचिका दायर की है और न्यायालय के एक अन्तरिम व्यादेश द्वारा आगे कार्यवाही रोक दी गयी है।

**औद्योगिक वित्त निगम**

1582. **श्री रामसेवक यादव :**
**श्री यशपाल सिंह :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक वित्त निगम ने 6 करोड़ रुपये के बांड जिनका भुगतान 12 वर्ष बाद किया जायेगा, जारी करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इन बांडों के जारी करने का प्रयोजन तथा कारण क्या हैं; और

(ग) क्या बांडों के लिये केन्द्रीय सरकार ने गारण्टी दी है ?

**वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) :** (क) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने नीचे दी गयी शर्तों पर 6 करोड़ रुपये के बांड जन साधारण के लिए जारी किये :—

| | |
|---|---|
| निर्गम (इशू) मूल्य | 98 रुपये प्रतिशत |
| ब्याज | $5\frac{1}{2}$ प्रतिशत वार्षिक |
| पकने की अवधि | 12 वर्ष |

बांडों के लिए रकमें लेना 26 सितम्बर को शुरू किया गया और 28 सितम्बर, 1966 को बन्द कर दिया गया; जारी किये गये बांडों की पूरी रकम उस समय तक प्राप्त हो गयी थी।

(ख) बांड, उद्योगों की, वित्तीय सहायता की मांगें पूरी करने के लिए निगम के साधनों में वृद्धि करने के उद्देश्य से निगम की कार्यचालन पूंजी बढ़ाने के लिए जारी किये गये थे।

(ग) जी, हां। औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 21(2) के अनुसार मूलधन की वापसी और व्याज की अदायगी के बारे में बांडों की गारंटी केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गयी है।

### सलेमपुर (उत्तर प्रदेश) में गांजे का पकड़ा जाना

1583. **श्री रामसेवक यादव :**
**श्री यशपाल सिंह :**

क्या **वित्त** मन्त्री सलेमपुर (उत्तर प्रदेश) में गांजे के पकड़े जाने के बारे में 1 सितम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3947 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार ने और क्या कार्यवाही की है?

**वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी)** : चारों अभियुक्तों को दोषी ठहराया गया है और प्रत्येक को एक-एक साल की सख्त कैद की सजा दी गयी है।

### मैसर्स मोरारजी गोकुल दास स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्ज़ लिमिटेड

1584. **श्री रामसेवक यादव :**
**श्री यशपाल सिंह :**
**श्री उटिया :**
**श्री किशन पटनायक :**
**श्री मधु लिमये :**

क्या **वित्त** मन्त्री मैसर्स मोरारजी गोकुल दास स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड के बारे में 1 सितम्बर, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 799 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच आरोपों का सत्यापन करवा लिया है ;

(ख) यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) उसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी)** : (क) आरोपों की जांच की जा रही है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

### बम्बई में पकड़ा गया तस्करी का सामान

1585. **श्री रामसेवक यादव :**
**श्री यशपाल सिंह :**
**श्री हुकम चन्द कछवाय :**
**श्री बड़े :**
**श्री विश्राम प्रसाद :**

क्या **वित्त** मन्त्री बम्बई में तस्करी के माल के पकड़े जाने के बारे में 28 जुलाई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 508 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस मामले की जांच पड़ताल इस बीच पूरी हो चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है?

**वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी)**: (क) जी, हां।

(ख) मामले का न्याय-निर्णय किया जा रहा है।

## रक्षित बैंक के कर्मचारी

1586. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के रिजर्व बैंक के रोकड़ विभाग के उच्च योग्यता प्राप्त कर्मचारियों के लिये क्लर्क पदालि के कर्मचारियों की तुलना में पदोन्नति के अवसर कम हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) :** (क) और (ख) यह नहीं कहा जा सकता कि रिजर्व बैंक के रोकड़ विभाग के कर्मचारियों के लिये सामान्य संवर्ग के कर्मचारियों की अपेक्षा पदोन्नति के अवसर कम हैं। बैंक की यह नीति है कि रोकड़ विभाग के लिये उच्च-योग्यता प्राप्त कर्मचारियों को भरती न किया जाये क्योंकि वहां का कार्य नेमी किस्म का है। परन्तु यदि रोकड़ विभाग में भर्ती हो जाने के बाद कोई व्यक्ति स्नातक स्तर की या अन्य बैंकिंग योग्यता प्राप्त कर लेता है तो उसका सामान्य संवर्ग में तबादला कर दिया जाता है और उसके वेतन को भी सुरक्षित रखा जाता है।

## विद्युत-शवदाह गृह

1587. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में विद्युत्-शवदाह गृह स्थापित करने में सहायता देने के सम्बन्ध में सरकार ने कोई योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है और इस योजना का आधार क्या है ?

**स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नैयर) :** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

## विदेशी सहायता पर निर्भरता

1588. **श्री मि०सू० मूर्ति** : क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 30 सितम्बर, 1966 के 'इण्डियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि लोहा तथा इस्पात मन्त्री ने बम्बई में चौथी योजना सम्बंधी 'प्रोग्रेसिव ग्रुप' में बोलते हुए कहा कि विदेशी सहायता पर अधिक निर्भरता से राष्ट्र की (आत्मा का हनन) होगा ;

(ख) यदि हां, तो चौथी योजना का प्रारूप बनाते समय इस पहलू पर उचित ध्यान दिया गया था; और

(ग) विदेशी सहायता पर निर्भरता दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

**योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) :** (क) जी, हां। 30 सितम्बर, 1966 के 'इण्डियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित लोहा तथा इस्पात मन्त्री द्वारा बम्बई के 'प्रोग्रेसिव ग्रुप' को दिये गये भाषण से सम्बन्धित समाचार कई प्रकार से गुमराह करने वाला है।

(ख) और (ग). आत्म निर्भरता और स्वजनित प्रगति के उद्देश्यों को हमारी योजनाओं में विस्तार से प्रतिपादित किया गया है। निर्यात संवर्धन तथा आयात स्थानापन्न वस्तुओं के उत्पादन के कार्यक्रमों को चौथी योजना में पहले ही उच्च प्राथमिकता दी जा चुकी है ।

**नगर वित्त निगम**

**1589. श्री श्रीनारायण दास** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नगर निगमों के पूंजीगत निर्माण-कार्यों में उनकी आवश्यक धन से सहायता करने के लिए एक नगर वित्त निगम स्थापित करने का सुझाव दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नैयर) :** (क) और (ख). (1) स्थानीय स्वशासन की केन्द्रीय परिषद् की नौवीं बैठक और नगरीय विकास से सम्बन्धित राज्यीय मंत्रियों के चौथे सम्मेलन की संयुक्त बैठक सितम्बर, 1963 में नई दिल्ली में हुई थी जिसमें एक नगरीय विकास वित्त निगम की स्थापना के लिये सिफारिश की गयी थी। यह सुझाव वित्त मन्त्रालय को भेजा गया था और उन्होंने इस बारे में यह विचार प्रकट किया कि इस प्रकार के निगम की स्थापना न तो वांछनीय है और न सम्भव ही ।

(2) स्थानीय स्वशासन की केन्द्रीय परिषद् द्वारा स्थापित नगरीय विकास निकायों के वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने सम्बन्धी समिति ने यह सिफारिश की थी कि एक नगरीय विकास बोर्ड की स्थापना की जाय जो स्थानीय निकायों की लाभकारी तथा अलाभकारी योजनाओं के लिये अपेक्षित दीर्घावधि तथा अल्पावधि ऋण देने का कार्य केन्द्रीय एजेन्सी के रूप में करेगा । समिति की यह रिपोर्ट सब राज्य सरकारों, वित्त मन्त्रालय और योजना आयोग आदि को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दी गयी थी। स्थानीय स्वशासन की केन्द्रीय परिषद् ने अपनी फरवरी, 1966 की बैठक में यह सिफारिश की थी कि उक्त रिपोर्ट पर राज्य सरकारों द्वारा दी गयी टिप्पणियों पर योजना आयोग के सदस्य प्रोफेसर एम० एस० थैकर, स्वास्थ्य उप-मन्त्री तथा महाराष्ट्र के नगरीय विकास मन्त्री से बनी एक समिति द्वारा विचार किया जाय । इस समिति ने अभी अपनी सिफारिशों को अन्तिम रूप नहीं दिया है।

(3) स्थानीय स्वशासन की केन्द्रीय परिषद् द्वारा स्थापित गांव नगर सम्बन्ध समिति नामक एक अन्य समिति ने यह सिफारिश की है कि नगरीय उद्यमों की पूंजीगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये एक नगर वित्त निगम की स्थापना की जानी चाहिये जो स्थानीय निकायों को ऋण दे सके । समिति की यह रिपोर्ट सभी राज्य सरकारों, नगर निगमों, वित्त मन्त्रालय, योजना आयोग आदि को उनकी राय जानने के लिये भेज दी गयी है ।

**ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक**

**1590. श्री श्रीनारायण दास** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टेट बैंक आफ इण्डिया सहित वाणिज्यिक बैंकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक कितनी शाखायें खोली हैं ;

(ख) इस समय स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गये एक कर्मचारी वाले कितने बैंक काम कर रहे हैं ; और

(ग) वे कैसा कार्य कर रहे हैं ?

**वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी)** : (क) स्टेट बैंक और उसके सहायक बैंक, वाणिज्यिक तथा सहकारी बैंकों ने ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में अब लगभग अपने 2250 कार्यालय खोल रखे हैं। 1 जनवरी, 1962 से 30 सितम्बर, 1966 के बीच स्टेट बैंक और उसके सहायक बैंकों सहित वाणिज्यिक बैंकों ने बैंक रहित ग्रामीण क्षेत्रों और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में 597 कार्यालय खोले थे ;

(ख) स्टेट बैंक के सहायक बैंकों ने अभी तक कुल 8 एक कर्मचारी वाले कार्यालय खोले हैं।

(ग) यह सोचते हुये कि एक कर्मचारी वाले बैंक का उद्देश्य ही एक ऐसा शिक्षाप्रद प्रचार करना होता है जिससे गांव के लोगों में बैंक का उपयोग करने की आदत पड़ जाये, यह कहा जा सकता है कि वे कार्य सफलतापूर्वक कर रहे हैं, हालांकि उनसे कोई आर्थिक लाभ नहीं है।

## दिल्ली में पेय जल का सम्भरण

1591. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि जून, 1966 में दिल्ली नगर निगम ने राजधानी में पेय जल के सम्भरण को बढ़ाने के लिए यमुना नदी की तलहटी से भूमिगत जल निकालने की एक योजना मंजूर की है ;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) इस परियोजना के लिये केन्द्र द्वारा कितनी वित्तीय सहायता दी जा रही है ?

**स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नैयर)** : (क) जी हां।

(ख) जिस फर्म को यह काम सौंपा गया था वह इसके विस्तृत प्राक्कलन तथा नक्शे तैयार कर रही है और उसने बतलाया है कि वह इन्हें इस महीने में भेज देगी।

(ग) इस कार्य के लिए केन्द्र ने कोई विशेष सहायता नहीं दी है और दिल्ली नगर निगम को जल-पूर्ति योजनाओं की क्रियान्विति के लिए दिये गये ऋणों में से इस कार्य पर होने वाले खर्च की पूर्ति की जायेगी।

## पटसन का बीजक में कम दिखाया जाना

1592. **श्री स० मो० बनर्जी :**
**श्री दाजी :**

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1966 में अब तक पटसन का बीजक में कम दिखाया जाना बहुत बढ गया है ;

(ख) यदि हां, तो 1966 में अब तक कितने मुकदमे चलाये गये हैं ; और

(ग) कितने मामलों में फर्मों को दण्ड मिला है ?

**वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी)**: (क) 1966 में अब तक इस बात का कोई संकेत नहीं है कि बीजकों में पटसन का कम मूल्य दिखाने की प्रवृत्ति बढ़ी है।

(ख) कोई नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

## राज्य सरकारों के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता

**1593. श्री स० मो० बनर्जी :**
**श्री दाजी :**

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने के लिये केन्द्र से वित्तीय सहायता मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के क्या नाम हैं ; और

(ग) इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) :** (क) जी, हां।

(ख) आन्ध्र प्रदेश; बंगाल, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश राज्यों से औपचारिक निवेदन प्राप्त हुए थे ।

(ग) केन्द्र के उपलब्ध साधनों पर बढ़ते हुए भार को देखते हुए सरकार इस बारे में किसी सहायता का आश्वासन नहीं दे सकी है ।

## लेखा-बाह्य धन

**1594. श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :**
**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
**श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
**श्रीमती सावित्री निगम :**
**श्री प्र० चं० बरुआ :**
**श्री भागवत झा आजाद :**
**श्री स० चं० सामन्त :**
**श्री सुबोध हंसदा :**
**श्री म० ला० द्विवेदी :**
**श्री किन्दर लाल :**

क्या **वित्त** मंत्री 1 सितम्बर, 1966 के तारांकित प्रश्न सख्या 781 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, 1966 से अब तक कितने छिपाये हुए तथा काले धन का, वस्तुओं तथा नगदी—दोनों रूपों में, पता लग या गया है ;

(ख) जनवरी, 1966 से अब तक कितने मुकद चलाय गमे हैं तथा कितने मामलों में दण्ड दिया गया है ;

(ग) इसमें शामिल व्यक्तियों की संख्या कितनी है; और

(घ) उस धन को बाहर निकलने के लिए और क्या कार्यवाही की गई है ?

**वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी)** (क) आयकर विभाग द्वारा 1-7-66 स 30-9-66 की अवधि में ली गयी तलाशियों से अनुमानतः 3.33 करोड़ रुपये की छिपी आमदनी का पता लगा है। इस अवधि में वास्तव में पकड़ी गयी नकदी औरअन्य परिसम्पत्तियों का मूल्य 19,08,945 रूपये है।



2369 (Ai) LS—7.

(ख) 1-1-66 से 30-9-66 की अवधि में पांच मामलों में मुकदमे चलाये गये थे। चार मामलों में अभी तक निर्णय नहीं हुए हैं, और एक मामले में अभियुक्त को सजा हो गयी है।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित अवधि में ली गयी तलाशियों में 96 व्यक्ति ग्रस्त थे और भाग (ख) में उल्लिखित मुकदमों में पांच व्यक्ति ग्रस्त थे।

(घ) कानून केअनुसार सभी प्रकार की कार्यवाही की जा रही है। आयकर विभाग मेंस्थापित आसूचना एकक लेखा-बाह्य धन का पता लगाने का काम सक्रियता से कर रहे हैं।

**पिछड़े, दलित तथा आदिम जातियों के लोगों का कल्याण**

1595. **श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :** **श्रीमती सावित्री निगम :**
**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** **श्री विश्वनाथ पाण्डेय**

**क्या योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में पिछड़े, दलित वर्गों तथा आदिम जातियों के लोगों के उत्थान के लिये कितनी राशि की व्यवस्था की गई थी ;

(ख) विभिन्न योजनाओं पर वास्तव में कितनी राशि खर्च की गई ;

(ग) लक्ष्य में निर्धारित राशि से व्यय के कम होने के क्या कारण है ; और

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना में पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के कल्याण का क्या कार्यक्रम है ?

**समाज-कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) :** (क) 114 करोड़ रुपये।

(ख), (ग) तथा (घ). राज्य सरकारों तथा प्रशासनों से यह सूचना एकत्रित की जा रही है तथा प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

**अस्पृश्यता**

1596. **श्री अ० व० राघवन :**
**श्री अ० क० गोपालन :**

**क्या योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अस्पृश्यता विरोधी कार्य की प्रगति का पुनरीक्षण करने के लिये, समाज कल्याण विभाग द्वारा स्थापित की गई समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) इस को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**समाज-कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) :** (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

**कोजीकोड में लोक स्वास्थ्य प्रयोगशाला**

**1597. श्री अ० व० राघवन :**
**श्री अ० क० गोपालन :**

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री 1 सितम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4042 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या कोजीकोड में क्षेत्रीय लोक स्वास्थ्य प्रयोगशाला के लिये स्थान का चुनाव कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इमारत सम्बन्धी योजनायें तथा प्राक्कलन तैयार कर लिये गये हैं ; और

(ग) यह इमारत कब तक तैयार हो जायेगी ?

**स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नैयर) :** (क) से (ग). यह विषय अभी केरल सरकार के विचाराधीन है ।

**कालीकट जल संभरण योजना**

**1598. श्री अ० व० राघवन :**
**श्री अ० क० गोपालन :**

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री 18 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2678 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग, केरल के मुख्य अभियन्ता से प्राप्त कालीकट जल संभरण योजना की मुख्य बातों की जांच इस बीच पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना को मंजूर कर लिया गया है ; और

(ग) यह कार्य कब आरम्भ किया जायेगा तथा कब तक पूरा हो जायेगा ?

**स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नैयर) :** (क) और (ख). भारत सरकार ने कालीकट जल-पूर्ति योजना के भाग 1 की मंजूरी दे दी है जिसकी अनुमानित लागत 86.8 लाख रुपये है । इस योजना के भाग 2 के वितरण पद्धति सम्बन्धी अतिरिक्त ब्यौरा भेजने के लिए राज्य सरकार से कहा गया है ।

(ग) यह योजना राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जायेगी । इसका कार्यान्वयन तथा पूरा होना धन के प्राप्त होते रहने तथा राज्य सरकार द्वारा इसे प्राथमिकता दिये जाने पर निर्भर करेगा ।

**सिंचाई के लिये दिये गये जल पर कर**

**1599. श्री सुबोध हंसदा :** **श्री म० ला० द्विवेदी :**
**श्री स० चं० सामन्त :** **श्री भागवत झा आजाद :**
**श्री प्र० चं० बरुआ :** **श्री म० मो० दास :**

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंचाई जल पर लिया जाने वाला कर विभिन्न राज्यों में अलग-अलग है ;

(ख) क्या योजना परियोजना सम्बन्धी समिति ने समान कर लगाने के बारे में कोई सुझाव दिया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सारे देश में समान कर निर्धारित करने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० कु० ल० राव) :** (क) जी, हां।

(ख) सभी सिंचित क्षेत्रों में जल की दरों को युक्तियुक्त करने का सुझाव दिया गया है।

(ग) और (घ). जल दरों को निर्धारित करना राज्य की जिम्मेदारी है। किन्तु सिंचाई जल की सप्लाई की बदलती हुई स्थितियों तथा कृषि पद्धतियों की बदलती प्रवृत्तियों के कारण समस्त देश में समान कर लगाना व्यवहार्य नहीं हो सकेगा।

**दुर्गापुर से कलकत्ता तक नौवहन नहर का वाणिज्यिक आधार पर चलाया जाना**

1601. **श्री ब० कु० दास :**
**श्री म० मो० दास :**
**श्री भागवत झा आजाद :**
**श्री म० ला० द्विवेदी :**
**श्री स० चं० सामन्त :**
**श्री सुबोध हंसदा :**
**श्री प्र० चं० बरुआ :**

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दुर्गापुर से कलकत्ता तक नौवहन नहर का वाणिज्यिक आधार पर चलाने के बारे में दामोदर घाटी निगम और हिन्दुस्तान शिपिंग लिमिटेड के बीच हुए समझौते की शर्तें क्या हैं?

**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० कु० ल० राव):** 19-7-65 को दामोदर घाटी निगम तथा हिन्दुस्तान शिपिंग कं० लिमिटेड के बीच हुए करार में बाकी चीजों के साथ-साथ ये बातें परिकल्पित हैं- फर्म 1 अक्तूबर, 1965 से 10 वर्ष की अवधि के लिये महसूल देकर नहर का व्यापारिक प्रचालन करेगी परन्तु पहले तीन वर्ष महसूल रहित होंगे। उसके पश्चात् 1 रुपया 50 पैसे प्रति टन की दर से हर प्रकार के समान पर, परिवहन दूरी का ध्यान न करते हुए महसूल एकत्रित किया जायेगा। 1 अक्तूबर, 1965 के पश्चात् 6 वर्ष बीतने पर महसूल की दरों को बढ़ाने के प्रश्न पर पुनः विचार किया जा सकता है परन्तु यह दर 2 रुपये प्रति टन से अधिक नहीं होगी।

इस करार की कुछ और प्रमुख बातें नीचे दी जाती हैं :--

(1) फर्म अपने खर्च पर--

(क) पर्याप्त क्षमता वाले बिजली द्वारा चालित टगों के साथ बजरी का प्रबन्ध करेगी और निर्धारित तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करेगी।

(ख) दामोदर घाटी निगम (नौपरिवहन) अधिनियम, 1963 की मदों का पालन करेगी।

(ग) नहर में यातायात के लिये पोत-भार और/अथवा सामान प्राप्त करेगी।

2. नहर और/अथवा वहां तक पहुंचने वाली सड़कों के, जहां पर परिवहन सेवा का प्रबंध है, मरम्मत और/अथवा रखरखाव के लिये अथवा बाढ़ के कारण या पानी की कमी के कारण बंद हो जाने पर फर्म मुआवजा मांगने की हकदार नहीं होगी।

3. माल ढोने के दरों को लागू करने से पूर्व फर्म को उन की स्वीकृति निगम से लेनी होगी।

4. निगम तथा पश्चिम बंगाल की सरकार के अपने अपने जलयानों, निरीक्षण लांचों, टग किस्तियों और तलकर्षण यूनिटों को चलाने के अधिकारों का बिना उल्लंघन किए फर्म को 10 सालों की अवधि में नहर में परिवहन सेवा के प्रचालन का एकमात्र अधिकार होगा ।

5. निगम किसी भी समय किसी भी बजरे और/अथवा टग की मरम्मत अथवा उस हालत में प्रतिष्ठापन के लिये फर्म को कह सकती है जबकि वह मरम्मत से लगभग बाहर हो जाए और फर्म को ऐसे बजरे अथवा टग की मरम्मत अथवा प्रतिष्ठापन निगम की इच्छानुसार करना पड़ेगा ।

6. परिवहन सेवा के प्रचालन के अधिकार तथा विशेष अधिकार को फर्म निगम की पूर्व-लिखित सहमति के बिना न ही तो किसी और के हाथ सौंपेगी, न उसे पट्टे पर देगी और न ही उसको त्यागेगी ।

7. टोल-कर की अदायगी न करने पर, अथवा फीस अथवा विधिवत लगाए गए किसी जुर्माने की अदायगी न करने पर अथवा यदि फर्म समझौते की शर्तों का पालन नहीं करती तो निगम के लिये यह वैध होगा कि वह किसी अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों जिनको यह ठीक समझे के साथ ऐसा समझौता अथवा समझौते कर ले ।

**देसी चिकित्सा प्रणाली का प्रशिक्षण**

1602. **श्री स० चं० सामन्त :** **श्री भागवत झा आजाद :**
**श्री म० ला० द्विवेदी :** **श्री प्र० चं० बरुआ :**
**श्री सुबोध हंसदा :** **डा० म० मो० दास :**

**क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा की सुविधाओं की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में समुन्नत तरीकों के साथ देशी चिकित्सा प्रणाली तथा साथ ही साथ आधुनिक चिकित्सा और शल्य चिकित्सा के अतिरिक्त पाठ्यक्रमों की शिक्षा देने के लिये संस्थाएं स्थापित करने के सम्बन्ध में सरकार का कोइ कार्यक्रम है ;

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि उपरोक्त (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो चौथी पंचवर्षीय योजना में इस उद्देश्य के लिये कितनी राशि उपलब्ध की जायेगी ; और

(घ) कितने व्यक्तियों को देशी चिकित्सा प्रणाली में प्रशिक्षित किया जायेगा ?

**स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नैयर) :** (क) और (ख). केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् ने जून, 1966 में बंगलौर में हुई अपनी बैठक में यह निश्चय किया कि संशोधित शुद्ध आयुर्वेदिक शिक्षा योजना को ही जिस रूप में स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्रालय में स्वदेशी चिकित्सा पद्धति के सलाहकार ने उसे संशोधित किया है और केन्द्रीय शुद्ध आयुर्वेदिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष ने स्वीकार किया है, आयुर्वेदिक शिक्षा के भावी विकास की रूपरेखा का आधार माना जाना चाहिए । स्वदेशी चिकित्सा पद्धति के छात्रों को आधुनिक चिकित्सा तथा शल्य का अतिरिक्त प्रशिक्षण देने का प्रश्न नहीं उठता है ।

(ग) और (घ) चौथी योजना अवधि में राज्य क्षेत्र में स्वदेशी चिकित्सा पद्धति के विकास पर जिसमें आयुर्वेद भी सम्मिलित है, पांच करोड़ रुपये खर्चा करने का प्रस्ताव है जिसमें वर्तमान आयुर्वेदिक कालेजों का उन्नयन करने तथा / अथवा नये कालेजों के खोलने की व्यवस्था भी सम्मिलित है। इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि नियत की जायेगी यह राज्य योजनाएं तैयार होने के बाद ही मालूम हो सकेगा। स्वदेशी चिकित्सा पद्धति में कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जायेगा। उनकी संख्या भी इस समय नही बतलायी जा सकती है।

## उड़ीसा और मैसूर के खनिज क्षेत्रों में सड़कें

1603. **श्री बासप्पा** : क्या योजना तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने उड़ीसा और मैसूर के खनिज क्षेत्रों में और सड़कें बनाने के बारे में अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इन पर कितना खर्च आने का अनुमान है ?

**योजना तथा श्रम कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता)** : (क) खनिज अयस्क निर्यात मंत्रणादात्री समिति ने उड़ीसा, मैसूर और कुछ अन्य राज्यों के खनिज क्षेत्रों में सड़क विकास के कुछ सुझाव दिये थे। योजना आयोग ने इन सुझावों को सम्बन्धित राज्यों को भेज दिया था और उनसे अनुरोध किया था कि राज्य योजनाओं में उन्हें सम्मिलत कर लिया जाये। योजना आयोग ने चौथी योजना के प्रस्तावों पर राज्य सरकारों के साथ विचार करते हुये भी इन प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया था।

(ख) चौथी योजना के लिये कार्यक्रमों को अन्तिम रूप देते समय इन प्रस्तावों पर पुनः विचार किया जायेगा।

## केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के डाक्टरों का प्रतिनियुक्ति भत्ता

1604. **श्रीमती सावित्री निगम :**
**श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :**

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वास्थ्य योजना के डाक्टरों को 1963 से प्रतिनियुक्ति भत्ता दिया जाना बन्द कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नैयर)** : (क) और (ख) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा नियम, 1963 जो 15 मई, 1963 से लागू हुए हैं, के अनुसार भागग्राही संगठनों के सभी चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य संबंधी सभी पद इन नियमों की प्रथम अनुसूची में भाग क कर्त्तव्य पदों (ड्यूटी पोस्ट्स) और भाग ख प्रतिनियुक्ति पदों (डेपूटेशन पोस्ट्स) में सम्मिलित हैं। कर्त्तव्य एवं प्रतिनियुक्ति पदों के वेतन-मान समान होने के कारण इस प्रकार के प्रतिनियुक्ति पदों पर काम करने वाले केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों को कोई प्रतिनियुक्ति भत्ता नहीं मिलता। यदि उन्हें नियम 11 उप-नियम (7) में दिये गये पदों से भिन्न किसी पद पर किसी राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकार, वैधानिक उद्यम अथवा कम्पनी अधिनियम, 1956 में निर्धारित किसी सरकारी कम्पनी अथवा सरकार से अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं के अधीन प्रतिनियुक्ति पर अथवा विदेश सेवा में काम करना पड़े तो उन्हें केन्द्रीय सरकार के आदेशों के अनुसार ग्राह्य सभी सुविधायें प्राप्त होंगी।

### असैनिक डाक्टरों की सेवाओं का सेना के लिए प्राप्त किया जाना

1605. **श्रीमती सावित्री निगम**: क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि असैनिक डाक्टरों की सेवाएं सेना के लिए प्राप्त की जाती हैं, उन्हें प्रारम्भ में सेना में कैप्टन अथवा मेजर आदि कनिष्ठ अधिकारी के पद पर कार्य करना पड़ता है, चाहे उनकी अपनी नियमित सेवा में वे वरिष्ठ पदों पर नियुक्त हों; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

**स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नैयर)** : (क) और (ख) सेना में काम करने पर असैनिक चिकित्सा अधिकारियों को रैंक इस सम्बन्ध में बने नियमों एवं आदेशों के अनुसार दिये जाते हैं जिसका ब्यौरा प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा समय समय पर निकाले जाने वाले पैम्फलेट में दिया जाता है। असैनिक डाक्टरों को असैनिक दरों पर ही यदि वे उनके लिए अधिक लाभकारी हों, तो अपने-अपने वेतन तथा भत्ते लेने की छूट है।

### बिहार में ताल क्षेत्र का विकास

1606. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटना के पूर्व से मुंगेर तक के ताल क्षेत्र का विकास करने के लिए उस क्षेत्र के कुछ संसद्-सदस्यों, विधान सभा के सदस्यों तथा विधान परिषद् के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रधान मंत्री को तब दी गई थी, जब वह हाल में बिहार के दौरे पर थीं ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार दीर्घ काल से निर्णय के लिए पड़ी हुई योजना को निकट भविष्य में अन्तिम रूप देने का है ?

**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० कु० ल० राव)** : (क) प्रधान मंत्री को ऐसी कोई याचिका प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) उक्त ताल क्षेत्र के विकास के लिए 187 लाख रुपये की अनुमित लागत की प्रोकासेह ताल स्कीम राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई है और यह चौथी योजना के दौरान कार्यान्वियन के लिए प्रस्तावित है।

### समुद्र की लहरों से बिजली का उत्पादन

1607. **श्री यशपाल सिंह** : **श्री लक्ष्मीदास** :
**श्री रानेन सेन** : **श्री इम्बीचीबाबा** :
**श्री प० कुन्हन** : **श्री उमानाथ** :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन का ध्यान 21 सितम्बर, 1966 के "पैटरियट" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि श्री सी० के० प्रभाकरमनायर नामक एक व्यक्ति ने समुद्र की लहरों से उत्पन्न शक्ति से बिजली का उत्पादन करने की एक योजना बनाई है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० कु० ल० राव) :** (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग में स्कीम की जांच की गई थी और यह पता चला कि इसका कार्यान्वयन सम्भव नहीं है ।

### Power House at Bhakra Dam

**1608. Shri Yashpal Singh:** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether the Power House at Bhakra Dam which was scheduled to start functioning on the 24th September, 1966 has not been commissioned;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the steps being taken in this regard?

**The Minister of State in the Ministry of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao):** (a) to (c). The 2nd unit of the Bhakra Right Bank Power House is under load test and will be put into commercial operation shortly.

### दिल्ली में अनधिकृत बस्तियों को नियमित बनाना

**1609. श्री नि० रं० लास्कर :** क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री 17 सितम्बर, 1966 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित समाचार के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने अनधिकृत बस्तियों का नियमानुकूलन करने के लिए एक समिति नियुक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो यह समिति अपना अन्तिम प्रतिवेदन कब तक पेश करेगी ; और

(ग) क्या सरकार का विचार दिल्ली नगर निगम को ऐसी अनधिकृत बस्तियों को तब तक गिराने से रोकने का है जब तक कि इस सम्बन्ध में समिति का प्रतिवेदन नहीं मिल जाता ?

**निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) :** (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) समिति ने एक अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसमें कि वे स्थूल सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं जिनके आधार पर अनधिकृत बस्तियों को नियमित किया जा सकता है । उनके द्वारा अभिशंसित सिद्धान्तों के प्रकाश में अब वह एक एक बस्ती की स्थिति की परीक्षा करेगी तथा इस में 5—6 महीने लग जायेंगे । जब तक यह परीक्षण होगा, निगम से यह अनुरोध किया गया है कि एक सितम्बर, 1962 से पूर्व के अनधिकृत निर्माणों को न गिराया जाये, किन्तु जो निर्माण इस तारीख के बाद हुए हैं उनके संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

## कलकत्ता में बालीगंज को कस्बा से मिलाने वाला ऊपरी पुल

**1610. श्री यशपाल सिंह :** क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री कलकत्ता में बालीगंज को कस्बा से मिलाने वाले ऊपरी पुल के बारे में 1 सितम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3982 के उत्तर के संबंध में यह बतानेकी कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

**योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) :** जिस ऊपरी पुल का जिक्र किया गया है वह एक स्थानीय योजना है तथा उसकी जांच और अनुमोदन करने का अधिकार राज्य सरकार को ही है। राज्य सरकार से यह मालूम हुआ है कि कलकत्ता सुधार न्यास (कलकत्ता इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट) द्वारा तैयार किया गया ऊपरी पुल का प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और राज्य की चौथी योजना के प्रारूप में सम्मिलित कर लिया गया है।

## दिल्ली में सफाई

**1611. श्री विभूति मिश्र :**
**श्री क० ना० तिवारी :**

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या 8 सितम्बर, 1966 को "स्टैट्समैन" में "दिल्ली सब से गन्दी राजधानी" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली को अधिक साफ-सुथरा रखने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नैयर) :** (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली नगर निगम ने बतलाया है कि वे निम्नलिखित उपायों के द्वारा दिल्ली में सफाई की स्थिति को सुधारने के लिए भरसक प्रयत्न कर रहे हैं :—

1. कूड़ा हटाने के लिए अतिरिक्त ट्रकों को लगाना।
2. बिना पानी वाले शौचालयों को फ्लश शौचालयों में बदलने के लिए अधिक उपाय करना।
3. सभी मलबे वाले स्थानों तथा प्रमुख स्थानों पर कूड़ा ले जाने वाली गाड़ियों का निरीक्षण किया जाय ताकि गाड़ियों में उनकी क्षमता से अधिक कूड़ा न भरा जाय तथा चलते समय उनसे कूड़ा इधर उधर न बिखरता रहे।

उन्होंने यह भी बतलाया है कि शहर के घने बसे क्षेत्रों में झाड़ देने का काम बहुत सवेरे प्रातः 7 बजे किया जाता है।

सार्वजनिक पेशाबघर तथा शौचालय प्रतिदिन नियमित रूप से साफ किये जाते हैं तथा उनकी उपयुक्त मरम्मत भी होती रहती है।

जामा मस्जिद के इर्द गिर्द मछली बाजार के कारण उत्पन्न गन्दगी की ओर ध्यान तब दिया जायगा जब इस क्षेत्र के पुर्नविकास की योजना मंजूर हो जायगी। इस संबंध में योजना तैयार कर दी गई है तथा काम शीघ्र ही शुरू कर दिया जायगा।

नई दिल्ली नगर पालिका की सीमा के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों की सफाई अपेक्षतया अच्छी है।

### Arrears of Excise Duty, Income-tax and Estate Duty

**1612. Shri Bibhuti Mishra:**
**Shri K. N. Tiwary:**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the amount of arrears in Central Excise Duty, Income-tax and Estate Duty as on the 31st October, 1966;

(b) the reasons therefor; and

(c) the steps taken by Government to collect the arrears?

**The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri):** (a) to (c). Information regarding Income-tax and Estate Duty is being collected and will be placed on the Table of the House.

Information regarding Central Excise Duty is given below:—

(a) the amount of arrears of central excise duty as on 31st October, 1966 was Rs. 1798;54 lakhs.

(b) (i) Most of arrears are due to disputed assessments. In many such cases, the arrears cannot be recovered, the assessees having filed appeals, revision petitions or having launched civil proceedings in courts of law and the cases being *subjudice*, till such time as these are decided.

(ii) There are procedural delays in enforcing certificate action (recovery through State Revenue Authorities) under section 11 of the Central Excise and Salt Act, 1944.

(c) The following remedies are available under section 11 of the Central Excises & Salt Act, 1944 for the realization of arrears of revenue:—

(i) the amount in arrears may be deducted from any money.

### जलनिकासी योजना के लिये विश्व बैंक द्वारा सहायता

1613. **श्री कोल्ला वेंकैया** : क्या **सिचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मित्रा समिति की सिफारिश के अनुसार आंध्र प्रदेश को कुछ जल निकासी योजनाओं के लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो किन योजनाओं के लिए सहायता मांगी गई है तथा कितनी सहायता मांगी गई है ;

(ग) क्या इस संबंध में विश्व बैंक से कोई बात चीत की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० कु० ल० राव)** : (क) इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) इस प्रस्ताव के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा बनाई गई स्कीमों को संलग्न विवरण में बताया गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी०—7343/66**] राज्य सरकार के प्रस्तावों की जांच की जा रही है । कितनी सहायता मांगी जाए, इस का निर्णय अभी तक नहीं हुआ है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**आदिम जातियों के विद्यार्थियों के लिये आश्रम स्कूल**

1614. **श्री सुबोध हंसदा :**
**श्री स० चं० सामन्त :**
**श्री प्र० चं० बरुआ :**
**श्री भागवत झा आजाद :**
**श्री म० ला० द्विवेदी :**
**डा० म० मो० दास :**

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया गया है कि आदिम जातियों के विद्यार्थियों ने आश्रम स्कूल कहां तक पसन्द किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका निष्कर्ष क्या है ; और

(ग) क्या यह पता लगाने के लिए भी सर्वेक्षण किया गया है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी आश्रम स्कूलों से प्राप्त व्यावहारिक प्रशिक्षण के अनुसार अपने गांवों में जा कर व्यवसाय करना पसन्द करते हैं और कितने प्रतिशत उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं ?

**समाज कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं ।

**अनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण**

1615. **श्री सुबोध हंसदा :**
**श्री स० चं० सामन्त :**
**श्री प्र० चं० बरुआ :**
**श्री म० ला० द्विवेदी :**
**श्री भागवत झा आजाद :**
**डा० म० मो० दास :**

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण से सम्बन्धित अखिल भारतीय गैर-सरकारी संस्थाएं आदिम जातियों के लोगों में नेतृत्व की क्षमता उत्पन्न कर सकी हैं ;

(ख) यदि हां, तो कौनसी संस्थाएं ऐसा कर सकी हैं ; और

(ग) क्या इन सब आदिम जातीय नेताओं को कोई रचनात्मक कार्य सौंपा जाता है ?

**समाज कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) जी, हां ।

(ख) 1. भारतीय आदिम जाति सेवक संघ ।

2. रामकृष्ण मिशन ।

3. इलाहाबाद विश्वविद्यालय ।

(ग) जी, हां ।

## बेल्जियम से ऋण

1616. **श्री स० चं० सामन्त** : **श्री म० ला० द्विवेदी** :
**श्री सुबोध हंसदा** : **श्री भागवत झा आजाद** :
**श्री प्र० चं० बरुआ** : **डा० म० मो० दास** :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैल्जियम की सरकार ने बड़ा ऋण देने की पेशकश की है ;

(ख) क्या इसको स्वीकार कर लिया गया है ;

(ग) कितनी राशि के ऋण की पेशकश की गई है ;

(घ) पेशकश धन क सम्बन्ध में है या वस्तुओं आदि के रूप में; और

(ङ) यदि पेशकश वस्तुओं के रूप में है तो इस द्वारा कौन सी परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी और मशीनें भेजने का काम वस्तुतः कब आरम्भ होगा ?

**वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी)** : (क) से (ग) बैल्जियम की सरकार 1966-67 के लिए भारत सरकार को 12 लाख डालर (90 लाख रुपये) का ऋण देने के लिए तैयार है । हम इसके लिए अपनी स्वीकृति दोनों सरकारों के बीच होने वाले करार के द्वारा देंगे जिस पर उस समय हस्ताक्षर किये जायेंगे जब बैल्जियम की पार्लियामेंट जिसका अधिवेशन इस समय हो रहा है इस के लिए अपनी मंजूरी दे देगी ।

(घ) नकदी के रूप में ।

(ङ) मशीनों का भेजा जाना उन आर्डरों के आधार पर शुरू किया जायगा जो दोनों सरकारों के बीच करार पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद, बैल्जियम के संभरकों (सप्लायरों) को दिये जायेंगे ।

## कोसी परियोजना

1617. **श्री फ० गो० सेन** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष धान रोपण के लिये कोसी परियोजना प्रशासन द्वारा कितना पानी दिया गया ; और

(ख) आगामी रबी की फसल के दौरान कितना पानी दिया जायेगा ?

**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० कु० ल० राव)** :(क) इस वर्ष लगभग 2 लाख एकड़ भूमि में धान के पौधों को लगाने के लिये 6,000 क्यूसेक पानी दिया गया है ।

(ख) 6,000 क्यूसेक की यही मात्रा रबी की मौसम में भी दी जाने की संभावना है ।

**Insurance Facilities to Circus Employees**

**1618. Shri Vishram Prasad:**
**Shri Vasudevan Nair:**
**Shri Warrior:**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether the work of employees of Circus Companies is not considered more risky as compared with the work of the employees of Air Force and the Air Companies; and

(b) if not, the reasons for not insuring the lives of the employees of the Circus Companies while the lives of employees of Air Forces and Air Companies are insured?

**The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri):** (a) The employees of Circus Companies, Air Force and Air Companies are subject to varying risks depending upon the nature of duties of the individuals concerned. No *inter-se* comparison on a general basis between these groups of employees is, therefore, possible.

(b) For certain categories of employees of Circus Companies, the occupational hazard is so great that the extra risk could be covered only by extra premium so high that insurance would be regarded as impracticable. In these circumstances, the Life Insurance Corporation has not found it possible to grant insurance cover to certain categories of Circus employees.

**Staff Research Units**

**1619. Shri Vishram Prasad:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the total monthly expenditure being incurred on pay and allowances of Officers and Staff appointed in the Staff Research Units under his Ministry;

(b) whether it is a fact that the expenditure being incurred on pay and allowances of the officers and staff appointed in these Units is comparatively much more than the savings recommended by them; and

(c) if so, whether Government propose to disband these Units as a measure of economy?

**The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri):** (a) The average monthly expenditure incurred on pay and allowances of the Officers and Staff appointed in the Staff Inspection Unit in the Ministry during April to September, 1966, was rupees 50,000 approximately;

(b) No, Sir. As against the above expenditure, the Staff Inspection Unit has recommended a saving of rupees fifty-nine lakhs per annum on pay and allowances of officers and staff declared surplus from the sanctioned strength during the six months—April to September, 1966. In addition, the Staff Inspection Unit studies have also resulted in the withdrawal or modification of proposals for extra officers and staff, which will yield a preventive economy of rupees sixty-three lakhs during the same period.

(c) Does not arise.

**Power for Industrial areas of Delhi**

**1620. Shri Onkar Lal Berwa:** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government propose to set up a high level committee to study the requirements of power in industrial areas of Delhi;

(b) if so, when; and

(c) the terms of reference thereof?

**The Minister of State in the Ministry of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao):** (a) No.

(b) and (c). Do not arise.

**Loan to Delhi Electricity Supply Undertaking**

1621. **Shri Onkar Lal Berwa:** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Central Government have advanced some loan to the Delhi Electricity Supply Undertaking during the current year;

(b) if so, the amount thereof and also the amount of loan given last year; and

(c) the amount of loan repaid so far?

**The Minister of State in the Ministry of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao):** (a) Yes. Loans aggregating Rs. 6,96,50,000 have been sanctioned during the current financial year.

(b) The total loans sanctioned upto 1965-66 to DESU and its predecessor Undertakings by the Government of India amounted to Rs. 30,16,37,374.

(c) An amount of Rs. 60,94,138 has been repaid as principal during the period 1956-57 to 1965-66. The first instalment of repayment of principal became due only in 1956-57.

**मोती महल रेस्तरां, दिल्ली**

1622. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार** नियोजन मंत्री मोती महल रेस्तरां, दिल्ली के बारे में 11 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2051 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या इस रेस्तरां के विरुद्ध चलाये गये मुकदमे की कार्यवाही पूरी हो चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा है ; और

(ग) यदि नहीं, तो मुकदमे की वर्तमान स्थिति क्या है ?

**स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर)** :(क) जी हां ।

(ख) अभियुक्त को छोड़ दिया गया था ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली द्वारा अपमिश्रित शहद की बिक्री**

1623. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार** नियोजन मंत्री 4 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1343 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या अदालती कार्यवाही पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) यदि नहीं, तो यह मुकदमा किस स्थिति में है ?

**स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) :** (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) यह मामला अभी अदालत में निलम्बित है । इसकी सुनवाई की अगली तारीख 1 दिसम्बर, 1966 निश्चत की गयी है ।

### उत्तर प्रदेश में सिंचाई परियोजनाओं के लिये अतिरिक्त धन

**1624. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि उसे तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में पूरी न की जा सकी अपनी कुछ सिंचाई परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये नियत धन के अतिरिक्त कुछ और वित्तीय सहायता दी जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० कु० ल० राव) :** (क) जी हां ।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार की चौथी योजना के प्रस्तावों के बारे में अभी फैसला नहीं हुआ है । चौथी योजना के नियतनों के अतिरिक्त और धन राशियों को नियत करने का प्रश्न इस समय नहीं उठता ।

### परिवार नियोजन के नये गर्भनिरोधक उपायों के बारे में प्रशिक्षण

**1625. श्री शिवमूर्ति स्वामी :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार ने लोगों को नये गर्भनिरोधक उपायों के बारे में प्रशिक्षण देने के लिए कोई संस्था स्थापित की है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया है ; और

(ग) सरकार ने कितनी तथा कहां कहां पर ऐसी संस्थाएं खोली हैं ?

**स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) :** (क) जी हां ।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और तैयार होते ही लोक सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) गर्भाशयी गर्भरोधक (आ० यू० सी० डी०) के टेक्नीक का प्रशिक्षण प्रशिक्षकों को निम्नलिखित क्षेत्रीय संस्थाओं में देने की व्यवस्था है :—

1. किंग जार्ज मैडिकल कालेज, लखनऊ
2. अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कलकत्ता ।
3. धात्रीविद्या एवं स्त्रीरोग संस्थान, मद्रास ।
4. धात्रीविद्या एवं स्त्रीरोग संस्थान, सरकारी प्रसूति अस्पताल, हैदराबाद :
5. परिवार नियोजन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, बम्बई ।
6. केन्द्रीय परिवार नियोजन संस्थान, नई दिल्ली ।

प्रशिक्षक फिर अपने अपने राज्यों में अन्य डाक्टरों को प्रशिक्षण देते हैं ।

### Recovery of Gold and Currency in Bombay

**1626. Shri Bade:**
**Shri Hukam Chand Kachhavaiya:**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Income-tax authorities recovered 80 tolas of gold and Indian currency in Bombay during the last week of September, 1966; and

(b) if so, the action taken in the matter?

**The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri):** (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

### चित्तौड़गढ़ में पकड़ा गया सोना

**1627. श्री विश्वनाथ पांडेय :**
**श्री हु० च० लिंग रेड्डी :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर, 1966 में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग, दिल्ली ने चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) में श्री छगनलाल गोदावत द्वारा छिपाकर रखा हुआ 240 किलोग्राम सोना, जिसका मूल्य 30 लाख रुपये से अधिक है, पकड़ा था ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

**वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) :** (क) जी, हां । स्वर्ण नियंत्रण नियमों के नियम 126I के उपबन्धों का उल्लंघन करने के अपराध में जुलाई-अगस्त 1965 में राजस्थान में छोटी सादड़ी में श्री छानलाल गोदावत से पकड़ा गया 240.040 किलोग्राम सोना, जो घोषित नहीं किया था और (उस समय प्रचालित अन्तर्राष्ट्रीय दर पर) जिसका मूल्य 12.50 लाख रुपया था केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता दिल्ली द्वारा सितम्बर, 1966 में पूरी तरह जब्त कर लिया गया है ।

(ख) श्री छानलाल गोदावत द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता को दृष्टि में रखते हुए उस पर 25 लाख रुपये का व्यक्तिगत दण्ड लगाया गया है । भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत उस पर मुकदमा चलाने के आदेश भी केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता दिल्ली द्वारा जारी किये जा चुके हैं ।

### औद्योगिक वित्त निगम

**1628. श्री बासप्पा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार औद्योगिक सहकारी समितियों को सहायता देने के मामले में औद्योगिक वित्त निगम के कार्य से सन्तुष्ट है ; और

(ख) उद्योगों को वित्तीय सहायता किस कसौटी के आधार पर दी जाती है ?

**वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) :** (क) जी हां । भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने अपनी स्थापना के समय से 30 जून, 1966 तक 59 औद्योगिक सहकारी संस्थाओं को 42.90 करोड़ रुपये की वास्तविक वित्तीय सहायता की मंजूरी दी है । यह रकम, निगम द्वारा 430 औद्योगिक एककों के लिए मंजूर की गयी कुल 292.75 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता का लगभग 14.6 प्रतिशत बैठती है ।

(ख) सभा की मेज पर एक विवरण रख दिया गया है । [पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 7344/46]

**बीमा एजेंटों के रूप में काम करने वाली सरकारी कर्मचारियों की पत्नियां**

1629. **श्री रा० बरुआ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी कर्मचारियों, विशेषकर आयकर तथा बिक्री कर विभागों के कितने कर्मचारियों की पत्नियां बीमा एजेंट हैं ; क्या इस बारे में कोई आंकड़े उपलब्ध हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ;

(ग) क्या यह पता लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है कि क्या बीमा एजेंट का काम करने वाली सरकारी कर्मचारियों की पत्नियों की संख्या में कोई वृद्धि हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो कितनी वृद्धि हुई है ?

**वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी)** : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

**Pruning of Irrigation and Power Schemes**

**1630. Shri Onkar Lal Berwa:** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government propose to prune the Fourth Plan allocations for irrigation and power projects;

(b) if so, to what extent; and

(c) the names of projects proposed to be dropped?

**The Minister of State in the Ministry of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao):** (a) and (b). Discussions with the State Representatives on their draft Fourth Plan proposals are still in progress.

(c) No project accepted in the Plan is proposed to be dropped unless a State Government specifically so desires.

**पंजाब में पीने के जल की योजनायें**

1631. **श्री हेम राज** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) तृतीय पंचवर्षीय योजना में पंजाब के ग्रामीण तथा पहाड़ी क्षेत्रों के लिये स्वीकृत पीने के जल की योजनाओं की संख्या कितनी है तथा उनके नाम क्या हैं ; और

(ख) उनमें से जिले वार कितनी और कौन-कौन सी योजनाएं अब तक पूरी हो चुकी हैं ?

**स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर)**: (क) तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में पंजाब राज्य के लिये 135 ग्राम जल पूर्ति योजनायें मंजूर की गई थीं। इन 135 योजनाओं में से 27 योजनायें उस राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों के लिये हैं। प्रत्येक योजना के नाम तथा उसकी अनुमानित लागत की एक सूची संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 7345/66]**।

(ख) राज्य सरकार से अपेक्षित सूचना प्राप्त हो जाने पर उसका एक विवरण सभा पटल पर रख दिया जायेगा।



2369(Ai) LS—8.

### लेखन सामग्री कार्यालय के निरीक्षण कक्ष का स्थानान्तरण

1632. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :**
**श्री उमानाथ :**

क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लेखन सामग्री कार्यालय के निरीक्षण कक्ष को संभरण तथा निपटान महानिदेशक को सौंप देने की योजना बनाई है जिसके क्षेत्रीय कार्यालय बम्बई, मद्रास, कानपुर तथा दिल्ली में हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त परिवर्तन का क्या वित्तीय परिणाम होगा; और

(ग) इस बारे में सम्बन्धित कर्मचारियों की क्या प्रतिक्रिया है ?

**निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) :** (क) से (ग). लेखन सामग्री कार्यालय के निरीक्षण खंड (इन्सपैक्शन विंग) को कर्मचारियों तथा साज सामान सहित पूर्ति तथा निपटान महानिदेश लय को स्थानान्तरण करने का निर्णय लिया जा चुका है। योजना के प्रति कर्मचारियों का दृष्टिकोण सामान्यतः सहायतात्मक नहीं रहा है। तथापि उन्हें यह आश्वासन दिया जा चुका है कि उनके सेवा के अधिकार सुरक्षित रहेंगे।

### इद्दिकी परियोजना

1633. **श्री मणियंगाडन :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में इद्दिकी परियोजना के पूर्ण हो जाने पर पेरियार नदी से अलवाय क्षेत्र में निरन्तर ताजे जल की सप्लाई बनाये रखने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० कु० ल० राव) :** (क) जी हां।

(ख) ग्रीष्म ऋतु में पानी के सम्पूर्ण निस्सार के लिये केरल सरकार ने पैरियार प्रणाली में एडमालायर परियोजना की प्राथमिक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। विस्तृत विवरण तथा प्राक्कलन अभी तैयार किये जा रहे हैं और इसके प्राप्त होने के पश्चात ही विस्तृत ब्यौरों का पता चलेगा।

### केरल में ग्रामीण जल सम्भरण योजनायें

1634. **श्री मणियंगाडन :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में केरल में ग्रामीण जल संभरण योजनाओं के लिये कितनी धनराशि नियत की गई थी;

(ख) क्या सम्पूर्ण राशि व्यय की जा चुकी है; और

(ग) यदि नहीं, तो कितना कम व्यय हुआ है तथा उसके क्या कारण हैं ?

**स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) :** (क) 50 लाख रुपये।

(ख) और (ग). अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और राज्य सरकार से प्राप्त हो जाने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

### शास्त्री नगर कालोनी, दिल्ली

**1635. श्री कोल्ला वेंकैया :** क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकार का विचार शास्त्री नगर बस्ती के निवासियों को बेदखल करने का है;

(ख) यदि हां, तो कितने निवासियों को बेदखल किया जायेगा;

(ग) कितनी इमारतें नष्ट की जायेंगी और उनका मूल्य अनुमानतः कितना है;

(घ) क्या उन लोगों को उनकी इमारतों तथा भूमि की कीमत दी जायेगी और क्या उन्हें कहीं अन्यत्र भूमि दी जायेगी;

(ङ) यदि नहीं, तो ऐसा न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(च) यदि हां, तो कैसे और कब ?

**निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना):** (क) जिस क्षेत्र में शास्त्री नगर स्थित है वह दिल्ली के मास्टर प्लान में एक डिस्ट्रिक्ट पार्क के लिए सुरक्षित है अतएव वहां किसी भी रिहायशी बस्ती को बने रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती ।

(ख) और (ग). बस्ती (कालोनी) में वास्तव में बने मकानों की संख्या उनका मूल्य तथा उनमें रहने वालों की संख्या का अभी तक कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है ।

(घ) से (च). दिल्ली प्रशासन ने तारीख 19 जुलाई 1961 के प्रेस नोट के द्वारा एक चेतावनी जारी कर दी थी कि 13 नवम्बर, 1959 के बाद हुए निर्माण को नियमित नहीं किया जायेगा । इस चेतावनी के बावजूद तथा दिल्ली नगर निगम अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करते हुए शास्त्री नगर में मकान बनाये गये हैं । अतएव इन मकानों के स्वामियों को मकानों के गिराये जाने पर कोई मुआवज़ा अथवा वैकल्पिक स्थान नहीं दिया जायेगा ।

### एर्नाकुलम में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का अधिवेशन

**1637. श्री वासुदेवन नायर :**
**श्री वारियर :**

क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एर्नाकुलम में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के हाल के अधिवेशन में सड़कों के निर्माण अथवा मरम्मत पर केरल सरकार ने कितना व्यय किया है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में सरकारी अतिथिगृहों तथा पर्यटन बंगलों में कोई परिवर्तन किये गये थे; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए कितना धन व्यय किया गया था ?

**निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) :** (क) से (ग). सूचना प्राप्त की जा रही है तथा सभापटल पर रख दी जायेगी ।

**शिक्षा समस्याओं का अध्ययन करने के लिये शिक्षा तालिका द्वारा स्थापित समितियां**

1638. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा तालिका ने मुख्य शिक्षा समस्याओं का अध्ययन करने के लिए पांच समितियां स्थापित की हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनके सदस्य कौन-कौन हैं तथा उसके निर्देश-पद क्या हैं; और

(ग) उन्होंने अपने काम में क्या प्रगति की है ?

**योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) :** (क) जी हां, शिक्षा तालिका ने पांच समितियों को स्थापित करने का निश्चय किया है । इनमें से चार समितियों का गठन किया जा चुका है । पांचवीं की स्थापना कुछ समय बाद होगी ।

(ख) इन समितियों के गठन और उनके निदेश पदों के बारे में एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । **[संसदीय पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 7346/66]**

(ग) इनमें से एक समिति की बैठक हो चुकी है और उसने अपना प्रतिवेदन दे दिया है । अन्य समितियों की बैठकें शीघ्र बुलायी जा रही हैं ।

**औषधियों के मूल्य**

1639. **श्री महेश्वर नायक :**
**श्री यशपाल सिंह :**

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार ने औषधि मूल्य (प्रश्न तथा नियंत्रण) आदेश 1966 के अन्तर्गत नई औषधियों के मूल्य निर्धारित करने के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या औषधियों की किस्म नियंत्रण के लिये की गई कार्यवाही सफल रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

**स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) :** (क) और (ख). औषधि मूल्य (प्रदर्शन तथा नियंत्रण) आदेश 1966 नई औषधियों पर भी लागू होता है ।

(ग) और (घ). एकत्र किये गये आंकड़ों से पता चलता है कि कम मानक वाली तथा नकली औषधियों की बिक्री एवं निर्माण के मामले कम होते जा रहे हैं जिससे यह संकेत मिलता है कि औषधियों की शुद्धता बनाये रखने के लिए जो कदम उठाये गये हैं वे प्रायः सफल सिद्ध हुए हैं तथापि औषधियों की शुद्धता बनाये रखने के काम को अधिक प्रभावकारी बनाने के लिए सरकार और आगे कार्यवाही करना चाहती है जो इस प्रकार है :—

1. केन्द्रीय और राज्य संगठनों के बीच ताल-मेल रखने के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय औषध नियंत्रण संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने का विचार है । क्षेत्रीय अधिकारियों का मुख्य काम यह देखना है कि दवाइयां बनाने वाले स्थानों

के निरीक्षण का स्तर सब जगह एक समान हो। साथ ही उनका काम इस बात की छान-बीन करना भी है कि कहीं नकली दवाइयां एक राज्य से दूसरे राज्य को तो नहीं ले जायी जा रही हैं वह यह भी देखेंगे कि अन्तर राज्य व्यापार की औषधियों का स्तर ठीक रहे।

2. औषध एवं अंगराग अधिनियम को कठोरता से लागू करने और उसमें एकरूपता लाने के लिए औषध निरीक्षकों को निर्माता फर्मों की तथा उनके यहां उपलब्ध निर्माण सुविधाओं की छान-बीन करने, अभियोग चलाने की पद्धति आदि विषयों में प्रशिक्षण देने का विचार है। औषध निरीक्षकों को औषध निर्माण के नवीनतम तकनीकों एवं परीक्षण सम्बन्धी जानकारी देने के लिए उन्हें तकनीकी तथा अन्य आवश्यक साहित्य देने का भी विचार है।

3. चौथी पंचवर्षीय योजना में देश में उपलब्ध परीक्षण सुविधाओं का विस्तार करने का विचार है।

**Blood Urea**

**1640. Shri Bibhuti Mishra:** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the disease of blood urea is generally considered to be fatal; and

(b) if so, the drugs and medicines discovered so far to cover this disease?

**The Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar):** (a) and (b). Rise in blood urea can be due to many causes. Such a situation may arise as an acute process or it may be a manifestation of chronic diseases of the kidneys. The management of cases with raised blood urea depends on the cause. By itself, however, it is not a disease but one of the symptoms only. Some of the patients with raised blood urea can be managed for some time with dietetic alternation *i.e.*, very low protein intake. There are a number of drugs which can be used for it, specially, the anabolic harmones. In some acute cases or selected chronic cases dialysis. (Peritoneal dialysis or by an artificial kidney machine) can also be done and this helps to lower the blood urea.

**तूतीकोरिन में ताप बिजली घर**

**1641. श्री दिगे :**
**श्री विश्वनाथ पांडेय :**
**श्री मुथिया :**

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री तूतीकोरिन में ताप बिजली घर के बारे में 28 जुलाई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 613 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण तथा विद्युत् परियोजनाओं सम्बन्धी मन्त्रणा समिति की तकनीकी उप-समिति ने तूतीकोरिन में एक ताप बिजली घर स्थापित करने की योजना पर इस बीच विचार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं तो इस योजना के अध्ययन तथा जांच पड़ताल का काम कब तक पूरा हो जायेगा ?

**सिचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० कु० ल० राव)**: (क) से (ग). तकनीकी उप-समिति ने अपनी सिफारिशें दे दी हैं जिनमें सुझाया गया है कि एन्नोर में अतिरिक्त बिजली उत्पादन क्षमता का प्रतिष्ठापन अधिक मितव्ययी होगा। सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण तथा विद्युत् परियोजनाओं सम्बन्धी सलाहकार समिति ने फैसला किया है कि अन्तिम निर्णय लेने से पहले मामले पर सर्वप्रथम राज्य अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया जायेगा।

### Inspection of Work of Education Ministry

**1642. Shri Vishram Prasad:**
**Shri Dhuleshwar Meena:**
**Shri Daljit Singh:**
**Shri Ramapathi Rao:**
**Shri C. M. Kedaria:**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the Hindi qualifications of each member of the S.I. Unit of his Ministry which inspected the work of the Ministry of Education;

(b) whether it is a fact that no consideration has been given to the wider use of Hindi in future in their report; and

(c) if so, whether Government propose to reconsider the report submitted by this Unit?

**The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri)**: (a) Staff Inspection Unit's recent review of the staff requirements of the Ministry of Education covered 789 posts out of which 19 were directly connected with Hindi. No particular Hindi qualifications were, therefore, necessary for the S.I.U. team to undertake the assignment. Actually, however, a'l the members of the team did possess adequate knowledge of Hindi.

(b) Staff requirements are assessed on the basis of existing work-load and after providing for expected increases in discussion with the officials concerned This was done in the present case also. The question of wider use of Hindi as such would be outside the scope of the S.I.U. Report.

(c) Does not arise.

### उड़ीसा में अभावग्रस्त क्षेत्र

1643. **श्री महेश्वर नायक** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंचाई और विद्युत् राज्य मंत्री ने उड़ीसा के अपने दौरे के बाद सुझाव दिया है कि इन्द्रावती, उदारती, सरगदे, तेल, हाथी तथा अन्य कई छोटी नदियों के पानी का उपयोग किया जाये ताकि इन परियोजनाओं का लाभ धान पैदा करने के लिए हो; और

(ख) इनमें से कितनी परियोजनाओं को चालू वर्ष में क्रियान्वित किया जायेगा और उनके लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी सहायता दी जायेगी ?

**सिचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० कु० ल० राव)** : (क) जी, हां।

(ख) उड़ीसा राज्य की चौथी योजना में हाथ में ली जाने वाली नई स्कीमों के बारे में अभी फैसला नहीं हुआ है। सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों में मध्यम सिंचाई स्कीमों को प्राथमिकता देने का प्रस्ताव है।

चौथी योजना के प्रस्तावों के बारे में निर्णय करते समय केन्द्रीय सहायता के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

**केरल में बिजली का वितरण**

**1644. श्री दिगे :**
**श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री केरल में बिजली के वितरण के बारे में 4 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1302 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में बिजली के वितरण के प्रश्न पर सरकार ने अन्तिम रूप से विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया ?

**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० कु० ल० राव) :** (क) और (ख). मामला अभी विचाराधीन है और अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

**केरल में एडामलायर परियोजना**

1645. **श्री दिगे :**
**श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री 4 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1303 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने केरल में एडामलायर परियोजना के बारे में केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग द्वारा पेश किये गये परियोजना प्रतिवेदन पर अन्तिम रूप से विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस का क्या परिणाम निकला ?

**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० कु० ला० राव) :** (क) और (ख). राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि पक्की चिनाई के बांध के बजाये मिट्टी के बांध का फिर से प्राक्कलन बनाये जैसा कि पहले से प्रस्तावित था।

**विदेशी मुद्रा संबंधी वार्षिक बजट**

**1646. श्री श्यामलाल सर्राफ :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार सभी सम्भव सूत्रों से होने वाली अनुमानित आय तथा उस वर्ष होने वाले सम्भावित व्यय के बारे में विदेशी मुद्रा संबंधी वार्षिक बजट तैयार करती है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रस्ताव की घोषणा करने का विचार है और यदि हां, तो कब ?

**वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी):** (क) "विदेशी मुद्रा संबंधी बजट" जैसी कोई चीज नहीं है। जिसे सुविधा की दृष्टि से विदेशी मुद्रा संबंधी बजट कहा जाता है, वह प्रत्येक आधे वर्ष की अवधि

के बाद की जाने वाली समीक्षा है जिसके द्वारा यह पता लगाया जाता है कि बाद की अवधि में विदेशी मुद्रा के रूप में कितने साधन उपलब्ध होने की सम्भावना है, विदेशी मुद्रा संबंधी मांग कितनी हो सकती है और परस्पर-प्रतियोगी मांगों को देखते हुए, अनुमित साधनों का सबसे अधिक लाभदायक उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है।

(ख) जी नहीं। लेकिन हर छमाही के बाद घोषित की जाने वाली आयात नीति, इस समीक्षा के निष्कर्षों पर आधारित होती है ।

## चौथी योजना के आंकड़ों में सुधार

**1648. श्री बसुमतारी** : क्या योजना **तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आंकड़ों में सुधार के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में सरकार 180,000,000 रु० खर्च करेगी ;

(ख) केन्द्र द्वारा कितना धन व्यय किया जायेगा और राज्यों द्वारा कितना ; और

(ग) तीसरी पंच वर्षीय योजना में कितना धन खर्च किया गया ?

**योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता)** : (क) जी हां, चौथी योजना काल में केन्द्र और राज्यों/संघीय राज्य-क्षेत्रों के लिए 'अन्य कार्य-क्रम' विकास शीर्ष के अधीन आंकड़ों के लिए परिव्यय का प्रस्ताव है।

(ख) चौथी योजना में प्रस्तावित 18 करोड़ रुपये के परिव्यय को केन्द्र और राज्यों/संघीय राज्य क्षेत्रों में निम्न प्रकार वितरित किया जायेगा :--

(करोड़ रुपयों में)

| केन्द्र | राज्य | संघीय राज्य-क्षेत्र |
|---|---|---|
| 10.6 | 6.5 | 0.9 |

(ग) तीसरी योजना के दौरान प्रकीर्ण शीर्ष के अधीन केन्द्र और राज्यों/संघीय राज्य-क्षेत्रों में आंकड़ों पर 6.5 करोड़ रुपये खर्च किये गये थे।

## खाली सरकारी क्वार्टर

**1649. श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत से मकान बन कर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, परन्तु उन में अत्यावश्यक सुविधाओं तथा जल और विद्युत् सम्भरण आदि की व्यवस्था न होने के कारण वे खाली पड़े हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने नव-निर्मित क्वार्टर खाली पड़े हैं ;

(ग) वे कब तक अलाट करने योग्य हो जायेंगे ; और

(घ) इस दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) से (घ). केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कुछ समय पूर्व रामकृष्णपुरम में लगभग 800 क्वार्टर बनाये गये थे लेकिन उन्हें आबंटित करना संभव नहीं हो सका, क्योंकि अभी तक पानी तथा बिजली का कनैक्शन नहीं दिया गया है। पानी का कनैक्शन देने के उपाय अभी तक दिल्ली नगर निगम के विचाराधीन हैं। जहां तक बिजली का संबंध है, रामकृष्णपुरम के पहले के बने सैक्टरों की व्यवस्था के संबंध में, दिल्ली इलेक्ट्रिक सप्लाई अन्डरटेकिंग को सैक्टरों के अन्दर की सड़क की बत्तियों की पूरी लागत, लो वोल्टेज मेन की आधी लागत तथा पहले 100 फीट के लीड से और अधिक के सर्विस कनैक्शन का भुगतान करने के लिए सरकार वचन बद्ध है। खाली पड़े 800 क्वार्टरों के संबंध में अन्डरटेकिंग ने अपनी मांग बढ़ा दी है। उसमें सब-स्टेशन की इमारत तथा इक्विपमेंट की पूरी लागत, लो वोल्टेज मेन की पूरी लागत तथा सर्विस कनैक्शन के सम्पूर्ण लीड की लागत शामिल कर ली है। क्योंकि इन बढ़ी हुई मांगों को अनुचित समझा गया अतएव इन्डियन इलैक्ट्रिसिटी एक्ट के द्वारा यदि कोई बढ़ी हुई मांग लागू होती है तो उसकी सीमा का पता चलाने का प्रयत्न किया जा रहा है। इसी बीच में, अन्डरटेकिंग ने सरकार के इस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया है कि जब तक सरकार और अन्डरटेकिंग के बीच में वित्तीय मामलों पर समझौता हो, क्वार्टरों के आवंटन में देरी को कम करने के लिए बिजली के कनैक्शन देने का कार्य तुरन्त शुरू कर दिया जाये।

### केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा परीक्षा

1650. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा, श्रेणी एक में, जिसके लिए 1966 में परीक्षा हुई थी, कितने प्रत्याशी चुने गये ?

**निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में नियुक्ति के लिए केन्द्रीय इन्जीनियरिंग सेवा (सिविल) श्रेणी I में दस तथा केन्द्रीय इलैक्ट्रिकल इन्जीनियरिंग सेवा श्रेणी I में दो प्रत्याशी नामित किये गये हैं।

### गुजरात में दूसरा तापीय बिजलीघर

1651. **श्री मानसिंह पृ० पटेल** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के नये तेल क्षेत्र के निकट दूसरा तापीय बिजली घर स्थापित करने के बारे में सरकार ने कोई निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० कु० ल० राव)** : (क) गुजरात के तेल क्षेत्रों के निकट दूसरा तापीय बिजली घर स्थापित करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

### Agitation by L.I.C. Employees

1652. **Shri Bade:**
**Shri Hukam Chand Kachhavaiya:**
**Shri Shinkre:**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the organisation of the Field Officers of the Life Insurance Corporation who are working in Jammu and Kashmir, Rajasthan and

Punjab has put forward a demand for an increase in their pay and dearness allowance;

(b) whether it is also a fact that they have decided to stage a demonstration on the 21st November, 1966; and

(c) if so, the action taken by Government in the matter?

**The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri)**: (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as received.

(c) Government do not intervene in such matters as the Corporation is fully competent to deal with them.

### Uniforms for Drivers in Delhi Hospitals

**1653. Shri Shinkre:**
**Shri Hukam Chand Kachhavaiya:**

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that drivers working in hospitals under the Central Government in Delhi are not being supplied full uniforms;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the action taken to supply them the full uniforms?

**The Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar)**: (a) No,

(b) and (c). Do not arise.

### Facility for Drivers in Delhi Hospitals

**1654. Shri Shinkre:**
**Shri Hukam Chand Kachhavaiya:**

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Drivers serving in hospitals under the Central Government in Delhi have themselves to take the dead bodies of the patients out of rooms, place them in vehicles and drive them away;

(b) whether it is also a fact that no special precautions are taken to immunise the drivers against catching any disease as a result thereof; and

(c) if so, the action taken by Government in this regard?

**The Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar)**: (a) Normally hospital ambulances are not used for carrying dead bodies. In the Willingdon Hospital, however, occasionally, dead bodies have to be carried from the barracks across the road to the mortuary. For this purpose an old vehicle is used. The Nursing Staff and the Class IV staff bring the body to the van from the ward and the driver also gives a helping hand.

(b) and (c). All staff of the Hospital is encouraged to get themselves fully immunised.

### हिंडन हवाई अड्डे पर नियुक्त कर्मचारियों के लिये भत्ता

1655. **श्री स० मो० बनर्जी :**
**श्री यशपाल सिंह :**

**क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरीदाबाद में लगाये गये केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दिल्ली में मिलने वाले सभी भत्ते मिलते हैं जबकि हिंडन हवाई अड्डे पर लगाये गये केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को, जिन में दिल्ली में रहने वाले कर्मचारी भी शामिल हैं, ये भत्ते नहीं मिलते जबकि दिल्ली नगर की सीमाओं से दोनों स्थानों की दूरी एक समान है; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

**वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) :** (क) जी, नहीं। फरीदाबाद में कार्य कर रहे केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को सभी भत्ते दिल्ली के लिए स्वीकृत दरों पर नहीं मिलते। लेकिन कुछ दफ्तरों के दिल्ली से हटाये जाने पर कर्मचारियों को एक साल के लिए दिल्ली के लिए स्वीकृत दरों पर नगर निवास पूर्ति भत्ता मिलते रहने की मंजूरी दी गयी है। एक साल की अवधि के बाद ये दरें अगले 18 महीनों में धीरे धीरे कम करके शून्य कर दी जायंगी।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

### एम० बी० बी० एस० का संक्षिप्त पाठ्यक्रम

1656. **श्री म० ना० स्वामी :**
**डा० सारादीश राय :**
**श्री दीनेन भट्टाचार्य :**
**श्री लक्ष्मी दास :**
**श्री उमानाथ :**

**क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या उन्होंने निजी तौर पर उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को समेकित छात्रों के लिए एम० बी० बी० एस० के संक्षिप्त पाठ्यक्रम की योजना को क्रियान्वित करने की सलाह दी है ;

(ख) क्या लखनऊ विश्वविद्यालय के राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय (प्राचीन तथा आधुनिक चिकित्सा) के छात्रों ने उपयुक्त योजना के समर्थन में हड़ताल की थी;

(ग) क्या इस कालेज के अधिकारियों ने कालेज को अनिश्चित काल तक बन्द रखने की घोषणा की है और यदि हां, तो उन्होंने इस के क्या कारण बताये हैं; और

(घ) सरकार ने छात्रों की शिकायतें दूर कराने के लिए क्या कार्यवाही की है?

**स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर):** (क) जी नहीं। केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् ने मिश्रित आयुर्वेदिक संस्थाओं से उत्तीर्ण छात्रों के लिए एक संक्षिप्त लाइसैन्सियेट कोर्स चलाने का सुझाव दिया था।

(ख) छात्रों ने अपनी मांगों के समर्थन में जिनमें आधुनिक चिकित्सा शिक्षा भी सम्मिलित है, हड़ताल की।

(ग) और (घ). यह समझा जाता है कि हड़ताल समाप्त करने के प्रयत्नों के बावजूद 24 अक्तूबर, 1966 को कालेज फिर से खुलने पर जब केवल 2 छात्र उपस्थित हुए तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कालेज को पूरी तरह बन्द कर देने की घोषणा कर दी है। राज्य सरकार से विस्तृत सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है।

**एम० बी० बी० एस० का संक्षिप्त पाठ्यक्रम**

**1657. श्री म० ना० स्वामी :**
**श्री दीनेन भट्टाचार्य :**
**डा० सारादीश राय :**
**श्री उमानाथ :**
**श्री लक्ष्मी दास :**

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिषद् ने समेकित स्नातकों के लिए एम० बी० बी० एस० के संक्षिप्त पाठ्यक्रम की योजना मंजूर की है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों ने यह योजना क्रियान्वित नहीं की है तथा उसके क्या कारण हैं ;

(ग) सरकार ने इन राज्यों सरकारों को इस योजना को क्रियान्वित करने के हेतु प्रेरित करने के लिये क्या कार्यवाही की है ;

(घ) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना को क्रियान्वित करने में अपनी असमर्थता प्रकट की है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नैयर):** (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ). प्रश्न ही नहीं उठते।

**कृन्तक प्राणियों (रौडेंट) का उन्मूलन**

**1658. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
**श्री राम हरख यादव :**

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय पहले इस मंत्रालय ने कृन्तक प्राणियों (रोडैण्ट) के उन्मूलन के लिये एक समिति नियुक्त की थी ;

(ख) यदि हां, तो इस समिति ने इस संबंध में अब तक क्या कार्य किया है ; और

(ग) देश में कृन्तक प्राणियों के आतंक पर प्रभावी ढंग से काबू पाने के लिये यदि कोई सिफारिशें की गई हैं तो वे क्या हैं ?

**स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर)**: (क) कृन्तक नियंत्रण के लिए भारत सरकार ने स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्रालय में एक समिति का गठन किया था ?

(ख) और (ग). कृन्तक नियंत्रण समिति ने अपनी रिपोर्ट का प्रारूप तैयार कर लिया है और इसे सदस्यों के पास उनके विचार जानने के लिए भेज दिया है।

**नई दिल्ली में मिन्टो रोड और डी० आई० जैड० क्षेत्र में भूमि**

1659. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार सरकारी कर्मचारियों के पुराने क्वार्टरों के गिरा दिये जाने के परिणामस्वरूप नई दिल्ली में मिन्टो रोड तथा उसके आसपास के क्षेत्र तथा डी० आई० जैड० इलाके में खाली हुई भूमि को आम नीलामी द्वारा बेचने का है ;

(ख) यदि हां, तो उस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है तथा कौन कौन से क्षेत्रों की इस प्रकार नीलामी की जायेगी ; और

(ग) सरकारी कर्मचारियों के लिये इन पुराने क्वार्टरों के स्थान पर नये क्वार्टर न बनाये जाने के क्या कारण हैं, जैसा कि पहिले विचार था ?

**निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) क्षेत्र की क्षेत्रीय योजनाओं में भूमि के निर्धारित प्रयोग के अनुसार भूमि का उपयोग किया जायेगा। डी० आई० जैड० क्षेत्र के क्षेत्रीय योजना में, जो कि अनुमोदित हो चुकी है, रिहायशी यूनिटों को बनाने की व्यवस्था है, तथा वास्तव में उस क्षेत्र में सरकारी कर्मचारियों के लिए कुछ रिहायशी यूनिट बना भी दिये गये हैं। मिन्टो रोड क्षेत्र में भी सरकारी कर्मचारियों के लिए कुछ रिहायशी यूनिटों का बनाना स्वीकार कर लिया गया है किन्तु वास्तव में निर्माण क्षेत्रीय योजना के अनुमोदित होने के बाद तथा निधियां उपलब्ध होने पर आरम्भ किया जायेगा।

**जनरल ड्यूटी मेडिकल आफिसर**

1660. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि जनरल ड्यूटी मैडिकल अफसर ग्रेड 1 के पदों पर सीधे नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों तथा विभागीय तौर पर पदोन्नति पाने वाले व्यक्तियों के लिये भिन्न भिन्न नियम बनाए गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इनसे क्या विभागीय उम्मीदवारों की पदोन्नति की संभावनाओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ?

**स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नैयर)**: (क) और (ख). ग्रेड 1 जनरल ड्यूटी अफसरों के पदों पर पदोन्नति द्वारा तथा सीधी भर्ती द्वारा जो नियुक्तियां की जाती हैं वे केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा नियम, 1963 जैसा कि वह केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा (संशोधन) नियम, 1966 द्वारा संशोधित किया गया है, के नियम 7, 7-क और 8 के प्रावधानों के अनुसार की जाती हैं। इनकी प्रतियां संसद् के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। इन नियमों से विभागीय उम्मीदवारों की पदोन्नति की संभावनाओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता।

**बाल पक्षाघात का टीका**

1661. **श्री सोनावने :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर, 1966 में दिल्ली के कलावती, इर्विन तथा सफदरजंग अस्पतालों में बाल पक्षाघात का टीका उपलब्ध नहीं था ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ; और

(ग) देश के विभिन्न अस्पतालों में इस टीके की सप्लाई की स्थिति क्या है ?

**स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नैयर) :** (क) से (ग). इस वैक्सीन का स्टाक सब अस्पताल नहीं रखते । इस वैक्सीन की आवश्यकता वाले बच्चों के लिये दिल्ली में अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान्, सफदरजंग और कलावती सरन शिशु अस्पताल यह वैक्सीन देते हैं । सितम्बर के महीने में कलावती सरन शिशु अस्पताल में इसका स्टाक समाप्त हो गया था ।

सफदरजंग अस्पताल में इसका पर्याप्त स्टाक था । इर्विन अस्पताल में पोलियो वैक्सीन का स्टाक नहीं रखा जाता है ।

यह एक विशिष्ट प्रकार की वैक्सीन है और बिना उचित चिकित्सीय व्यवस्था के इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता । हैफ्किन इंस्टीट्यूट, बम्बई में यह वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और वहां इसके स्टोरेज की विशेष व्यवस्था है । यह तो नहीं कहा जा सकता कि यह वैक्सीन देश के विभिन्न अस्पतालों में उपलब्ध है या नहीं परन्तु यह वैक्सीन संबंधित राज्यों के चिकित्सा सेवाओं के निदेशक के अनुरोध पर हैफ्किन इंस्टीट्यूट के केन्द्रीय स्टाक से दी जाती है । यह बाजार में भी उपलब्ध है ।

**मैसूर राज्य में गांवों में बिजली लगाना**

1662. **श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में मैसूर राज्य के गांवों में बिजली लगाने के लिये कितनी राशि नियत की गई थी ;

(ख) उपरोक्त अवधि में कितनी राशि खर्च की गई ;

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में मैसूर राज्य में गांवों में बिजली लगाने का क्या कार्यक्रम है ; और

(घ) अब तक कितने गांवों में बिजली लगाई गई है ?

**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० कु० ल० राव) :** (क) केन्द्रीय सहायता को मिलाकर 1,235 लाख रुपये ।

(ख) 966 लाख रुपये ।

(ग) कार्यक्रम को अभी अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

(घ) 31–3–66 तक 4136 गांव ।

**अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों संबंधी आदेश में संशोधन करने के लिये प्रारूप विधेयक**

**1663. श्री दे० शि० पाटिल :** क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों संबंधी आदेश में संशोधन करने वाले प्रारूप विधेयक को अन्तिम रूप दे दिया जा चुका है ;

(ख) यदि हां, तो कब तक इसके पुर:स्थापित किये जाने की सम्भावना है तथा क्या सभा के भंग होने से पहले इस के पारित हो जाने की संभावना है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) :** (क) से (ग). अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों संबंधी आदेशों में संशोधन करने के लिये विधेयक के मसौदे को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है और यह मामला अभी विचाराधीन है।

**बिहार में नलकूप**

**1664. श्री रामचन्द्र मलिक :**
**श्री सुधांशु दास :**

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार सरकार ने 4,000 नलकूपों के लिये बिजली की व्यवस्था करने के संबंध में पहले ही एक आपातकालीन योजना प्रस्तुत कर रखी है ;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार को राज्य में हाल की सूखे की स्थिति का सामना करने के लिये कुल कितनी धनराशि की आवश्यकता है ;

(ग) क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से लगभग 20 करोड़ रुपये की लागत वाली आपातकालीन मध्यम सिचाई योजनाओं को भी मंजूरी देने का अनुरोध किया है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० कु० ल० राव) :** (क) जी, हां।

(ख) 1966-67 के लिये 2.75 करोड़ रुपये के वार्षिक योजना व्यय के अतिरिक्त उपरोक्त 4,000 नलकूपों को अर्जित करने के लिये 3 करोड़ रुपये।

(ग) और (घ). राज्य सरकार से प्रार्थना की गई है कि वे आपातकालीन कार्यक्रम के अन्तर्गत हाथ में ली जाने वाली मध्यम सिंचाई स्कीमों के विस्तृत प्रस्ताव (परियोजना प्रतिवेदन) दें।

**नर्मदा नदी पर जलसिन्धी बांध**

1665. **श्री दे० जी० नायक :**
**श्री छोटूभाई पटेल :**

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नर्मदा नदी पर जलसिन्धी बांध बनाने के बारे में महाराष्ट्र सरकार तथा मध्य प्रदेश सरकार के बीच कोई समझौता हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० कु० ल० राव):** (क) जी, हां।

(ख) गुजरात जो नर्मदा के तटवर्ती राज्यों में से है, इस समझौते का भागी नहीं है। समस्त नर्मदा नदी प्रणाली के इष्टतम विकास के लिये संबद्ध राज्यों के बीच कोई संतोषजनक समझौता हो जाए, इसके लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं।

**केन्द्रीय लोक सहकारिता संबंधी अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्था**

1666. **श्री दे० जी० नायक :**
**श्री वाडीवा :**
**श्री छोटूभाई पटेल :**

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने हाल ही में लोक सहकारिता विषयक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संबंधी एक केन्द्रीय संस्था स्थापित की है ;

(ख) यदि हां, तो यह संस्था क्या क्या कार्य करेगी ; और

(ग) सरकार इस पर प्रति वर्ष कितना व्यय करेगी ?

**योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता)** : (क) जी, हां। इस संस्था का सही नाम लोक सहकारिता विषयक अनुसंधान और प्रशिक्षण की केन्द्रीय संस्था है।

(ख) इस संस्था के सामान्य उद्देश्यों को बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

**[संसदीय पुस्तकालय में रखा गया--देखिये संख्या एल० टी० 7347/66]।**

(ग) वार्षिक खर्च संस्था की वास्तविक आवश्यकताओं पर निर्भर होगा और जो प्रत्येक वर्ष में भिन्न भिन्न होगा। चालू वित्तीय वर्ष के लिये योजना आयोग के बजट प्राक्कलनों में इस संस्था को सहायक अनुदान देने के लिये 6 लाख रुपये की राशि नियत की गयी है।

**केरल में सिविल तथा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर**

1667. **श्री मोहम्मद कोया** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अक्तूबर, 1963 से 1 जून, 1966 की अवधि में केरल राज्य विद्युत् बोर्ड में जूनियर इंजीनियरों (विद्युत् तथा असैनिक विभाग में पृथक् पृथक् रूप से) की पदालि में कुल कितने इंजीनियरी

स्नातकोत्तर उम्मीदवार नियुक्त किये गये तथा कितने डिप्लोमा धारियों तथा प्रमाण-पत्र-धारियों को पदोन्नत किया गया ;

(ख) क्या उनकी नियुक्ति और पदोन्नति के मामले में केरल राज्य के दिनांक 21 अक्तूबर, 1963 के जी० ओ० संख्या एम एस–449/63–पी० डब्ल्यू० में दी हुई शर्तों का पूर्ण रूप से पालन किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

**सिचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० कु० ल० राव)** : (क) स्थिति निम्नलिखित है :—

| | इन्जीनियरी | सिविल |
|---|---|---|
| ग्रेजुएट | 45 | 59 |
| डिप्लोमा होल्डर | 26 | 5 |
| सर्टिफिकेट होल्डर | 24 | 32 |

(ख) और (ग): बोर्ड के लिए आदेशों का पालन सम्भव नहीं हो सका है क्योंकि इसे इस दिशा में कुछ व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जबकि इस मामले पर राज्य सरकार विचार कर रही थी उस समय कार्यकारी कर्मचारी संघ तथा राज्य बिजली बोर्ड के बीच एक औद्योगिक विवाद उठ खड़ा हुआ जिसकी मदों में से "जूनियर इंजीनियरों के केडर में पदोन्नति और नियुक्ति" भी एक मद थी। इस मामले को राज्य सरकार ने 18–8–1964 को निपटारे के लिए निर्दिष्ट कर दिया। औद्योगिक विवाद पर अन्तिम निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है।

**Translators in Finance Ministry**

**1668. Shri Jagdev Singh Siddhanti:** Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3654 on the 14th April, 1966 and state:

(a) the number of trained Hindi translators required for the Department of Revenue;

(b) the number of translators out of the total number for which a demand was duly sent to the Union Public Service Commission or the Employment Exchange;

(c) the steps taken for the recruitment of Hindi translators in sufficient number;

(d) the time by which the arrangements are likely to be made to issue the orders of permanent nature relating to Central Excise and Income-tax Department in Hindi simultaneously.

**The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri):** (a) The number has yet to be assessed on the basis of the workload.

(b) and (c). Do not arise.

(d) It is not possible to fix any limit, as the time likely to be taken for the sanction and recruitment of staff cannot be precisely gauged.

**Pay Scales of Reserve Bank Employees**

**1669. Shri Prakash Vir Shastri:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Electricians, compounders and telephone operators employed in various offices of the Reserve Bank of India are not given uniform scales of pay and that the persons possessing similar qualifications and doing the same type of jab are given difference pay scales;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the action Government propose to take to remove this discrimination?

**The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri):** (a) to (c). The Reserve Bank of India have two grades each for electricians, compounders and telephone operators. The pay scales for these grades have been prescribed on the basis of the award of the National Industrial Tribunal (Bank Disputes) and take into account the nature of duties, the responsibilities and the workload of the posts included in the respective grades. Such a categorisation of posts does not amount to discrimination, requiring any action on the part of Government.

**ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करने के लिये नर्सों तथा कम्पाउण्डरों को प्रशिक्षण**

**1670. श्री बृजवासी लाल :**
**श्री विश्वनाथ पण्डेय :**
**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस की नर्सों और डाक्टरों के एक दल ने जो आजकल भारत आये हुए हैं सुझाव दिया है कि गांवों में सेवा करने के लिए जहां डाक्टर काम नहीं करना चाहते सरकार को योग्यता-प्राप्त नर्सों तथा कम्पाउण्डरों को प्रशिक्षण देना चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**स्वास्थ्य तथा परिवर नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नैयर) :** (क) इसके बारे में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**स्वर्गीय राशबिहारी बसु की मूर्ति**

**1671. श्री ही० ना० मुकर्जी :** क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रमुख क्रांतिकारी नेता स्वर्गीय राशबिहारी बसु की प्रतिमा दिल्ली में एक उपयुक्त स्थान पर जो उनके सर्वाधिक विख्यात कार्य-कलापों का केन्द्र रहा है लगाने की योजना को क्रियाविन्त करने में कोई प्रगति हुई है ?

**निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) :** दिल्ली में मूर्ति स्थापित करने वाली समिति ने 10 दिसम्बर, 1965 को अपनी तीसरी बैठक में प्रस्ताव पर विचार किया था तथा उसे स्थगित कर दिया था । तब से समिति की कोई बैठक नहीं हुई है ।

**आयकर विभाग द्वारा राशि-प्रत्यर्पण (रिफन्ड) सप्ताह का मनाया जाना**

**1672. श्री श० ना० चतुर्वेदी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयकर विभाग ने हाल ही में राशि-प्रत्यर्पण सप्ताह मनाया था ;

(ख) यदि हां, तो इस अवधि में आगरा खण्ड में कितने मामलों में राशि-प्रत्यर्पण किया गया और कितनी धनराशि का ; और

(ग) इस खण्ड में अब (एक) एक वर्ष से अधिक अवधि से (दो) दो वर्ष से अधिक अवधि से और (तीन) तीन वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि से राशि-प्रत्यर्पण के कितने मामले अनिर्णीत पड़े हैं ?

**वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी)** : (क) जी, हां । विभिन्न आयकर आयुक्तों को आदेश दिया गया था कि कर वापसी के मामलों को समाप्त करने के लिये 'कर वापसी' सप्ताह' मनाया जाय ।

(ख) और (ग) आवश्यक सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

**लक्ष्मी कार्माशियल बैंक, दिल्ली**

**1673. श्री शिव चरण गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय पहले आयकर विभाग ने लक्ष्मी कार्माशियल बैंक लिमिटेड, दिल्ली में जमा की गई रकमों की जांच की थी ;

(ख) यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम निकला ; और

(ग) जाली नाम से खाता खोलने वालों से आयकर प्राप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी)** : (क) जी, हां । पूछ-ताछ चल रही है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जांच-पड़ताल तथा कर-निर्धारण की कार्यवाही पूरी हो जाने पर ही कर की वसूली का प्रश्न पैदा होगा ।

**Water Supply in New Moti Nagar Colony, Delhi**

**1674. Shri Onkar Lal Berwa:** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 536 on the 28th July, 1966 and state:

(a) whether it is a fact that the increased water pressure has not in any way improved the position;

(b) if so, the further action Government propose to take for having proper arrangements of water supply to the residents of New Moti Nagar Colony, Delhi; and

(c) whether the work of connecting the pipe lines already laid with the reservoir has been completed?

**The Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar):** (a) and (b). No Sir.

The position has improved to some extent and further relief to the residents is being given by the regulation of sluice valves.

(c) Yes. The work of connecting the pipe lines with the reservoir has been completed and the line is now being flushed and disinfected. After this, the line will be put into commission and the pressure will be increased. This is expected to be done by the middle of December, 1966 resulting in further improvement.

**मैसूर में सिंचाई परियोजनायें**

1675. **श्री हु० चा० लिंग रेड्डी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में निम्नलिखित परियोजनाओं का कार्य इस समय किन चरणों में चल रहा है तथा उन पर अनुमानतः कितना व्यय होगा :—

(1) हसन जिले में हेमवती परियोजना ; (2) कोलार जिले में तिरुमणि परियोजना;

(3) कुर्ग जिले में हरंगी तथा कम्बादकोड परियोजनाएं ;

(4) बीदर जिले में कनगीस परियोजना; और

(5) बंगलौर जिले में होगेनकल परियोजना ।

(ख) इन परियोजनाओं से कितने क्षेत्र में सिंचाई तथा कितनी बिजली पैदा होने की आशा है ;

(ग) इनकी क्रियान्विति में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या इन्हें चौथी पंच वर्षीय योजना में शामिल कर लिया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो ये परियोजनायें कब तक पूरी हो जाने की सम्भावना है ?

**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० कु० ल० राव) :** (क) अभी तक इन में से कोई भी परियोजना स्वीकार नहीं हुई है ।

(ख) कितने क्षेत्र म सिंचाई होने की सम्भावना है अथवा कितनी मात्रा में बिजली के उत्पन्न होने की सम्भावना है इस बारे में तब पता चलेगा जब परियोजनाओं का स्कोप निर्धारित हो जायेगा ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) हरंगी औरहेमवती को चौथी पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वित होने का प्रस्ताव है ।

(ङ) जिन तारीखों तक इन परियोजनाओं का पूर्ण होना सम्भावित है वे चतुर्थ योजना अवधि में इन दो परियोजनाओं के लिए दी जाने वाली धन-राशि पर निर्भर करती है । चौथी योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

**Development of Eastern U.P.**

1677. **Shri Vishram Prasad:** Will the Minister of **Planning and Social Welfare** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Patel Commission submitted its Report for the development of Eastern Uttar Pradesh and Central Government had accepted it;

(b) if so, the work done in these four districts i.e. Azamgarh, Ghazipur, Jaunpur and Deoria so far in accordance with the said report and if no work has been done, the reasons therefor;

(c) whether it is also a fact that Patel Commission also devised a scheme for the construction of bridges over Tamsa river on Ghosi-Muhamadabad and Nizamabad-Fariha-Azamgarh roads (Uttar Pradesh); and

(d) if so, when the construction of the bridges is likely to be completed and the cost thereof?

**The Minister of Planning and Social Welfare (Shri Asoka Mehta):** (a) and (b). Yes, sir.

Attention is invited to the reply given on September 1, 1966 to Lok Sabha Unstarred Question No. 4058. A statement indicating the progress of work in selected fields of development is laid on the Table of the House. [Placed in Library. *See* No. LT-7348/66].

(c) and (d). On page 292 of the Report there is reference to the following three bridges.

| Name of the Bridge | Cost (Rs. lakhs) |
|---|---|
| 1. Ghosi Mohamdabad road bridge on river Tons at Mohamadabad Gomna | 14.0 |
| 2. Bridge on Chotti Sarjoo on Ghosi Mohamadabad road | 1.60 |
| 3. Bridge over Tons at Nizamabad on Maharajganj Bilariganj. Jeanpur | 10.00 |

The State Government has been asked to furnish information about the implementation of these schemes.

## कावेरी पेय जल संभरण योजना

**1679. श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री 7 अप्रैल, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3401 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) बंगलौर शहर के लिये कावेरी पेय जल सम्भरण योजना की क्रियान्विति में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) इस योजना पर अब तक कितनी धन राशि व्यय हुई है ;

(ग) क्या विश्व बैंक ने इस योजना के लिए धन दिया है और यदि हां, तो कितना ; और

(घ) केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों ने अब तक कितनी वित्तीय सहायता दी है ?

**स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) :** (क) इस परियोजना के परामर्शदाता मेसर्स बिन्नी एण्ड कं० लन्दन ने बेंगलौर जल-पूर्ति एवं मल निष्कासन योजना के बारे में अपनी विस्तृत रिपोर्ट भेज दी है। जिसमें इस योजना की अनुमानित लागत भी बतलाई गई है। उस रिपोर्ट के आधार पर मैसूर सरकार ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि वह 38 करोड़ रुपये के संशोधित प्राक्कलन मंजूर कर ले। इस पर विचार किया जा रहा है।

(ख) राज्य सरकार ने तीसरी योजना में 256 लाख रुपये खर्च होने का पूर्वानुमान लगाया था। अभी तक इस पर ठीक-ठीक कितनी धन-राशि खर्च हुई है इसके बारे में अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और राज्य सरकार से इसकी सूचना मिलते ही उसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

(ग) इस प्रस्ताव पर विश्व बैंक के साथ अभी बातचीत चल रही है।

(घ) नगर जल-पूर्ति योजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता सौ प्रतिशत तक ऋण के रूप में दी जाती है। तीसरी योजना अवधि में भारत सरकार ने इस योजना के लिए 300 लाख रुपये मंजूर किये थे तथा चालू वर्ष के बजट में इस योजना के लिये 200 लाख रुपये की व्यवस्था कर दी गई है।

---

# अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

# CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

## पूर्वी क्षेत्र (ईस्टर्न जोन) के प्रतिरक्षा प्राधिकारियों द्वारा उस क्षेत्र में रेलवे के कुप्रबन्ध के प्रति विरोध (प्रोटेस्ट) के समाचार

**Shri Yashpal Singh** (Kairana): Sir, I beg to call the attention of the Minister of Railways to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon:—

> "Reported Protest by the Defence Authorities of Eastern Zone against mismanagement of the railways in that area."

**रेलवे मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : महोदय, प्रस्तुत विषय पर चर्चा का कारण स्पष्टत: यह है कि कुछ समाचार-पत्रों में इस आशय की रिपोर्ट प्रकाशित हुई है कि हाल में 11-11-1966 को सैनिक स्पेशल गाड़ी के पटरी से उतर जाने के लिए रक्षा प्राधिकारियों ने रेलवे के कुप्रबन्ध के लिये रेल मंत्रालय को दोषी ठहराया है। मैं इस दुर्घटना के बारे में 14-11-66 को सदन में एक बयान दे चुका हूं।

मैं निस्संकोच कह सकता हूं कि समाचार-पत्रों में जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई हैं वह पूर्णत: निराधार, द्वेषपूर्ण और तथ्यहीन है। इस सम्बन्ध में रक्षा मंत्रालय, सेना मुख्यालय ईस्टर्न कमांड अथवा क्षेत्र के कोर कमाण्डर से इस तरह का कोई पत्र न मुझे मिला है न रेल मंत्रालय को और न पूर्वोत्तर सीमा रेल प्रशासन को। रक्षा मंत्रालय ने भी बताया है कि उसे अथवा उपर्युक्त सैनिक पदाधिकारियों में से किसी का इस कथित शिकायत की जानकारी नहीं है।

ध्यानाकषण सूचना में कहा गया है कि रेल प्रशासनों द्वारा रेल-पथ और सिगनलों के प्रति लापरवाही की जाती है। पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में रेल-पथ संरचना सिगनल उपस्कर और उनका अनुरक्षण अनुमत रफ्तार के लिए स्वीकृत मानकों के अनुरूप है। पर्यवेक्षक कर्मचारी नियमित रूप से रेल-पथ और सिगनल उपस्कर का निरीक्षण करते हैं और उन्हें ठीक हालत में रखा जाता है और उनके प्रति किसी तरह की लापरवाही नहीं करने दी जाती।

मैं सदन का ध्यान अपने बयानों की ओर दिलाना चाहूंगा जो समय-समय पर घटित रेल दुर्घटनाओं के बारे में मैंने सदन में दिये हैं। मेरे बयानों में किसी तरह की असंगति नहीं है जैसा कि श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने आरोप लगाया है।

जब दुर्घटनाओं का कारण तोड़ फोड़ बताया जाता है तो ऐसा हमेशा ठोस आधार पर कहा जाता है। संसद की कार्यवाही से मेरी यह बात पुष्ट होती है कि जब कभी रेल दुर्घटना रेल कर्मचारियों की गलती से हुई है उसे किसी समय और किसी स्तर पर स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं किया गया है।

कुछ समाचार पत्रों ने इस बात का भी उल्लेख किया है कि जिस खण्ड पर सैनिक स्पेशल गाड़ी पटरी से उतरी, उस खण्ड में रेलवे लाइन पर गश्त लगाना बन्द कर दिया गया था। मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि रेल-पथ के साथ साथ छेड़-छाड़ और उसमें तोड़-फोड़ की कार्यवाहियों की रोक थाम के लिए सुरक्षा गश्त की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। जिस खण्ड पर यह दुर्घटना हुई, वहां पश्चिम बंगाल राज्य पुलिस सितम्बर, 1965 से लगातार गश्त लगाती रही। 1-8-66 से गश्त लगाना बन्द कर दिया गया क्योंकि राज्य सरकार ने उसके बाद गश्त जारी रखना आवश्यक नहीं समझा। लेकिन हमेशा की तरह रेल प्रशासन ने मानसून के दिनों में गैंगमैनों द्वारा गश्त लगाना जारी रखा। मानसून खत्म हो जाने पर 15-10-66 से गैंगमैनों द्वारा गश्त लगाया जाना बन्द कर दिया गया।

**Shri Madhu Limaye** (Monghyr): Mr. Speaker, under Rule 197 I want to raise a point of order. The Minister has made a wrong statement as also said things which were no relevance to the notice.

**Mr. Speaker:** No point of order can be raised on wrong statement of the Minister.

**Shri Yashpal Singh:** Is some pilot engine sent when our military train passes? If not, by what time such a provision is likely to be made?

**The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh):** There is no such provision.

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बैरकपुर) : स्टेटमैन के समाचार के अनुसार जांच करने वाले अधिकारी का कहना है कि फिश फ्लेट का पुर्जा बहुत पहले से हटा हुआ था तथा वहां एक ओर तो नदी है और दूसरी ओर सेना का कैम्प। इसलिये तोड़ फोड़ की संभावना नहीं है जबकि रेलवे मंत्री श्री स० का० पाटिल ने कलकत्ता में इस विषय पर एक जोरदार भाषण दिया था।

**श्री स० का० पाटिल** : पहली बात यह है कि पुलिस का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। यह रिपोर्ट रेलवे सुरक्षा के सहायक कमिश्नर देंगें। उनके द्वारा ही अन्तिम रिपोर्ट दी जायगी।

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या प्रधान मंत्री यह बतायेंगी कि सरकार इन परस्पर विरोधी समाचारों के होते हुए कोई न्यायिक जांच करायेगी ?

**श्री स० का० पाटिल** : जी नहीं, कोई जांच नहीं होगी।

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : मैं प्रधान मंत्री से उत्तर चाहती हूं।

**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता-मध्य) : प्रधान मंत्री को इसका उत्तर देना चाहिये।

**प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी)** : रेलवे मंत्री ने जो कुछ कहा है मैं उसका अनुमोदन करती हूं।

**श्री प्रिय गुप्त** (कटिहार) : मंत्री महोदय सदन को धोखा दे रहे हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : आप मुझे लिख कर भेजेंगें कि क्या गलती है।

**Shri Madhu Limaye:** In today's statement the report about it has come that there is no case of political or criminal sabotage.

But in Calcutta the Minister said that political elements are behind this sabotage. In the statement of the Minister he has said:

* * * * * *

**Mr. Speaker:** Either you put your question or I shall have to expunge the questions.

**Shri Madhu Limaye:** The Minister says that the action against sabotage is that of the State Government, then on what basis he has blamed the political elements. Is the Minister going to apologise for not knowing the law and truth about it?

**Dr. Ram Subhag Singh:** The Assistant Commissioner of Railways....

**Shri Madhu Limaye:** Why Shri Patil is not speaking? I have not put the question to Dr. Ram Subhag Singh. He was talking a lot in Calcutta. Why he is not replying now....

Dr. Ram Subhag Singh should not be made.............***.

**Shri S. K. Patil:** Mr. Speaker, Sir, he has used the word.
It must be expunged.

**Mr. Speaker:** This will be expunged.

**श्री स० का० पाटिल** : यह जो समाचार दिया है वह जांच करने वाली मशीनरी का नहीं है। यद्यपि पुलिस ने जांच की है, इस जिम्मेदारी को आईद करने का कार्य रेलवे सुरक्षा के सहायक कमिश्नर का है। वह अधिकारी परिवहन मंत्रालय का है।

**श्री हेम बरुआ** (गोहाटी) : जब से श्री पाटिल ने कार्यभार संभाला है, 13 बड़ी दुर्घटनायें हुई हैं तो वह त्याग पत्र क्यों नहीं देते ?

**अध्यक्ष महोदय** : यह अनुपूरक प्रश्न के रूप में नहीं पूछा जा सकता।

**Shri Vishwa Nath Pandey** (Salempur): The Minister has stated that the newspaper report is unfounded. In view of that will the Minister assure us to constitute an enquiry committee against that paper so that no such reports are published in future?

**श्री स० का० पाटिल** : यह कार्यवाही के लिये अच्छा सुझाव है।

**श्री रंगा** (चित्तूर): क्या प्रतिरक्षा अधिकारियों ने यह शिकायत की है कि जो सुझाव उन्होंने दिये थे उन्हें सरकार ने नहीं माना ?

**श्री स० का० पाटिल** : इस मामले में जिम्मेदारी का काम कुछ नाजुक है क्योंकि जब कोई खतरा होता है तो उसकी प्रतिरक्षा विभाग, राज्य सरकार, गृह-कार्य मंत्रालय तथा रेलवे की संयुक्त जिम्मेदारी होती है तथा इकट्ठी कार्यवाही की जाती है। वहां चौकारी के कार्य को बंगाल सरकार ने कुछ समय पूर्व समाप्त कर दिया था। अब इसे करने के लिये हम उन से कह रहे हैं।

**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर): स्टेटमैन के समाचार के अनुसार एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने प्रारंभिक जांच की है और कहा है कि इसमें कोई राजनीतिक तोड़ फोड़ तथा अपराध सम्बन्धी तोड़-फोड़ नहीं है। क्या मंत्री इस पर कोई उच्च स्तर की न्यायिक जांच करने के बारे में आयोग गठन करेंगे ?

---

अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।
*Expunged as ordered by the Chair.

**श्री स० का० पाटिल** : इस अधिकार. के बारे में हमें कुछ पता नहीं और न ही उसकी रिपोर्ट हमारे पास आई है । उसकी अन्तिम रिपोर्ट सहायक आयुक्त के पास आवेगी ।

**श्री स० चु० जमीर** (नामनिर्देशित-नागालैंड) : मंत्री महोदय ने इस दुर्घटना में नागालैंड का नाम लिया । वह इन सारी दुर्घटनाओं के साथ नागालैंड का सम्बन्ध क्यों दिखा रहे हैं ?

**श्री स० का० पाटिल** : नागाओं का इस से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

**(2) आग लगाने तथा लूट मार करने वाले किसी व्यक्ति को देखते ही गोली मार देने की शक्तियां दिल्ली पुलिस को प्रदान करने वाले आदेशों का प्रत्यापन**

**अध्यक्ष महोदय** : दिल्ली में "देखते ही गोली मार देने" के आदेश के बारे में मुझे एक और ध्यान दिलाने वाली सूचना श्री रंगा से प्राप्त हुई है । इसे हम शाम को सब से बाद में लेंगे ।

**श्री रंगा** : मेरी कठिनाई यह है कि आप ने मेरा काम रोको प्रस्ताव रद्द कर दिया । मेरे लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने के नोटिस में से भी आप ने कुछ भाग काट दिये हैं । इसलिये आप मुझे जब अनुमति दें तो अपने नोटिस का पूरा विषय पढ़ने की अनुमति दें ।

दूसरा प्रश्न यह है कि चार बजे के पश्चात गणपूर्ति रखना बहुत कठिन हो जाता है । इस लिये आप मुझे यह चार बजे उठाने की अनुमति दें ।

**अध्यक्ष महोदय** : नियमों के अनुसार हम एक दिन में एक ही लोक महत्व के विषय का नोटिस ले सकते हैं । यही कारण है कि हम उसे दिन के अन्त में लेते हैं । हां यदि गणपूर्ति के कारण यह आज शाम को नहीं लिया गया तो कल इसे पहला स्थान मिलेगा ।

---

## सभा पटल पर रखे गये पत्र

## PAPERS LAID ON THE TABLE

**सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 94वां संशोधन नियम, 1966 आदि ।**

**वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी)** : महोदय श्री ब० रा० भगत की ओर से मैं निम्न पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 तथा केन्द्रीय उत्पादन शल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तगर्त सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (समान्य) 94 वां संशोधन नियम, 1966 की एक प्रति जो दिनांक 5 नवम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1689 में प्रकाशित हुए थे ।

**[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 7335/66] ।**

(2) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1690 की एक प्रति जो दिनांक 5 नवम्बर, 1966 के भारत के राज-पत्र में प्रकाशित हुई थी ।

**[पुस्तक ा में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 7336/66] ।**

**भारतीय विमान (लोक स्वास्थ्य) संशोधन अधिनियम, 1966**

**स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति)** : महोदय, डा० सुशीला नैयर की ओर से मैं निम्न सभा पटल पर रखता हूं :—

(3) विमान अधिनियम, 1934 की धारा 14 क के अन्तर्गत भारतीय विमान (लोक स्वास्थ्य) संशोधन नियम, 1966 की एक प्रति जो दिनांक 17 सितम्बर 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2741 में प्रकाशित हुए थे।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 7337/66]।

**Shri Maurya** (Aligarh): Sir, my wife has been insulted and my house has been searched. Why it was done?

**अध्यक्ष महोदय** : मुझे तीन माननीय सदस्यों से यह शिकायत मिली है कि उन्हें रात के समय तंग किया गया तथा तलाशी ली गई। उन्होने मुझे लिखा है कि उनकी रक्षा की जाये।

**Shri Maurya:** The Home Minister is sitting in the House. I want to know why this was done?

**Mr. Speaker:** I have sent these complaints to the Minister. You cannot ask these here.

## सदस्य की गिरफ्तारी

## ARREST OF MEMBER

### (एक) डा० राम मनोहर लोहिया

**अध्यक्ष महोदय** : मुझे केन्द्रीय जेल, नई दिल्ली, के अधीक्षक से प्राप्त दिनांक 16 नवम्बर, 1966 के एक सन्देश द्वारा सूचना दी गई है कि लोक-सभा के सदस्य डा० राम मनोहर लोहिया को सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट, नई दिल्ली, के न्यायालय द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धाराओं 107/150 के अधीन 15/16 नवम्बर, 1966 की रात को नई दिल्ली की केन्द्रीय जेल में प्रविष्ट किया गया।

मुझे नई दिल्ली के सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट से प्राप्त दिनांक 17 नवम्बर, 1966 के और एक सन्देश के बारे में सूचना दी गई कि डा० राम मनोहर लोहिया को उनकी गिरफ्तारी के शीघ्र पश्चात् सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट नई दिल्ली के समक्ष पेश किया गया और प्रतिभूमि देने में विफल रहने पर उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में प्रति प्रेषित किया गया और नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में रखा गया। यह गिरफ्तारी दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 114 के अधीन की गई। उन्हें दण्ड प्रक्रिया संहिता की धाराओं 107/150 के अधीन हिरासत में लिया गया क्योकि उनके द्वारा खुले रूप से यह प्रचार करने के कारण कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन दिये गये आदेशों का विद्यार्थियों को उल्लघंन करना चाहिये, सार्वजनिक शान्ति भंग होने की आशंका थी।

सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट के पहले सन्देश में यह सब विवरण नहीं दिया गया था इसके लिये उन्होंने खेद प्रकट किया और अध्यक्ष महोदय तथा सदस्यों को जो असुविधा हुई उसके लिये उन्होंने बिना शर्त क्षमा याचना की।

**श्री कपूर सिंह** (लुधियाना) : महोदय मजिस्ट्रेट ने यह गिरफ्तारी धारा 107 तथा 151 के अन्तर्गत की होगी न कि धारा 150 के। वैसे यह गिरफ्तारी तब हो सकती है जबकि शान्ति भंग होने

का तुरन्त खतरा हो न कि किसी नागरिक के कुछ कह देने से शान्ति भंग हो जाती है। इसलिये यह आदेश कानून के विरुद्ध है और ग़लत है।

**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : मेरा नियम 229 के अन्तर्गत एक व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 229 के अन्तर्गत कार्यपालिका अधिकारी की गिरफ्तारी के बारे में अध्यक्ष महोदय को सूचना देनी होती है। अब पहली बार ज़िला जेल के अधीक्षक से इस प्रकार की सूचना प्राप्त हुई है। यह दुहरे दायित्व का मामला है।

**अध्यक्ष महोदय** : ज़िला जेल के अधीक्षक द्वारा सूचना भेजने से मैजिस्ट्रेट का दायित्व कम नहीं हो जाता।

**श्री स० मो० बनर्जी** : मूल सूचना में धारा 150 अथवा 151 का उल्लेख न होने से यह सन्देह पैदा होता है कि सरकार की सुविधा के अनुसार एफ० आई० आर० में परिवर्तन कर दिया गया है। उस धारा के सम्बन्ध में, जिसके अधीन डा० लोहिया को गिरफ्तार किया गया है, गलती किस प्रकार हो सकती है। उसकी आगे जांच होनी चाहिये क्योंकि देश में एफ० आई० आर० में परिवर्तन करने के मामले भी होते हैं।

**श्री प्रिय गुप्त** (कटिहार) : अपने पहले पत्र में सब-डिविजनल मैजिस्ट्रेट ने उस धारा का उल्लेख नहीं किया है जिसके अधीन डा० लोहिया को गिरफ्तार किया गया है। अब उन्होंने कहा है कि यह एक भूल है। इस बारे में जांच की जानी चाहिये कि वास्तव में भूल हुई है अथवा यह एक षड्यन्त्र है।

**श्री गो० ना० दीक्षित** (इटावा) : माननीय सदस्य ऐसे मामले का उल्लेख कर रहे हैं जो न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसे मामले सभा की कार्यवाही में शामिल नहीं किये जाने चाहिये।

**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : मैंने यह मामला कल भी उठाया था। इस सभा के सदस्यों को तथा आपको इस कारण इस मामले के बारेमें चिन्तित नहीं होना चाहिये कि इस का सम्बन्ध माननीय मित्र, डा० राम मनोहर लोहिया से है बल्कि इस कारण होना चाहिये कि कल हम में से किसी के साथ यही बात हो सकती है। मन्त्री महोदय अफसरशाही पर उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं जितना कि उन्हें देना चाहिये। अधिकारी वर्ग सदस्यों के प्रति अधिक निष्ठुरता का प्रदर्शन कर रहे हैं। सब-डिवीज़नल मैजिस्ट्रेट की कल की सूचना से नियम 229 का गम्भीर उल्लघन किया गया है।

सूचना में कहा गया है कि डा० राम मनोहर लोहिया को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 के अन्तर्गत गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत कम लोग यह जानते हैं कि धारा 107 क्या है।

**अध्यक्ष महोदय** : यह देखना न्यायालय का काम है। हमें केवल सूचना प्राप्त होनी चाहिये।

**श्री कपूर सिंह** : मैजिस्ट्रेट की सूचना से ही यह स्पष्ट है कि उनकी गिरफ्तारी ऐसी धारा के अन्तर्गत की गई है, जो कि लागू नहीं होती है। इससे यह सिद्ध होता है कि यह गिरफ्तयरी दुर्भावना से की गई है। यदि ऐसा है तो स्पष्ट रूप से यह विशेषाधिकार का उल्लंघन है।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं इससे सहमत नहीं हूं। इस बात पर न्यायालय विचार करेगा कि क्या गिरफ्तारी दुर्भावनापूर्वक की गई है।

**श्री हरि विष्णु कामत** : इस बात का पूरा निर्णय न्यायालय द्वारा किया जायेगा कि उन पर ठीक आरोप लगाया गया है अथवा नहीं। परन्तु, जैसा कि आपने ठीक ही कहा है, यह सूचना प्रक्रिया नियमों के ठीक अनुसार होनी चाहिये।

सबसे पहले मेरा आप से निवेदन है कि आप कार्यपालिका को तथा सरकार को यह निर्देश दें कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों तथा कार्यों आदि के साथ खिलवाड़ करें। क्या कारण है कि मन्त्री महोदय तथा उनके अफसर नियमों के अनुसार कार्य नहीं कर सकते। सरकार का ध्यान दिलाने के बाद भी आज तक यह सुनिश्चित नहीं किया गया है कि नियम 229 में विहित तृतीय अनुसूची में दिये गये प्रोफार्मा का पूर्णतया पालन नहीं किया गया है। उसमें उस अधिनियम का उल्लेख नहीं किया गया है जिसके अन्तर्गत लोहिया का अवरुद्ध किया गया था।

नियम में यह उल्लेख है कि गिरफ्तारी तथा विरोध के कारण अलग अलग बताये जायें। ऐसा नहीं किया गया है। कार्यपालिका को जो भी सुविधापूर्वक दिखाई देता है, वह नियमों तथा विधि की परवाह किये बिना वैसा ही करती है।

डा० लोहिया को आपाराधिक आरोप के अन्तर्गत गिफरफ्तार किया गया है क्योंकि उन्होने जमानत तथा 25,,000 रुपये की प्रतिभूतिया नहीं दी। अधिवेशन के दौरान एक सदस्य को बिना विशिष्ट अपराध के विरुद्ध किया गया है। यह उल्लेख नही किया गया है कि क्या उन्हें निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत निरुद्ध किया गया है अथवा भारत प्रतिरक्षा नियम के अधीन। संसदीय लोक-तन्त्र के हित में मेरा आप से निवेदन है कि यदि आज नहीं तो कल यह विशेषाधिकार प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये और इसे विशेषाधिकार सम्बन्धी समिति को सौंपा जाये।

**अध्यक्ष महोदय** : श्री कामत ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि यह अपराध तथा आरोप नहीं है। नियमों के अन्तर्गत यह अपेक्षित नहीं है। एक मात्र प्रश्न यह है कि क्या यह सूचना नियमों तथा प्रपत्र के अनुसार है अथवा नहीं। यहां हमारा सम्बन्ध इसी बात से है। यह कहना अवश्य ही उचित होगा कि सदा उन नियमों तथा प्रपत्रों का पालन नहीं किया जाता जिनका कि किया जाना चाहिये कल प्रपत्र के बारे में काफी उत्तेजना होने के बावजूद भी उस फार्म का पालन नहीं किया गया है। गह-कार्य मंत्री को सभी मजिस्ट्रेटों को यह अनुदेश जारी करने चाहिये कि वे फार्म का पालन करें। यद्यपि वही बात दूसरे शब्दो में कही जा सकती है। जेसा कि कहा गया है, उसमें भावना आ गई है . . .

**श्री हरि बिष्णु कामत** : मुझे खेद है कि भावना भी नहीं है।

**श्री प्रिय गुप्त** : मैजिस्ट्रेटों का खुला समर्थन किया जा रहा है।

**अध्यक्ष महोदय** : श्री प्रिय गुप्त एक दर्जन से अधिक बार बोल चुके हैं। उन्हें बाहर जाना होगा।

**श्री प्रिय गुप्त** : मैं बाहर नहीं जाऊंगा।

**अध्यक्ष महोदय** : मुझे श्री प्रिय गुप्त का नाम लेने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है।

**श्री कपूर सिंह** : काफी समय से माननीय सदस्यों को इतनी अधिक बार हिदायतें दी जाने लगी हैं कि मेरे लिए यह निवेदन करना आवश्यक हो गया है कि यह ठीक नहीं हैं ; सभा की प्रतिष्ठा के हित में एसी बातें बन्द होनी चाहिये।

**श्री हरि विष्णु कामत** : श्री प्रिय गुप्त ने केवल दो तीन शब्द कहे हैं, सम्भव है कि उन्होंने कुछ समय पहले कुछ कहा हो। उन द्वारा कहे गये दो तीन शब्दो की तुलना में दूसरी ओर लगातार शोर किया जाता है।

**श्री म० ला० द्विवेदी** (हमीरपुर) : नहीं, नहीं ।

**श्री हरि विष्णु कामत** : आप नहीं, नही कहे परन्तु मैं हां, हां कहता हूं।

**श्री म० ला० द्विवेदी** : * *

**श्री हरि विष्णु कामत** : * *

**अध्यक्ष महोदय** : इन दोनों को कार्यवाही के वृतान्त से निकाल दिया जाये ।

**श्री हरि विष्णु कामत** : श्री प्रिय गुप्त ने पांच मिनट पहले जो कुछ कहा उसे गड़बड़ी का मामला नहीं कहा जा सकता। मैं आप से निवेदन करता हूं कि इस मामले पर पुर्नविचार करें ।

**अध्यक्ष महोदय** : इस मामले पर वाद-विवाद नहीं हो सकता।

**श्री रंगा** : (चित्तूर) : आप उन्हें क्षमा करके इस मामले को समाप्त कर सकते हैं ।

**श्री प्रिय गुप्त** : यदि आप ऐसा ठीक समझते हैं तो सभा से चला जाता हूं ।

**(इसके पश्चात् श्री प्रिय गुप्त सभा भवन से उठ कर चले गये)**

**(Shri Priya Gupta then left the House)**

**अध्यक्ष महोदय** : इस मामले को पृथक रूप में नहीं देखना चाहिये। यह बात नहीं है कि श्री प्रिय गुप्त ने वे शब्द कहे और मैंने उन्हें चले जाने के लिए कहा। मैंने उन्हें कई बार निवेदन किया कि ऐसा व्यवहार न करे परन्तु उसके बावजूद वह ऐसा करते रहे।

श्री कामत का यह कहना गलत है कि गिरफ्तारी के कारण नही बतायें गये हैं। अपराध के साथ कारण भी बताये गये हैं ।

**श्री यशवन्त राव चव्हाण** : अध्यक्ष महोदय के अआदेशों का पालन किया जायेगा।

**Shri Madhu Limaye:** This question has two aspects; first it involves contempt of the House and second—the privilege of freedom from arrest or molestation of Members of Parliament. There are decisions of the Allahabad and Punjab High Courts that if only the sections have been mentioned but reasons have not been given, the arrest is illegal and the person should be set free. In his original communication, the Magistrate had not given any reasons and therefore, Dr. Ram Manohar Lohia's arrest was illegal. The House should call the Magistrate as well as Dr. Ram Manohar Lohia and the Magistrate should be told that the arrest was illegal.

Sir, Dr. Lohia's freedom has been snatched away wrongly and his rights have been encroached upon. The immediate information received by you in this regard was not in the manner and form prescribed in the Rules. Sir, this august House has a right to defend the freedom of its Member.

**Mr. Speaker:** The House cannot go into the question as to whether the arrest is illegal or *mala fides*. This is for the court to decide. We are entitled to information; and the information should be in the manner and form prescribed in the rules. It must, however, be said that the rules

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

**Expunged as order by the Chair.

were not always adhered to. Even today, the form has not been adhered to although there was so much excitement about it yesterday. The Home Minister should issue instructions to all the Magistrates that the prescribed form must be complied with.

### (दो) श्री राम सेवक यादव

**अध्यक्ष महोदय** : मुझे सभा को सूचित करना है कि मुझे दिनांक 16 नवम्बर, 1966 को पुलिस उपाधीक्षक, बाराबंकी से एक तार मिला है कि श्री राम सेवक यादव, सदस्य लोक सभा को दण्ड प्रक्रिया संहिता की 151/107/117 धाराओं के अधीन हैदरगढ़ थाना, लोनीकटरा, जिला बाराबंकी में दिनांक 16 नवम्बर, 1966 को 6.20 अपरान्ह पर गिरफ्तार किया गया है।

---

## पंजाब नगरपालिका (दिल्ली संशोधन) विधेयक के बारे में याचिका

## PETITION RE: PUNJAB MUNICIPAL (DELHI AMENDMENT) BILL

**Shri M. L. Dwivedi** (Hamirpur): Sir, I beg to present a petition signed by a petitioner on the Punjab Municipal Committee (Delhi Amendment) Bill, 1966.

**Shri Hukam Chand Kachhavaiya** (Dewas): Sir, I have a submission to make. I had also given a notice under Rules Nos. 174 and 115. But I have not yet received any information in this regard.

**Mr. Speaker:** He can give notice of a discussion thereon. In case he has an application or a petition to present in this connection, he can make an application that it may also be included therein.

**Shri Hukam Chand Kachhavaiya:** Sir, our party is being maligned and allegations are being made against it. You are not giving us an opportunity to clarify the position. The hon. Minister has made a wrong statement that the Jan Sangh had a hand in the incidents in Delhi on the 7th November, 1966.

**Mr. Speaker:** If some accusations have been made against the hon. Member, he can give personal explanation, but he cannot plead here on behalf of his party.

---

## सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

## PERSONAL EXPLANATION BY MEMBER

### (श्री कमलनयन बजाज)

**Shri Kamalnayan Bajaj** (Wardha): Mr. Speaker, Sir, in connection with the incidents in Delhi on the 7th November, a reference has been made in the House to my presence on the dias from where the anti-cow slaughter processionists were to be addressed by certain people. As it has created some misunderstanding, I would like to clarify the position. Some Members of the House had formed a non-party platform to have a ban imposed on cow slaughter, on its behalf, Shri Govind Das, Shri Prakash Vir Shastri, Dr. L. M. Singhvi and I myself had gone to the meeting to see the organisers in order to tell them that we would convey to Government their petition which they might give to us.

I came to know later that when we were on our way to the meeting, Shri Rameshwara Nand was delivering his speech. At that moment, all of a sudden some disturbance started * * *. We tried to pacify these people. The atmosphere became calm for a while. We reached the dias. We had a talk with the organisers. They requested us all to address the meeting. But only Shri Govind Das and Shri Prakash Vir Shastriji could speak * * *. Meanwhile, the situation deteriorated and in that confusion our efforts to pacify them did not appear to bear fruit. Finding an atmosphere of increasing violence, Dr. Singhvi, I myself and Shri Parkash Vir Shastriji got down from the dias, but with great difficulty. Shri Govind Das had already left * * *. Tear gas which had been used affected us also. I remained there upto about 2 p.m.

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बैरकपुर) : क्या माननीय सदस्य ने इस वक्तव्य की एक प्रति आप के पास भेजी थी और आप ने स्वीकृति दे दी ? प्रश्न तो केवल यह था कि श्री कमल नयन बजाज जैसे एक प्रमुख कांग्रेसी उस विशेष प्रदर्शन के मंचपर थे।

**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य के वक्तब्य में मुझे आपत्ति जनक तथा विवादास्पद बातें नजर आई हैं। मैं उन्हें कार्यवाही के वृत्तांत से निकाल दूंगा। माननीय सदस्य देखेंगे कि उनका व्यक्तिगत स्पष्टीकरण उचित रूप में नहीं था। उन्होंने कुछ ऐसी बातें कहीं हैं जिनकी अनुमति व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के तौर पर नहीं दी जा सकती। वह तो केवल इतना ही कह सकते हैं कि वह वहां मौजूद थे किन्तु जो कुछ वहां हुआ, उस बारे में उन्हें आलोचना नहीं करनी चाहिए और कुछ सदस्यों के विरुद्ध आरोप नहीं लगाने चाहिए। मैं उनके वक्तब्य को जांच करूंगा।

---

## अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेलवे) 1966-67 तथा अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल 1963-64—जारी

## DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (RAILWAYS), 1966-67 AND DEMANDS FOR EXCESS GRANTS, (RAILWAYS), 1963-64—*contd.*

**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा रेलवे के संबंध में अनुपूरक अनुदानों की मांगों तथा अतिरिक्त अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा करेगी। श्री दीनेन भट्टाचार्य अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

**श्री दीनेन भट्टाचार्य** : कल मैंने कलकत्ता, इलाहाबाद और कानपुर में विद्युतीकरण परियोजनाओं के कर्मचारियों की छटनी के बारे में कुछ विशेष प्रश्न उठाये थे।

**(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये)**

**(Mr. Deputy-Speaker in the Chair.)**

इस सम्बन्ध में कई अन्य शिकायतें हैं लेकिन अधिक गंभीर शिकायत एक यह है कि इस तथ्य के बावजूद कि प्रधान मंत्री को एक अभ्यावेदन दिया गया था और उन्होंने यह आश्वासन दिया था

---

***अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

***Expunged as ordered by the Chair.

[श्री दीनेन भट्टाचार्य]

कि ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी जिससे विद्युतीकरण परियोजना के कर्मचारियों को 'फालतू' घोषित नहीं किया जायेगा और विद्युतीकरण परियोजना में छटनी नहीं की गई है और उसके पश्चात् रेलवे मंत्री, डा० राम सुभग सिंह के भी इस आश्वासन के बावजूद कि छटनी यथासंभव नहीं होने दी जायेगी, रेलवे अधिकारी इस मामले पर गंभीरता से विचार नहीं कर रहे हैं। रेलवे मंत्रालय से मेरा यह तीव्र अनुरोध है कि इन कर्मचारियों को जो काफी लम्बे समय से वहां काम कर रहे हैं और जिन्हें काम का अनुभव भी है और जिन्हें अन्य स्थानों में नौकरी पर रखने की काफी गुंजाइश है, अनावश्यक रूप से परेशानी में नहीं डाला जाना चाहिए।

दूसरा आश्वासन, जो डा० राम सुभग सिंह ने मेरे, श्री स० मो० बनर्जी तथा श्री नम्बियार के सामने दिया था, यह था कि रेलवे अधिकारी, पुलिस से यह अनुरोध करेंगे कि वह इलाहाबाद तथा कानपुर के सेक्शनों के कर्मचारियों के विरुद्ध हड़ताल में शामिल होने के सम्बन्ध में अनिर्णीत पड़े सभी मामलों को वापस ले ले। किन्तु मुझे मालूम हुआ है कि अनेक-पुलिस मामले अभी अनिर्णीत पड़े हुए हैं, यद्यपि कर्मचारियों को काम पर रख लिया गया है। रेलवे प्रशासन को इस सम्बन्ध में जांच करनी चाहिए।

**श्री रंगा** (चित्तूर) : उपाध्यक्ष महोदय, स्थानीय आवश्यकाताओं तथा शिकायतों के बारे में कुछ कहने का हमारे लिए आगामी आम चुनाव के पहले यह अन्तिम अवसर है।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में दो रेलवे स्टेशनों जैसे चित्तूर और कुप्पम, की ओर रेलवे मंत्री को कुछ विशेष ध्यान देने की जरूरत है। चित्तूर के सम्बन्ध में मैं एक पत्र पहले ही लिख चुका हूं। किन्तु कुप्पम रेलवे स्टेशन के सम्बन्ध में तुरन्त कायवाही करने की शख्त जरूरत है। मैंने तथा स्थानीय लोगों ने इस बारे में मंत्री महोदय को पत्र भी लिखे हैं। क्योंकि वे लोग स्थानीय प्रशासन द्वारा उनकी साधारण मांगों की ओर दिखाई गई अवहेवना से अत्यधिक निराश हो गये हैं; अतः उन्होंने इस महीने की 24 तारीख से सत्याग्रह करने का निश्चय किया है।

इन लोगों की मांगें बहुत साधारण हैं। रेलवे लाइन को पार करने की जगह वहां से शुरू होती है जहां पर कि रेलवे प्लेटफार्म समाप्त होता है। इनके बीच 2 गज का फासला भी मुश्किल से है। इस के कारण केवल यातायात तथा मुसाफिरों को ही असुविधा नहीं होती अपितु वहां पर दुर्घटनाएं भी काफी होती हैं। इसके लगभग 2 फर्लांग दूरी पर एक सुरंग-मार्ग (सब-वे) है। यह मार्ग यातायात के लिए बना हुआ है जो उसके लिए उपयुक्त रहा है किन्तु यातायात को रोकने के लिए इस के नीचे रखे गये एक या दो खम्भों के कारण यह मार्ग बन्द हो गया है। इस सम्बन्ध में हम यह सुझाव दे रहे हैं कि यह बाधा हटा दी जानी चाहिए और पुल को और आगे तक बढ़ा दिया जाना चाहिए जिससे कि यातायात में कोई रुकावट न पड़े। इस कार्य पर आज अर्थात् अवमूल्यन के पश्चात् लगभग 50,000 रुपये खर्च होने का अनुमान है। अतः सरकार को यह कार्य कर देना चाहिए और उस सुरंग-मार्ग को यातायात के लिए पूर्णतः खोल देना चाहिए और अन्य मामलों के बारे में आवश्यक पूर्व-सावधानी बरतनी चाहिए।

फिर वहां कोई ऊपरी पुल भी नहीं है। इसके अलावा वहां पर कोई पक्का (ढका हुआ अथवा/और उठा हुआ) प्लेटफार्म नहीं है। आशा है मंत्री महोदय इन तीन साधारण बातों की ओर तुरन्त ध्यान देंगे और इस बारे में आवश्यक आदेश दे देंगे ताकि उन्हें सत्याग्रह करने की जरूरत न पड़े।

**Shri Radhe Lal Vyas** (Ujjain): Mr. Deputy-Speaker, Sir, it is a matter of pleasure that construction of Supal-Tharbhita line is being taken up,

although out of 26 k.m. track, railway line is, in the first instance, being laid on the 13 k.m. track in this section.

Now, I would like to invite the attention of the Railway Minister to a burning problem in Madhya Pradesh. The train which leaves Ratlam for Bhopal in the morning always used to have connection with the Pathankot Express. But, for the last three years, that connection has been done away with as a result of which the passengers have to face a great difficulty. A number of requests have been made for the restoration of this connection, but these appear to have gone to deaf ears. It is a matter of great regret that the needful has not been done so far and it should be restored without any further delay.

The States Reorganisation Commission had recommended that new railway lines should be laid in Madhya Pradesh as there is paucity of means of transport. But attention has not been paid towards that recommendation. During the Second Five Year Plan, construction of Guna-Shajapur-Maksi line was taken up, but the line has not been completed so far even after so many years and sufficient staff has been removed therefrom this year and the construction work has now been very much slowed down or almost stopped after having spent crores of rupees on it with the result that it has created an adverse effect on the minds of the local people. It is, no doubt, highly improper on the part of the Railway Administration and the line should be completed as early as possible.

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बैरकपुर): मैं छटनी किये गये विद्युतीकरण कर्मचारियों के बारे में इस सभा में पहले भी प्रश्न उठा चुकी हूं। दूसरी तथा तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में विद्युतीकरण कार्य का एक भाग पूरा हो चुका है और चौथी योजना के दौरान विद्युतीकरण की काफी बड़ी योजना हमारे सामने है। इन परिस्थितियों में, मैं यह नहीं समझ पा रही हूं कि उन सभी कुशल तथा अकुशल कर्मचारियों को, जिन्होंने विद्युतीकरण परियोजनाओं में 7 से लेकर 10 वर्ष तक काम किया है, दूसरी जगह उसी स्वरूप की नौकरी देने में आखिर कठिनाई क्या है? चूंकि अन्य परियोजनाओं का काम चल रहा है तथा नई भर्ती की जा रही है, इसलिए, उन कर्मचारियों की सेवाओं का, जिन्होंने विद्युतीकरण परियोजनाओं में काम किया है, आसानी से उपयोग किया जा सकता है। जिनकी छटनी की जा रही है उन्हें या तो उसी श्रेणी में अथवा उसके आस-पास की श्रेणियों में रखा जा सकता है और उन्हें नई परियोजना क्षेत्रों में भेजा जा सकता है और उनकी सेवाओं को जारी समझा जाना चाहिए।

रेलवे मंत्रालय को दक्षिण-मध्य रेलवे के लिए स्वयं-सेवक बुलाने के प्रश्न पर भी विचार करना चाहिए क्योंकि यह एक नया जोन है। इस नये जोन के लिए काफी संख्या में चालू-लाइन कर्मचारियों तथा तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती करनी पड़ेगी। इस मामले में रेलवे बोर्ड ने एक परिपत्र निकाला है जिसमें यह कहा गया है कि वह जोनल रेलवेज के कर्मचारियों के अलावा किसी भी अन्य रेलवे संगठन पर लागू नहीं होगा। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जिन विद्युतीकरण कर्मचारियों को छटनी के नोटिस दिये गये हैं, उन्हें यथासंभव, उसी क्षेत्र में काम पर लगाये रहना चाहिए।

**Shri P. G. Sen** (Purnea): I support the demands. I am glad that Supaul-Bhaptiahi line is being restored. This is a very fertile area which produces jute and earns foreign exchange. I would request that this line should be extended upto Pharvarisganj situated on the Nepal border. People of this area are very happy because they are now getting water for their fields because of the construction of the canal.

One more thing I would like to say is that in Katihar broad gauge and metre gauge stations are far off from each other which cause great inconvenience to the passengers. They are to hire riksha for going from metre-gauge station to a broad gauge station. These stations should be brought nearer.

**उपाध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय 3 बजे उत्तर देंगे ।

**श्री मुथिया** (तिरुचेनेवली) : मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं ।

मांग संख्या 2 उत्तर-पूर्व रेलवे में एक लाइन को पुनः बिछाने के लिए है जो कि लगभग 13 किलोमीटर लम्बी होगी और उस पर 22 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है । इस संदर्भ में मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह तिरुनेलवेली-कन्याकुमारी-नागरकॉल रेलवे परियोजना की क्रियान्विति का काम भी हाथ में लें क्योंकि यह परियोजना बड़ी लम्बी अवधि से पड़ी हुई है। पिछले पांच वर्षों से मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं। परन्तु अभी तक इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की गई है । यह लाइन सामरिक तथा वाणिज्यिक दोनों प्रकार से महत्वपूर्ण है । कन्याकुमारी एक धार्मिक स्थान है वहां बहुत पर्यटक भी आते हैं । इसलिए मैं माननीय मंत्री से अपील करूंगा कि वह इस कार्य को शीघ्र अपने हाथ में लें ।

मैं माननीय मंत्री से तिरुचिरापल्लि से तूतीकोरीन तक बड़ी लाइन बिछाने का भी अनुरोध करूंगा । इस क्षेत्र में अनेक उद्योग स्थापित हो रहे हैं ।

**Shri Hukam Chand Kachhavaiya** (Dewas): There is no express train between Ratlam and Bhopal although there are big cities like Ujjain are situated on this line. Ujjain is also a big pilgrimage centre. No quota is reserved for Ujjain in the trains coming from Bombay. All this causes great inconvenience to the passengers.

Narrow gauge line from Ujjain to Agra should also be converted into metre gauge. The line which is being laid between Guna and Nagsaid should be extended to Dewas so that people coming from Guna could reach Indore straightway. Two bridges should also be constructed in Ujjain so that people could cross the railway line conveniently. Running times of the trains between Indore and Ujjain should also be reduced. The compartments of the railway guards are too big and open. Therefore they are very inconvenient. They should be remodelled properly.

Railway accidents in the country are a matter of serious concern to everybody. A doubt has been expressed that these accidents are the result of subversitive activities. I would request the hon. Minister to keep a strict watch on those people who indulge in subversive activities and stern action should be taken against them.

**Shri Sheo Narain** (Bansi): I support the demand of Shri Kachhavaiya that stern action should be taken against those who indulge in subversive activities on the railways.

I would request that hon. Minister to double railway line from Kanpur to Siliguri.

Railway is also a symbol of unity in the country. All parts of the country are connected with each other through the railways. I would request the hon. Minister to remain beware of the leftists who indulge in subversive activities.

**Shri R. S. Pandey** (Gona): There is no railway line in Kuroai, Siranj, Labri, Madhusodhangarh, Jamner area. A proper survey of this area should be conducted and necessary railway lines should be laid.

So far as the railways are concerned, Madhya Pradesh is backward as compared to other States. This State is rich in minerals, given necessary amenities and facilities of railway lines. This State can make healthy progress and revenue can be increased.

**श्री मुहम्मद कोया** (कोज़ीकोड) : मैं अनुपूरक मांगों पर केवल नई लाइनों के बारे में ही बोलना चाहूंगा। केरल राज्य में मालाबार क्षेत्र की बहुत उपेक्षा की गई है। देश के स्वतंत्र होने के बाद भी वहां पर एक इंच रेलवे लाइन नहीं बिछाई गई है।

हम गत दस वर्षों से रेलवे मंत्रियों से आग्रह करते आ रहे हैं कि वे मेलातुर-फेरोक रेलवे के प्रश्न को उठायें। जब हम इस सम्बन्ध में माननीय रेलवे मंत्री को मिलने गये तो उन्होंने यह आपत्ति की कि इस विशिष्ट लाइन की केरल सरकार ने सिफारिश नहीं की है। वास्तविकता तो यह है कि यह नई लाइन नहीं है, केवल वर्तमान शोलापुर-निलामबुर लाइन को कालीकट तक विस्तार करना ही है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो इस लाइन को घाटे पर चलने के कारण समाप्त करना पड़ेगा।

अब चूंकि केरल सरकार ने भी इसकी सिफारिश कर दी है, इसलिए इस काम को अवश्य किया जाना चाहिए। क्योंकि यह छोटी सी लाइन है, इसलिए इसको वरीयता दी जानी चाहिए। मेरा केवल यही प्रश्न है।

**Shri Vishwa Nath Pandey** (Salempur): The Ministry of Railways deserves congratulations for having done good work. Therefore Supplementary Demands for Grants of this Ministry should be supported by us.

Varanasi is an important pilgrim centre in Uttar Pradesh. But there is no direct train from Madras to this place. Hence a direct train should be provided.

The line between Bhatni Junction and Varanasi should be doubled. There are many important stations such as Khatraon. But it is still a flag station. It should be made a full station.

There is a very important bridge between Belthara Road and Turtipur which is known as Bhagalpur bridge. This bridge should be connected into a rail-cum-road bridge so that it could be used by motorists, cyclists and pedestrians.

The Allahabad Express which runs between Gorakhpur and Allahabad does not stop at Salempur. Salempur is inhabited by six thousand persons. That is also a business centre. This train, therefore, must stop at that place.

Kanpur Express used to stop at Bhatpur which is situated at the border of Bihar. But it does not stop now. I want that this train should stop there.

Sanction has already been given for the introduction of a new train between Jhansi and Kanpur. That should be introduced now.

I hope that suggestions given by me will be implemented.

**श्री पें० वेंकटासुब्बया** (अडोनी) : मैं माननीय रेलवे मंत्री को रेलवे का प्रशासन कुशलतापूर्वक एवं प्रभावशाली ढंग से करने के लिये बधाई देता हूं।

दक्षिण मध्य जोन बनाने के लिये भी मैं रेलवे को बधाई देता हूं। इस जोन के बनने से रेलवे का प्रशासन कुशलतापूर्वक चल सकेगा। इससे यात्रियों को भी सुविधा होगी। परन्तु

[श्री पं० वेंकटासुब्बया]

मैं इस ज़ोन को तब तक पूरा नहीं समझूंगा जब तक उसमें गुन्तक्कल डिवीज़न नहीं मिलाया जायेगा। मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह इस मामले पर विचार करें।

नये जोन बनने के पश्चात एक परिपत्र जारी किया गया है कि प्रत्येक जोन में कर्मचारी नये जोन में आने के लिये अपना विकल्प बनायें। कई अभ्यावेदन दिये गये हैं कि यह विकल्प केवल मध्य और दक्षिण जोनों के लिये ही सीमित रहना चाहिये। मैं भी मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह इसे इन दोनों जोनों में ही सीमित रखें।

गत चार पांच वर्षों से मैं लिखता आ रहा हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र अडोनी में ऊपरी पुल बनाया जाये। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थान है तथा वहां की जनसंख्या भी एक लाख से अधिक है। अतः मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह इस काम को यथासम्भव शीघ्र आरम्भ करें।

कुछ लोगों का यह विचार है कि दक्षिण मध्य जोन में रोजगार के मामले में समान अवसर नहीं मिल रहे हैं। अतः मंत्री महोदय को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि उनके प्रति न्याय किया जाय।

प्रत्येक राज्य की राजधानी का नई दिल्ली के साथ रेल सम्पर्क है, परन्तु हैदराबाद के मामले में ऐसी बात नहीं है। इसलिये मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह इस मामले पर विचार करें और हैदराबाद को दिल्ली के साथ सीधी लाइन द्वारा जोड़ने की व्यवस्था करें।

**Shri Sarjoo Pandey** (Rasra): I had raised this point last time also that there is a Govindpur railway station on the Allahabad-Bhatni Section. This station is not being used. The matter has been brought to the notice of the hon. Minister so many times but it is regrettable that nothing has so far been done and the trains do not stop there. I would request the hon. Minister to look into the matter.

I have come to know that the railway authorities were used to see that all such stations, where electricity was available nearby, are electrified. But I am sorry to state that no action has been taken in this regard at many stations. I can give an example of such a station. Zamania which is the main mandi of Ghazipur is such a station.

The railway administration should make a survey to see that at all such places, where villagers are themselves prepared to pay the cost of constructing a level crossing, level crossing is provided.

When the locomotive workshop was set up at Maruwadi, an assurance was given that those persons will be given preference in the employment in the workshop whose land has been acquired for the setting up of this workshop. But that is not being done. The manager of that workshop, Shri Chakravartty and others have appointed persons from outside and the persons whose land has been acquired have not been given employment. I would request the hon. Minister to look into this matter. He should also enquire into the grievances of the employees of the workshop.

**श्री हु० चा० लिंग रेड्डी** (चिकबल्लापुर) : मैं गत एक वर्ष से मंत्री महोदय से प्रार्थना करता आ रहा हूं कि बेंगलौर से चिकबल्लापुर तक की छोटी लाइन को बड़ी लाइन बनाया

जाये। यह लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है और बहुत से तिजारती केन्द्रों को मिलाती है। इस लाइन पर बहुत से लोग यात्रा करते हैं। अतः लाभप्रद दृष्टि से भी इसको बड़ी लाइन बनाना चाहिये।

मेरी एक और प्रार्थना है कि चिन्तामणि को मदनपल्ली से मिला दिया जाये। चिन्तामणि एक व्यापारिक केन्द्र है। यदि उसे इस तरह से मिला दिया जाये तो उसके दो राज्य जुड़ जायेंगे। गुन्टाक्कल—बेंगलौर बड़ी लाइन के बारे में भी शीघ्र कार्यवाही की जानी चाहिये।

हसन—मेंगलौर लाइन पर काम बड़ी धीमी गति से चल रहा है। इस काम को पूरा करने के लिये वहां के लोगों के पास पर्याप्त धन नहीं है। इस काम को तेज़ी से किया जाना चाहिये।

**Shri Tulsidas Jadhav** (Nanded): I am thankful to Shri Patil and Dr. Ram Subhag Singh for the improvements they have made at the Nanded Station. The suggestions given by me previously and implemented by the Railways have facilitated the passengers to a great extent. Keeping that thing in view I want to give another suggestion. The railways will not have to incur any expenditure on that. The railway should make some arrangement to indicate on the platforms at all big stations, the exact place where the different bogies of a train will stop. If this arrangement is made the passengers will not have to run about in confusion when a train arrives.

The construction—work of Sholapur—Aurangabad railway line should be started at an early date. The construction of Kurduwadi and Ramgundam should also be taken up as early as possible. Railway link should also be provided between Latur City and Latur Road.

Diesel engines instead of coal engines should be introduced on the Miraj-Latur narrow gauge line.

A shed should be constructed at the Varanasi station.

Sholapur division should be taken out from the South Central Zone and Hubli division should be included in it. This is the demand of those people and it should be accepted.

A large number of employees on the railways are temporary though they have more than ten years of service to their credit. They should be confirmed in their posts.

**श्री अ० व० राघवन** (वडागरा) : रेलवे लाइनों के बनाने के मामले में केरल की बहुत समय से उपेक्षा की जा रही है। गत दस वर्षों से वहां पर कोई रेलवे लाइन नहीं बनाई गई है। चौथी पंचवर्षीय योजना में केरल में रेलवे लाइनें बनाने के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मैं वर्तमान रेलवे मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह हमारी वैध मांगों पर विचार करें। मैं उन से यह भी प्रार्थना करूंगा कि वह प्रस्तावित दो नई रेलवे लाइनों अर्थात् तेलीचेरी—मैसूर रेलवे लाइन तथा आलवे-एरणकुलम—कायानकुलम तटीय रेलवे लाइन में से कम से कम एक लाइन तो अवश्य बनवाने की व्यवस्था करें।

केरल के मालाबार जिले के लोगों ने वैस्ट कोस्ट मेल गाड़ी के पहले वाले समय बहाल करने के लिये प्रार्थना की थी क्योंकि वर्तमान समय सारिणी से लोगों को कोई लाभ नहीं पहुंचा है। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह इस बारे में विचार करें और पहले वाले

[श्री अ० व० राघवन]

समय बहाल करने का प्रयत्न करें। वैस्ट कोस्ट मेल पहले बाडागारा रुका करती थी परन्तु अब नहीं रुकती है। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह ऐसी व्यवस्था करें कि यह गाड़ी फिर से वहां पर रुकना आरम्भ करें।

अन्त में मैं एक और बात मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहूंगा। खान-पान के प्रबन्ध का ठेका देने के मामले में काफी भ्रष्टाचार होता है। अधिकारी लोग जब भी किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाना चाहते हैं तो वह ठेकेदारों को ठेका छोड़ने का नोटिस दे देते हैं। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह मांसाहारी खान-पान के प्रबन्ध के लिये जालरपेट में दिये गये ठेके के बारे में जांच अवश्य करवाये। वह यह देखें कि क्या यह ठेका किसी विशेष व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिये तो नहीं दिया गया है।

**Shri Surya Prasad** (Bhind): I thank you for the opportunity you have given to me to speak on the Demands for Grants of the Railway Ministry. Recently the Railway Ministry has done very commendable work. Let me urge that narrow gauge lines between Gwalior-Bhind, Gwalior-Sheopur and Gwalior-Shivpuri should be converted into broad gauge as early as possible. I would also urge that the Punjab Mail should stop at Morena Station.

It is generally noticed that First Class compartments in the passenger trains are not utilized properly. This is a great loss of revenue to the Government. I think if the fares are reduced it would attract passengers and the situation will improve in this direction. I congratulate Railways for their appreciable work.

**Shri Braj Bihari Mehrotra** (Bilhaur): Last Consultative Committee of the Lok Sabha was given this assurance that all those stations which have electricity in neighbourhood be given electricity very soon. I have drawn the attention of authorities towards this fact but nothing has been done so far. My submission is that the Chaura station on Central Railway should be electrified.

I would also like to say that the express train between Kanpur and Banda should stop at Kathara Road station. There is a great need of an overbridge to be constructed in Kanpur City. Almost 800 children daily cross this line. I also think 50 per cent of the cost of construction should be given by the Municipal Corporation.

**रेलवे मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : मैं माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने कि अपने विचार व्यक्त किये। यद्यपि माननीय सदस्यों ने अनुपूरक मांगों के द्वारा जो कुछ सभा के समक्ष रखा है वह बड़ी साधारण बातें हैं। परन्तु उन्हें इस प्रकार रखा गया है जैसे यह बजट सत्र हो। मुझे यह भी आशा है कि बहुत सी इन्हीं मांगों को पुन: बजट सत्र में भी रखा जायगा। बहुत से माननीय सदस्यों ने विभिन्न प्रकार की रेलवे सुविधाओं को प्राप्त करने के लिये अपनी अपनी मांगें प्रस्तुत की हैं। यह बड़ी अच्छी बात है परन्तु हम रेलवे के बजट सीमा से बाहर नहीं जा सकते। उपलब्ध होने वाले साधन बहुत ही कम हैं। अत: प्राथमिकतायें निर्धारित करके ही कार्य करना होगा।

यह सुझाव प्रस्तुत किया गया है कि जिन कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जाना है उन्हें दक्षिण केन्द्रीय जान में खपा लिया जाये। हम इस सुझाव पर पूरी तरह से विचार करेंगे और जितनी भी व्यक्तिगत रूप में मेरे में शक्ति है मैं प्रयास करूंगा कि इस दिशा में

जो कुछ सम्भव है किया जाय। यह भी प्रयत्न किया जायेगा कि उन लोगों को किसी और स्थान पर इस काम के स्थान पर कोई और काम दिया जाये। रेल के फाटकों पर काफी दुर्घटनायें हो चुकी हैं। अतः उनके बारे में जो कुछ सम्भव है वह किया जायेगा। छोटे छोटे पैदल मार्ग, पुल और प्लैट फार्म बनाने के बारे में भी विचार किया जायेगा। जहां तक रेलवे यातायात का सम्बन्ध है मध्य प्रदेश को पिछड़े हुए क्षेत्र के रूप में छोड़ दिया गया है। यदि हमें इस क्षेत्र को भौगोलिक तथा सीमा की दृष्टि से मिलाना हो तो इस दिशा में कोई पग उठाना ही होगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों के सुझावों पर विचार किया जायेगा। सदस्यों को व्यक्तिगत रूप में इसकी सूचना भी दी जायेगी कि इस दिशा में क्या किया जा रहा है।

दो तीन मास के बाद चुनाव होने वाले हैं। यदि चुनाव से पूर्व कुछ कर लिया जाय तो चुनावों में काफी सुविधा रहती है। दिल्ली से हैदराबाद तक सीधी गाड़ी की मांग की गयी है। हैदराबाद बहुत सुन्दर नगर है और हम चाहते हैं कि हैदराबाद जाने के लिये सीधी गाड़ी होनी चाहिये। सीधी गाड़ी के इस सुझाव को मैं बहुत व्यवहारिक मानता हूं और यदि हो सका तो हम इस दिशा में कुछ करेंगे। स्टेशनों के लिये बिजली का प्रबन्ध करने का मामला भी हमारे सामने है। यद्यपि यह बड़ा छोटा मामला है परन्तु बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पर भी गौर किया जायेगा।

दुर्घटनाओं का उल्लेख किया गया है। इस बारे में स्पष्टीकरण दिया ही जाना चाहिये। क्योंकि इस देश में हर बात को राजनीतिक रंग दे दिया जाता है। पर मेरी सब से प्रथम जिम्मेदारी भारतीय रेलवे के प्रति है। मैं यह कह सकता हूं कि दुर्घटनाओं की संख्या प्रत्येक वर्ष कम हो रही है। लगभग थोड़ी बहुत घटनायें तो दुनियां की सभी लाइनों पर आये दिन होती ही रहती हैं। यदि तुलना करके देखा जाय तो अमरीका, कैनेडा अथवा जापान के मुकाबले में हमारे यहां बहुत ही कम घटनायें हुई हैं। यह बात बिलकुल गलत है कि मैं दुर्घटनाओं की ओर ध्यान नहीं दे रहा हूं। यह ठीक है कि दुर्घटनाओं से मानवीय जीवन को हानि पहुंचती है और हमें इसका बहुत दुख है। परन्तु दुर्घटनाओं को रोकने के जो ढंग हैं उन पर बहुत खर्च आता है। हमारी आज की ऐसी स्थिति नहीं कि उन्हें अपना सकें। फिर भी इस दिशा में जो कुछ भी सम्भव है किया जा रहा है।

इस दिशा में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जून के पश्चात जो कुछ दुर्घटनायें हुई हैं वह यांत्रिक कमियों के कारण हुई थीं। मैं उसके उत्तरदायित्व से बचना नहीं चाहता। उन दुर्घटनाओं के लिये रेलवे मंत्रालय पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। परन्तु मेरा कहना है कि इसके अतिरिक्त बहुत सी अन्य दुर्घटनायें तोड़-फोड़ के कारण हुई हैं। इस तोड़ फोड़ के मामले में मंत्री का क्या दोष हो सकता है। यह तो प्रशासन को ठीक करने की बात है। मैं इस बात को नहीं मानता कि इधर उधर पहरे पर कुछ लोगों को बैठा कर तोड़-फोड़ को रोका जा सकता है। जादू के डंडे से सारी समस्या हल नहीं की जा सकती।

राजनीतिक दिशा की ओर आते हुए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं दो बरस और छः मास से रेलवे मंत्री हूं। इस काल में पहले पहले कोई दुर्घटना नहीं हुई। तो प्रत्येक दिशा से शाबास मिली। परन्तु उसके बाद जो दुर्घटनायें हुईं उसके लिये रेलवे प्रशासन को आलोचना का सामना करना पड़ा। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि तोड़ फोड़ की इन दुर्घटनाओं के कारण मैं अपने पद से त्याग पत्र नहीं दूंगा। मैं अपने पद पर बना रहूंगा और इस बात का पूरा प्रयास करूंगा कि यह तोड़-फोड़ की घटनाओं को समाप्त किया जाय। कई

[श्री स० का० पाटिल]

दुर्घटनाओं ने बड़े भयानक दृश्य प्रस्तुत किये हैं जो लोग इस प्रकार का तोड़-फोड़ कर रहे हैं और इस तरह हजारों के जीवनों का नष्ट करने का कारण बन रहे हैं पकड़ा जायेगा परन्तु इन दुर्घटनाओं का मुकाबला करने का यह कोई तरीका नहीं कि मंत्री त्यागपत्र दे दे, और मामला वैसे का वैसा ही पड़ा रहे। मेरा यह भी विचार है कि बार बार ऐसी बातें करने से प्रशासन में भी नैतिक कमजोरी आ जाती है। और तोड़-फोड़ करने वालों को पकड़ने के उनके काम में ढील आ जाने की सम्भावना आ जाती है।

इन शब्दों से मैं यह निवेदन करता हूं कि सभा को अनुदान की यह मांगें स्वीकार कर लेनी चाहिये।

**उपाध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1966-67 के लिये रेलवे मंत्रालय की अनुपूरक अनुदानों की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं :**

**The following Demand for Supplementary Grants in respect of Ministry of Railways for 1966-67 was put and adopted:**

| मांग संख्या | शीर्षक | राशि |
|---|---|---|
| | | रुपये |
| 14 | नई लाइनों का निर्माण . . . . . | 1,000 |

**उपाध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1963-64 के लिये रेलवे मंत्रालय की अतिरिक्त अनुदानों की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गई तथा स्वीकृत हुई :**

**The following Demands for Excess Grants in respect of Ministry of Railways for 1963-64 were put and adopted:—**

| मांग संख्या | शीर्षक | राशि |
|---|---|---|
| | | रुपये |
| 3 | राजस्व-चालित और दूसरी लाइनों को भुगतान . . | 1,033 |
| 5 | राजस्व-संचालन-व्यय—मरम्मत और अनुरक्षण . . | 30,00,285 |
| 7 | राजस्व-संचालन-व्यय-परिचालन (ईंधन) . . . | 30,84,805 |
| 8 | राजस्व-संचालन व्यय-परिचालन, कर्मचारी और ईंधन को छोड़ कर | 60,17,172 |
| 12 | सामान्य राजस्व को भुगतान . . . . | 91,90,396 |
| 14 | नयी लाइनों का निर्माण . . . . | 78,86,806 |
| 15 | चालू लाइन निर्माण-परिवर्द्धन और परिवर्तन . . . | 7,26,36,901 |
| 16 | चालू लाइन निर्माण—विकास निधि . . . | 19,50,965 |
| 18 | राजस्व—विकास निधि में विनियोग . . . | 11,48,54,317 |

# अनुपूरक अनुदानों की मांगें (केरल) 1966-67

तथा

# अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (केरल) 1962-63 और 1963-64

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (KERALA), 1966-67

AND

DEMANDS FOR EXCESS GRANTS (KERALA) 1962-63 AND 1963-64

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब वर्ष 1966–67 के बजट (केरल) सम्बन्धी अनुपूरक अनुदानों की मांगें जिन्हें प्रथम अगस्त, 1966 और 7 नवम्बर, 1966 को प्रस्तुत किया गया था और 1962–63 और 1963–64 के बजट (केरल) सम्बन्धी अतिरिक्त अनुदानों की मांगों पर चर्चा होगी। यह मांगें तथा 1 से 6 तक कटौती प्रस्तुत सभा के समक्ष हैं।

7 नवम्बर, 1966 को प्रस्तुत की गई अनुपूरक अनुदानों (केरल) के सम्बन्ध में कटौती प्रस्ताव संख्या 1 से 10 नियम बाह्य हैं। 1 अगस्त, 1966 को प्रस्तुत की गई अनुपूरक अनुदानों के बारे में श्री राघवन के कटौती प्रस्ताव संख्या 1 से 4 प्रस्तुत हुए समझे जायेंगे।

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (केरल) 1962–63 के बारे में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए समझे जायेंगे :—

कटौती प्रस्ताव संख्या 1 तथा 2—श्री कोया

कटौती प्रस्ताव संख्या 3 तथा 4—श्री गोपालन

कटौती प्रस्ताव संख्या 5 से 8—श्री कोया।

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (केरल) 1963–64 के बारे में श्री राघवन के कटौती प्रस्ताव संख्या 1 से 6 प्रस्तुत हुए समझे जायेंगे।

**श्री वासुदेवन नायर** (अम्बलपुजा) : केरल में जो स्थिति है, उस पर कुछ दिन हुए हमने चर्चा की थी। राष्ट्रपति का शासन वहां बढ़ा दिया गया था। आज छः मास के पश्चात् पुनः केरल की स्थिति पर विचार करने का अवसर मिल रहा है। हमारा यह कर्त्तव्य है कि राज्य की प्रमुख समस्याओं की तरफ सरकार का ध्यान दिलायें। ताकि वहां के जलते प्रश्न हल किये जा सकें।

मांग संख्या 16—विश्व विद्यालय शिक्षा के बारे में है इस बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि केरल सरकार तथा विश्वविद्यालय का केरल के कुछ बड़े बड़े कालजों में शाम की कक्षायें चालू करने का निर्णय बहुत ही अच्छा है। परन्तु साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि उन कक्षाओं के लिये अतिरिक्त कर्मचारियों को न लगाये जाने का जो निर्णय किया गया है वह ठीक नहीं है। वर्तमान अतिरिक्त कर्मचारियों पर यदि अधिक भार डाला गया तो वह इस कार्य को ठीक प्रकार से नहीं कर सकेंगे। और शिक्षा का स्तर बनाये रखना कठिन हो जायेगा। सरकार को इस बात की व्यवस्था करनी चाहिये कि शाम की कक्षाओं के लिये अपेक्षित कर्मचारी रखे जायें।

सरकार ने केरल विश्वविद्यालय में बी०एस०सी० का विशेष पाठ्यक्रम चालू करने का निर्णय किया है। स्नातकों की कई श्रेणियां नहीं होनी चाहिये। स्नातक शिक्षा का जहां तक सम्बन्ध है, इसके लिए एक ही पाठ्यक्रम रखना अधिक अच्छा है। सरकार को अपने

[श्री वासुदेवन नायर]

निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिये। यह सुनिश्चित करने के लिए कोई नियम बनाया जाना चाहिये कि जिन्हें थिरुमल देवस्वम मेडिकल कालेज में दाखिले का वचन दिया गया था या जिन्हें दाखिला नहीं मिला है उन्हें दाखिल किया जाये। प्रति व्यक्ति शुल्क की प्रथा को निश्चित रूप से बन्द किया जाना चाहिये। सरकार एवं प्रबन्धकों के बीच इस आशय का एक समझौता होना चाहिये कि कालेज बन्द नहीं होगा।

वेतन बढ़ाये जाने के बावजूद केरल राज्य के कर्मचारियों में असंतोष है। वह बढ़ते हुए मूल्यों के कारण है जिसे सरकार नियन्त्रित नहीं कर सकी है। वेतन आयोग के प्रतिवेदन में भी अनेक अनियमितताएं हैं। वेतन आयोग के प्रतिवेदन की या वेतन वृद्धि संबंधी अनियमितताओं को दूर करने के लिए एक न्यायाधिकरण की नियुक्ति की जानी चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होता अथवा जब तक सरकार बढ़ती हुई कीमतों पर नियन्त्रण रखने में सफल नहीं होती तब तक स्थिति नहीं सुधर सकती। कीमतों को कम करने के लिए सुपर बाजार का तरीका विभिन्न सरकारों द्वारा भी अपनाया जा रहा है।

सरकार को वेतन में वृद्धि के बारे में अनियमिततायें दूर करनी चाहियें। जब तक ऐसा नहीं होगा, स्थिति में सुधार नहीं हो सकेगा।

मुझे प्रसन्नता है कि केरल की एक बड़ी सिंचाई योजना के लिए कुछ और राशि निर्धारित की गई है। कल्लन्दा सिंचाई योजना के लिए 30 लाख रुपये निर्धारित किये गये हैं। केरल में सिंचाई योजनाओं के लिए और अधिक धन दिया जाना चाहिये।

केरल जल परिवहन निगम परिसमापन की स्थिति में है। सरकार को अपना प्रभाव डालना चाहिये ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परिसमापन कार्यवाही यथासम्भव शीघ्र पूरी हो और कर्मचारियों को अपने अंश का धन वापिस मिले। सरकार ने उन कर्मचारियों को काम पर लगाने का वचन दिया है जो अभी प्रतीक्षा सूची में हैं। यह वचन पूरा होना चाहिये और कर्मचारियों को काम पर लगाया जाना चाहिये।

छंटनी में निकाले गये कर्मचारियों का एक और वर्ग भी है जो जनगणना विभाग में छः अथवा सात वर्षों से कार्य करते रहे हैं। सरकार के लिए शर्म की बात है कि परामर्शदाता समिति के सर्वसम्मत निर्णयों के बाद भी छंटनी किये गये आठ व्यक्तियों को दूसरा रोजगार नहीं दिया जा सका। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि जो लोग वर्षों तक सरकारी सेवा में रहे हैं तथा अपने किसी दोष के कारण नहीं हटाये गये हैं, उन्हें पुनः काम पर लगाया जाये।

**Shri Vishwa Nath Pandey** (Salempur): I heartily support the demands for grants in regard to Kerala. Howsoever good the Government of President may be, it cannot be a substitute for a good Government. I would, however, say that the present Government of Kerala is a very good Government.

Inspite of a large number of literate persons in Kerala, the problem of unemployment is very acute there. Proper arrangements for employment of those people should be made.

There are different kinds of herbs in Trivendrum. The Government should set up an Ayurvedic University there. The Government should pay

more attention to the development of fisheries in Kerala. This will be useful in the present food crisis in the country. More attention should be paid for the betterment of Harijans in Kerala.

Food problem is very acute in Kerala. Therefore, the Government should pay more attention to agriculture there. Steps should be taken for development of tourist centres in Kerala.

---

[ **अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये ।
**Mr. Speaker in the Chair.** ]

## ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में

## RE. CALLING ATTENTION NOTICE

**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : मुझे बताया गया है कि ऐसा ही एक ध्यान दिलाने वाली सूचना दूसरे सदन में ली गई थी तथा गृह-कार्य मंत्री अथवा उपमंत्री ने 1 बजे म०प० को वहां वक्तव्य दिया है। हैरानी की बात है कि इस सदन के साथ सदा ही बुरा व्यवहार किया जाता है। ऐसी बातें दुहराई नहीं जानी चाहियें। **(अन्तर्बाधायें)**

**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता-मध्य) : क्या आप मंत्रियों को निर्देश नहीं दे सकते थे ? मंत्री महोदय भली भान्ति जानते थे कि यह मामला इस सदन में 4 बजे लिया जायेगा। वे इसी सभा के प्रति उत्तरदायी हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने कई बार कहा कि इस सदन को भी उचित सम्मान दिया जाना चाहिये।

**श्री नाथ पाई** (राजापुर) : संविधान के अनुच्छेद 75(3) में कहा गया है कि मंत्रि परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। उसमें संसद नहीं कहा गया है।

**श्री रंगा** (चित्तूर) : जब मंत्री महोदय इस बात के लिए सहमत हो गये थे कि इसका उत्तर यहां 4 बजे दिया जायेगा तो यह उनके लिए आवश्यक था कि वहां वक्तव्य बिलकुल न दें अथवा आप की अनुमति लेकर एक ही समय दोनों सदनों में वक्तव्य दें।

**गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : वास्तव में दूसरे सदन में कोई वक्तव्य नहीं दिया गया है। ध्यान दिलाने वाली सूचना का उत्तर यहां दिया जाना था और मैं यहां इस सभा में 1.30 बजे तक बैठा रहा। राज्य सभा में जब चर्चा हो रही थी तो एक प्रश्न के उत्तर में उपमंत्री महोदय ने उत्तर दिया। वास्तव में ऐसा कोई इरादा नहीं था कि यहां किये गये निर्णय के विपरीत कोई बात की जाये।

**श्री तिरुमल राव** (काकिनाडा): यदि यह मामला यहां पर उठाने से पहले दूसरे सदन में उठाया जाये तो क्या मंत्री महोदय उस सदन में उत्तर नहीं दे सकते ?

**श्री रंगा** : यहां ध्यान दिलाने वाली सूचना थी। वहां कोई ऐसी सूचना नहीं थी।

---

# अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना (जारी)

# CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE—contd.

## आग लगाने और लूट मार करने वाले किसी व्यक्ति को देखते ही गोली मार देने की शक्तियां दिल्ली पुलिस को प्रदान करने वाले आदेशों के प्रख्यापन का समाचार

**श्री रंगा :** (चित्तूर) मैं गृह-कार्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :

"आग लगाने तथा लूट-मार करने वाले किसी व्यक्ति को देखते ही गोली मार देने की शक्तियां दिल्ली पुलिस को प्रदान करने वाले आदेशों के प्रख्यापन और इस प्रकार ऐसी उत्तेजनात्मक कार्यवाही से जनता को भड़काने और पुलिस के सिपाहियों को निरंकुश शक्तियां देना और भारत में तथा विदेशों में सरकार ने अपने जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा कानून तथा व्यवस्था बनाये रखने की क्षमता के बारे में गलत प्रभाव डालना।"

**गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :** अध्यक्ष महोदय, दिल्ली पुलिस को आग लगाने और लूटमार करने वाले किसी व्यक्ति को देखते ही गोली मार देने की अतिरिक्त शक्ति देने वाला कोई आदेश प्रख्यापित नहीं किया गया है। परन्तु दिल्ली प्रशासन ने पुलिस को यह आदेश अवश्य दिये हैं कि वह उन लोगों के साथ कड़ाई का व्यवहार करे जो कानून का उल्लंघन करने का प्रयत्न करें और यदि परिस्थितियों में गोली चलाना न्यायोचित हो तो आग लगाने और लूट-मार को रोकने के लिए गोली चलाने में न हिचकचायें। विधि को लागू करना सरकार का कर्त्तव्य है तथा जो लोग विधि का उल्लंघन करेंगे उन्हें उसका परिणाम भुगतना होगा।

**श्री रंगा:** यह पहली बार नहीं है कि समाचारपत्रों में समाचार प्रकाशित होने के बाद गृह-कार्य मंत्री ने उसका खंडन किया हो। पहले भी इस प्रकार की बातें हुई हैं। गृह-कार्य मंत्रालय में कोई व्यक्ति इस प्रकार की बातों के लिए जिम्मेदार है।

जब सरकार इस मार्च तथा हड़ताल के बारे में जानती थी तो क्या उसने दिल्ली प्रशासन के साथ समाज-विरोधी लोगों, गैर-राजनैतिक लोगों को पकड़ने के लिए परामर्श क्यों नहीं किया। उन्होंने राजनैतिक नेताओं और विद्यार्थियों के नेताओं को क्यों पकड़ा है।

**श्री यशवन्तराव चव्हाण :** मेरे विचार में गृह-कार्य मंत्रालय में से किसी व्यक्ति ने ऐसी सूचना नहीं दी है। जब मैंने प्रातःकाल यह समाचार पढ़ा तो मैंने स्वयं जांच की थी। समाज विरोधी तत्वों के बारे में सुझाव सम्बन्धी पुलिस ने पहले ही कार्यवाही की है।

**Shri Madhu Limaye** (Monghyr): No action is taken against the persons indulging in espionage, subversion and anti-national activities but the Home Minister tries to become an iron man while dealing with the peaceful agitation of the students.

**श्री रंगा** : राजनैतिक नेताओं की गिरफ्तारी के बारे में प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।

**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : राजनैतिक नेताओं को इसलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि वे प्रतिबन्ध तोड़ने के लिए प्रचार तथा आन्दोलन कर रहे थे। सरकार कानून का इस प्रकार उल्लंघन किया जाना सहन नहीं कर सकती।

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बैरकपुर) : आज जब श्री मधु लिमये तथा श्री बागड़ी बाहर जाने लगे तो उनको पकड़ने के लिए पुलिस बाहर खड़ी थी। उनके दल के दो माननीय सदस्यों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस प्रकार कार्य करना असम्भव है।

**अध्यक्ष महोदय** : इस सभा के कुछ सदस्यों की शिकायतें मेरे पास आई थीं कि उन्हें तंग किया जा रहा है। मैंने गृह कार्य मंत्री को इसकी जांच करने के लिए कहा है। मैंने गृह-कार्य मंत्री को सुबह तीन चिट्ठियां भेजी थीं।

**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : पत्र मिलने पर मैं इसकी जांच करूंगा।

**श्री अ० क० गोपालन** : गृह-कार्य मंत्री ने कहा है कि मैं इसकी जांच करूंगा। ऐसी स्थिति में मुझे यहीं रहने दिया जाये क्योंकि मैं नहीं जानता कि आज रात भी क्या हो। कल रात्रि को पुलिस के 25 से 30 कर्मचारी मेरे निवास स्थान पर आये। उनके पास मेरी गिरफ्तारी के लिए कोई वारंट नहीं थे परन्तु मालूम नहीं किन व्यक्तियों की गिरफ्तारी के वारेंट उनके पास थे। रात्रि को घर आकर वे सभी कमरों की तलाशी लेने लगे। इस प्रकार की बातें सहन करना बहुत कठिन है। संसद् के सदस्य होते हुए हम रात को ठीक सो भी नहीं सकते।

**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : मैं माननीय सदस्य को आमन्त्रण देता हूं कि वह हमारे घर जा कर सोयें।

**श्री अ० क० गोपालन** : मैं कोई भिखारी नहीं हूं। गृह-कार्य मंत्री को पुलिस को हिदायत देनी चाहिये कि वे सदस्यों को आतंकित न करें।

**Shri Maurya** (Aligarh): Sir. you may be aware that I was suddenly arrested on 12th December, 1963 and that matter was also raised here. The cases were withdrawn and I was let off.

The police have been chasing and harassing me since last night. After I came to Parliament today, a Superintendent of Police alongwith a number of policemen went to my house. I lock my room while coming to Parliament. The policemen said that Shri Maurya was inside that room. They tried to break the lock. My wife showed them the entire house. She showed the locked room which was open from bathroom side.

They misbehaved with my wife. When my wife asked to show search warrant, they abused her. The officer responsible for this should be immediately suspended and this matter should be enquired into.

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बैरकपुर) : ऐसा ही मलमंदा रेड्डी के मामले में हुआ तथा एक अन्य संसद्‌सदस्य के मामले में हुआ कि वे रात को आये उनके घर में घुसे वहां तलाशी ली और दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया।

**श्री दीनेन भट्टाचार्य** (सेरामपुर) : मैं गृह-कार्य मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या काफी रात बीते बिना वारंट के कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति के घर में दाखिल हो सकता है ? कल रात के 2 बजे 25 से 26 तक पुलिस वाले हमारे घर पर आये । हमने उनसे पूछा कि वारंट हैं तो उन्होंने उत्तर दिया कि किसी की तालाश कर रहे हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि यह कांग्रेस राज है अथवा पुलिस राज है ?

**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : कल मैंने आपको एक पत्र लिखा कि श्री किशन पटनायक जो कि इस सदन के सदस्य हैं को पुलिस वालों ने अपने घर नहीं जाने दिया गया । तीन चार विद्यार्थी जो कि उड़ीसा से न जाने किस काम आये थे उनके घर में पनाह लेना चाहते थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया । ऐसे ही हमारा पीछा किया जाता है । गृह कार्य मंत्री को इनकी जांच करानी चाहिये ।

**श्री त्यागी** (देहरादून) : जो मेरे साथियों ने अभी कहा है उसे सुनकर मुझे भी परेशानी हुई है । मंत्री महोदय को आश्वासन देना चाहिये कि सदस्यों के अधिकारों का इस प्रकार उल्लंघन नहीं किया जायेगा । परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि इसकी आड़ में कोई अपराधियों को अपने घर में छुपाये ।

**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : इसमें कोई शक नहीं है कि संसद सदस्यों के मान को सुरक्षित रखा जाये । जो श्री मौर्य ने कहा कि उनकी पत्नि के साथ दुर्व्यवहार किया गया, इसे सुनकर मुझे दुःख है परन्तु जब तक मैं इसकी पड़ताल नहीं कर लेता, इस विषय पर मेरे लिये कुछ भी कहना कठिन है ।

**Shri Hukam Chand Kachhavaiya** (Dewas): Mr. Speaker, in her radio broadcast last night the Prime Minister appealed to all for cooperation. On the one hand this appeal is made and on the other hand people of R.S.S. and Jan Sangh are arrested. These arrests should be stopped.

---

## केन्द्रीय सतर्कता आयोग से पहले वार्षिक प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव —जारी

## MOTION RE. FIRST ANNUAL REPORT OF CENTRAL VIGILANCE COMMISSION—contd.

**Shri Sidheshwar Prasad** (Nalanda): The Home Ministry deserves congratulations for instituting this Commission for creating atmosphere for eradicating corruption.

There can be faults with the administration which are human faults. The people can feel disappointed over them. I have a feeling that by the constitution of this Commission a better climate has been created by which not only the grievances of the people will be removed but the officers will also work with more confidence.

[ **श्री पें० वेंकटासुब्बैया पीठासीन हुये :**
**Shri P. Venkatasubbaiah in the Chair** ]

There has been increase in the administration in our country during the last 15 to 17 years. Sometimes there is scarcity in food and in other things. There is demand for more school or colleges or hospitals or roads. For all

these matters we always look to the administration. It is clear that in this way the activities of the Government are bound to increase. It is also that faults might be committed by the administration.

It was felt that Vigilance Commission was not sufficient to cope with the problem of corruption in the country. Then the Government constituted the Administrative Reforms Commission. The interim report of which is before us now.

It is felt in the country that unless the standard of administration goes up in the country we will not be able to find solution of our problems.

The previous Home Minister Shri Nanda showed keen interest in the work of the Commission and for that we are grateful to him. I want Shri Chavan also to take the same amount of interest.

The Administrative Reforms Commission has recommended the creation of the office of Lokpal on the lines of Ombudsman. He will deal with complaints regarding Ministers and Secretaries. The creation of this office is essential in the interest of raising the level of administration and to bring efficiency therein.

For complaints relating to officers of lower category than the one of Ministers and Secretaries, the Commission has recommended the establishment of the office of "Lokayukt". There will be one "Lokayukt" per each State and for officers of lower category than Secretary or Centre too. The Lokpal will be equal to the rank of Chief Justice of India and the Lokayukt will be of the rank of Judge of the High Court. I hope Government will not hesitate to implement this recommendation of the Commission. I hope the standard of administration will also rise by these offices though it may not be comparable to the advanced countries of the world.

We will not be successful in our aims unless we make the administration people-oriented. In our Constitution we have stated that in India Republic there will be justice—social and economic and there will be freedom of religion. If we want to achieve these aims we will have to bring efficiency in the administration.

We admit that some complaints will be of a baseless nature. But we will have to change the outlook of the people in that regard. For that we will have to raise the standard of social life of our people. I want to attract the attention of the political parties to this matter. It is not enough to spread rumours regarding corruption or to put forward our demands. We should realise our duties also.

In the end I appeal that steps may be taken that the recommendations of the Administrative Reforms Commission are implemented.

**श्री नि० चं० चटर्जी** (बर्दवान) : महोदय जब हम भ्रष्टाचार को समाप्त करने के प्रश्न पर विचार करते हैं तो हमें वह सेवायें भी याद रखनी चाहियें तो भूतपूर्व गृह-कार्य मंत्री श्री गुलजारी लाल नन्दा ने की हैं। उन्हें गौ हत्या निरोध आन्दोलन के कारण अपने पद से हटना पड़ा। 1962 में सन्थानम समिति बनी थी। उसके पश्चात् सतर्कता आयोग जिसके अध्यक्ष मैसूर के मुख्य न्यायाधीश स्व० श्री नितूर श्रीनिवासाराव थे। उनकी ही यह रिपोर्ट है।

कोई आयोग जनता का विश्वास प्राप्त नहीं कर सकता जब तक उस से मंत्रियों को प्रभाव दूर नहीं किया जाता।

**Shri Kashi Ram Gupta** (Alwar): Mr. Chairman with your permission I have to bring a serious matter to your notice. Some policemen have entered Parliament House and are trying to arrest Shri Madhu Limaye and Shri Bagri. They are harassing them.

**सभापति महोदय** : हम इसकी जांच करायेंगे ।

**श्री नि० चं० चटर्जी** : यह एक गंभीर आरोप है परन्तु आपके कहने से मैं आगे बढ़ता हूं ।

जब मैं रूस में भारत के कानूनी दल के डिप्टी चेयरमैन के रूप में जा रहा था तो इंग्लैंड के श्री डी० एन० प्रिट ने मुझ से कहा कि आप वहां प्रोक्योरेटर-जनरल से अवश्य मिलना । मैं उनसे मिला और खूब बात की और मुझे तसल्ली हुई एक रूस जैसे सर्वाधिकारवादी देश में भी प्रोक्योरेटर-जनरल के पास सब लोग अपनी शिकायतें भेज सकते हैं तथा 12 से 13 प्रतिशत मामलों में वह शिकायतें दूर भी करा देते हैं ।

ओम्बुड्समैन की स्थापना के बारे में सारा सदन सहमत है क्योंकि उस पर मंत्रियों का कोई प्रभाव नहीं होगा । प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकपाल तथा लोकायुक्त की स्थापना की सिफारिश की है । लोकपाल मंत्रियों, सचिवों तथा अन्य ऊंचे दर्जे के अधिकारियों के बारे में जांच करेगा तथा लोकायुक्त राज्य के अधिकारियों तथा नीचे के अधिकारियों के बारे में जांच करेगा ।

मोरारजी देसाई आयोग ने एक बात यह अच्छी की है कि उसकी नियुक्ति गृह-कार्य मंत्री नहीं करेगा बल्कि उसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा तथा उसमें भारत के मुख्य न्यायाधिपति का परामर्श भी होगा । तथा उसमें सरकार के एक प्रतिनिधि और विरोधी पक्ष के प्रतिनिधियों का भी परामर्श होगा । यह तो स्कॅंडीनेवियन देशों से भी नई बात होगी ।

मुझे प्रसन्नता है कि मैसूर के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीपति ने एक वर्ष के थोड़े से समय में भ्रष्टाचार के बहुत से मामलों को निपटाया ।

भ्रष्टाचार के तरीकों का भी बहुत अच्छे तरीके से उल्लेख किया है । इसमें जनता के धन का हड़प करना, आयात-निर्यात के लाइसेंसों में अनियमितता तथा आय कर, सम्पत्ति कर का कम दिखाना आदि शामिल हैं । इन मामलों में उस आयोग ने जांच की तथा दंड भी दिलवाया । सारे मामलों में उनकी सिफारिश नहीं मानी गई । परन्तु यह मान लेनी चाहिये थी । अपराधियों को दंड मिलना चाहिये तथा एक नये वातावरण को उत्पन्न करना चाहिये ।

**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : मैं आयोग को इस अच्छी रिपोर्ट के पेश करने पर बधाई देता हूं । यह आयोग श्री नन्दा के आदेशानुसार कायम किया गया । उसके लिये हम उन पर गर्व करते हैं ।

हमारे यहां भ्रष्टाचार के बारे में बहुत कहानियां बनाई हुई हैं । हम इसे बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं । सर्वाधिकारवादी देशों में भी भ्रष्टाचार होता है । वहां वह नौकरियों में बदली के मामले में होते हैं । तथा दूसरे वह मकानों के देने के बारे में होते हैं । यदि किसी को अच्छा मकान चाहिये तो वह मकान देने वाले अधिकारी को घूस दे देता है । परन्तु यदि कोई वहां भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़ा जाये तो उसे बड़ा कड़ा दंड मिलता है । परन्तु हमारे देश में न्याय प्रणाली दूसरी है । यहां तब तक किसी

व्यक्ति को दंड नहीं दिया जा सकता जब तक कि उसका अपराध सिद्ध न हो जाये । अपराध को सिद्ध करना बहुत कठिन कार्य है । हमें भ्रष्टाचार की बहुत बातें नहीं करनी चाहियें ।

आयोग ने भ्रष्टाचार के बारे में अच्छा विश्लेषण दिया है । मुझे खुशी है कि इस आयोग में ईमानदार व्यक्ति थे तथा उन्होंने अच्छा कार्य किया है। सारे एशिया में भ्रष्टाचार के दो ऐतिहासिक कारण हैं––वह सामाजिक तथा आर्थिक कारण हैं। हम एक हजार वर्ष तक दास रहे हैं। उस कमी पर काबू पाने में कुछ समय लगेगा ।

उसके पश्चात् द्वितीय महायुद्ध हुआ जिसने चोर बाजारी, घूसखोरी तथा घटिया चीज़ों को देना सिखा दिया । उसका प्रभाव भी अब तक चल रहा है ।

ऐसे ही इसके कुछ सामाजिक कारण हैं । दूसरे महायुद्ध में प्रत्येक अंग्रेज को केवल दो अंडे मिलते थे और यदि वह कहीं से एक और अंडा ले आता तथा इसका पता उसके पड़ौसी को लग जाता तो वह उससे सारे व्यवहार बन्द कर देता था ।

फिर इसके आर्थिक कारण हैं । यह जमाना बढ़ी हुई आशाओं का है । सब आगे ही जाना चाहते हैं और तमाम अच्छी वस्तुएं लेना चाहते हैं । यह कार्य न केवल भारत में अपितु सारे संसार में हो रहा है ।

मैं लोकपाल तथा लोकआयुक्त के बारे में सिफारिशों का भी स्वागत करता हूं और चाहता हूं कि उनकी नियुक्ति जल्दी से जल्दी हो जाये ।

हम एक आचार संहिता के बारे में कहते हैं। मेरे विचार में श्री चटर्जी इसमें सहायता कर सकते हैं ।

कोई ऐसा तरीका भी निकालना चाहिये जिससे इन शिकायतों पर शीघ्र कार्यवाही की जाये ।

**Shri Kashi Ram Gupta** (Alwar): Mr. Chairman, the suggestions made by Shri N. C. Chatterjee are very important. Corruption will not be brought to an end unless the Ministers, Deputy Ministers, M.Ps., M.L.As. and the responsible workers of political parties are not brought under the Vigilance Commission. Political people are more responsible with corruption and it is not proper to let them off.

It is a nacked fact that Members of Lok Sabha have sublet their quarters and no action has been taken against them whereas the Government officials if they indulge in it are brought to book. This discrimination is not proper.

Corruption exists due to wrong laws of the Government and unless those laws are set right corruption will not go. An example of it is the working of sales tax in Delhi.

One more reason is the wrong policies of the Government. Due to that so many cases of thefts, abduction etc. are taking place in the country. It is because Government wants to live on the basis of using force only. The report does not indicate anything about cases relating to police. How many cases were caught by them and in how many of them the accused got convictions.

[Shri Kashi Ram Gupta]

I am of the opinion that the establishment of Vigilance Commission is not adequate. If you want it to succeed then the Lokpal should be appointed at once. Secondly there should be a Code of Conduct for political workers also.

**Shri Tyagi** (Dehra Dun): Mr. Chairman, I will take very little time.

**Shri Hukam Chand Kachhavaiya** (Dewas): Mr. Chairman, there is no quorum in the House.

**सभापति महोदय** : घंटी बजाई जा रही है। दोबारा बजाने के बावजूद गणपूर्ति नहीं है।

**इसके पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार, 18 नवम्बर, 1966 / कार्तिक 27, 1888 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।**

**The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, the November 18, 1966/Kartika 27, 1888 (Saka).**



GMGIPND—LS III—2369(Ai) LS—13-5-67—600.